खण्ड-380, अंक-9
गुरूवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1909
(2 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 2 जुलाई ,1987 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे---

अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
उर्मिला अग्निहोत्री, एडवोकेट, कुमारी	एटा
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दुर्गा प्रसाद यादव श्री	आजमगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर, श्री	बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्रसिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह,	फरुखाबाद
राजेश कुमार खेरा, श्री	ललितपुर
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई

राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	हमीरपुर
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से प्रारम्भ हुई)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री को आप इंगित कर दें। वह भी नहीं है और कोरम भी नहीं पूरा है।

श्री अध्यक्ष—

जरूर इंगित करूंगा। माता प्रसाद जी ने कहा आपने समय कुछ ज्यादा ले लिया। कोरम नहीं हो पाया।

(हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, कोरम तो इन्हीं की वजह से पूरा नहीं हो पाया।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 2 जुलाई, 1987

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से उपज बढ़ाने की कृषि तकनीक का प्रसार

**1—डा0 दिनेश जौहरी –

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पंजाब में गेहूं की औसत उपज 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उपज बढ़ाने के कोई उपाय किए गये हैं ?यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां।

प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के भिन्न जलवायु अनुसार अन्वेषण और कृषि विभाग के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीक का प्रसार किया जा रहा है।

डा0 दिनेश जौहरी –

यह सवाल प्रदेश की 12 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है, सबको खाने के लिए गेहूं की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पंजाब से 10 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गेहूं कम पैदा होता है, लेकिन उनके जवाब से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं क्या वह भी सन्तुष्ट नहीं होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो जलवायु के अनुसार अन्वेषण हो रहा है, उसके क्या परिणाम निकले हैं ? उन्नत कृषि तकनीक अपनाई जा रही है प्रति हेक्टर गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए, तो क्या इसके अन्तर्गत आपने कोई योजना बनाई है ? बनाई है तो वह क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 10 एग्रो क्लाईमेटिक्स जोन में बांट दिया गया है, उसमें अलग-अलग रिसर्च हो रही है। उन रिसर्चों का फायदा वहां के किसानों को मिलेगा। दूसरे यह कहना कि पंजाब में प्रति हेक्टर उत्पादकता 30 कुन्तल और हमारे यहां 20 कुन्तल है, यह सही है, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में फर्क है। उनके यहां लगभग 90 परसेंट क्षेत्रफल सिंचाई में आता है, हमारे वहां उतना नहीं है - 80–85 परसेंट के बीच में गेहूं में है। हमारे यहां का एरिया बहुत है, उनके यहां कम है और साथ ही क्लाइमेट की भी बात है। हमारे यहां अच्छे बीज देने का प्रयास हो रहा

है, अच्छी तकनीकी जानकारी देने, ज्यादा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने का भी प्रयास हो रहा है और इससे हमें उम्मीद है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से उत्पादकता बढ़ी है, हमारी उत्पादकता और भी बढ़ेगी और गेहूं का उत्पादन भी प्रदेश में बढ़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

मंत्री जी के उत्तर से सम्बद्ध, मैं जानना चाहूंगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पंजाब में सिंचाई का विस्तार अधिक है अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के और वहां की जलवायु भी अपेक्षाकृत अच्छी है, तो क्या इसे ध्यान में रखकर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 सालों में खेती में लगने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में बढ़ोतरी इस प्रकार है–इस्पात 5·39, डीजल 4·40, बिजली 4·86 और उर्वरक में 4·34 गुना, मुल्यों में वृद्धि हुई है, जिनको सरकार पैदा करती है और स्वयं बेचती है, उसके विपरीत गेहूं में 17 वर्षों में 2·06 और धान में 2·26 गुना मात्र की वृद्धि हुई है, तो क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती के काम आने वाले अन्तर्धारित मूल्यों को घटाने और उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में वह कोई प्रयास करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

माननीय सदस्य का प्रश्न इससे हटकर है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है। जो नेशनल एवरेज है उससे प्रदेश की उत्पादकता अधिक है इसको बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । किसानों को उसकी उपज का अच्छे से अच्छा मूल्य मिले इसके लिए उत्तर प्रदेश में हमने नयी योजना लागू की है। अभी तक किसान मंडी में सामान लेकर आता था, तो उसको माल बेंचकर आना पड़ता था अब मंडी में किसान माल लेकर जायेगा और उसे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वह माल गोदाम में रख सकता है और उसको 75 परसेंट मूल्य एडवांस में दे दिया जाएगा । ऐसी योजना हमने बनाई हैं अभी कृषि के बजट पर चर्चा होगी उसमें बहुत से सवाल आयेंगे उनका उत्तर दिया जाएगा । आज सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उत्पादकता बढ़ाने का प्रश्न है उसमें कृषि विभाग लगा हुआ है। मान्यवर, पिछले दो वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि उपज और खाद्य की उत्पादकता सही हुई है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्पादन में सिंचाई, फर्टि-लाइजर का प्रयोग, सही बीज डालना अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है। फिर भी एक सीमा तक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा सकता है ज्यादा नहीं किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बढ़ाने के लिए जो फसल चक्र की व्यवस्था है कि गेहूं की खेती में ऐसी फसल न लगाई जाए जिससे गेहूं प्रभावित हो तो इसमें कुछ प्रचार की व्यवस्था करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। वैसे आपने जो सुझाव दिया है वह अच्छा है मैं माननीय माता प्रसाद जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पंजाब के बराबर या पंजाब से ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है जैसे मेरठ गाजियाबाद आदि।

यहां फर्टिलाइजर का प्रयोग ज्यादा होता है और इससे उत्पादकता अच्छी है। मेरठ की उत्पादकता 34 कुन्टल प्रति हैक्टेयर है जो पंजाब के करीब-करीब बराबर है, जिन क्षेत्रों में उत्पादकता की कमी थी वहां उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं का भण्डारण करके 75 प्रतिशत मूल्य देने की बात जो कही गई है, तो इस योजना में गत वर्ष कितना भंडारण हो पाया है और गेहूं की कितनी धनराशि किसानों को दी गई है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बाद में बता दूंगा। इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने फर्टीलाइजर के उपयोग को बढ़ाने की बात कही है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि फर्टीलाइजर के अधिक उपयोग से भूमि में भारी परिवर्तन हो रहा है और उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है। क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी छानबीन या टैस्टिंग करवायी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उन्हें यह जानकारी देना चाहता हूं कि अब सिर्फ फर्टीलाइजर का ही उपयोग नहीं हो रहा है बल्कि जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि बैलेंस्ड यूज आफ फर्टीलाइजर किया जाय जिससे ज़मीन की फर्टीलिटी पर कोई असर न पड़े । इसके लिये स्वायल टैस्टिंग करायी जाती है। एग्रीकल्चर को पूरी तरह से साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है, खाद, बीज और पानी की सुव्यवस्था । आपने बीज और खाद में अपमिश्रण को रोकने की जो व्यवस्था की है तो जो आपके एफ0 सी0 ओज0 हैं और जो बीजों के प्रमाणीकरण के लिये बीज प्रमाणीकरण संस्था है, यह दोनों संस्थायें अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं जिससे खाद और बीज में अपमिश्रण हो रहा है। बीज शुद्ध नहीं मिलते हैं। क्या इन दोनों संस्थाओं की समय-समय पर जांच करायेंगे और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ताकि घटिया बीज और घटिया खाद किसानों को न मिले और उपज कम न हो?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है। बीज और खाद के लिये पूरी व्यवस्था प्रदेश में रही है और कहीं पर इसकी जांच में कमी नहीं है। मिलावट करने का जहां तक सवाल है पिछले साल पूरे प्रदेश में हमने 18 हजार छापे मारे और करीब 90 व्यापारियों को जेल भेजा गया था। पहले जो इस बारे में शिकायतें आती थीं और अखबारों में भी अक्सर निकलता था पर यह खबरें अब बहुत कम सुनने में आ रही हैं। अगर किसी विशेष दूकान की जानकारी माननीय बदन सिंह को है तो उसको अवगत करा दें। हम उसको दिखवा लेंगे और इस तरह की शिकायत नहीं होने पायेगी।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसमें पानी सबसे प्रमुख है। पिछले 40 वर्षों के बाद भी अभी 70 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसमें सिंचाई का प्रबंध नहीं हो पाया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ड्राई लैंड फार्मिंग में कोई विकास करने की बात सोची है? यदि हां, तो 1, 2, 3 करके बता दें कि क्या सोचा है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। जैसे हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, यह रेन फेड एरिया है जहां खेती वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन रिसर्च सेंटर्स खोले गये और तमाम जगहों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं। निकट भविष्य में बुंदेलखंड जो पूरी तरह वर्षा पर आधारित है वहां पर भी 2-3 फसलें लोग लेने की स्थिति में होंगे।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, सवाल यह था कि ड्राई लैंड फार्मिंग की उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है उसके लिये आपकी क्या योजना है उसको बता दें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया ड्राई लैंड फार्मिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में शोध करने के काम में हमारे विश्वविद्यालयों के लोग लगे हैं। हमारे इक्सटेंशन वर्कर्स इस काम में लगे हुए हैं। आज जैसे बुन्देलखण्ड का है हमने वहां सोयाबीन की एक विशेष योजना लागू की है। तमाम जगहों पर अलग-अलग योजनाएं दलहन की, तिलहन की लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस पर शोध हो रहा है उससे किसानों को अच्छा लाभ होगा।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर, कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

20 मिनट से ज्यादा हो गये हैं कृपा करके घड़ी पर गौर करिये।

प्रदेश सरकार द्वारा आलू का क्रय-मूल्य निर्धारित योजना

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष आलू का क्या खरीद मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और प्रदेश के आलू उत्पादकों को इस व्यवस्था का सही लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कितने क्रय केन्द्र खोले गए तथा आलू खरीद का सामान्य उत्पादकों को भी लाभ मिल सके इसके लिए अन्य क्या उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष आलू की सफेद जातियों का रु0 65 प्रति कुन्तल तथा लाल जातियों का रु0 55 प्रति कुन्तल क्रय मूल्य निर्धारित

किया गया था, और योजना का पूरा लाभ आलू उत्पादकों को पहुंचाने के लिए प्रदेश के 29 प्रमुख जनपदों में 125 क्रय केन्द्र खोले गए थे, किन्तु मण्डियों में आलू के अच्छे भाव रहने के कारण इस योजना के अन्तर्गत आलू क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सामान्य उत्पादकों को आलू खरीद योजना से लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष के आलू उत्पादक के आधार पर उचित संख्या में क्रय केन्द्र खोलने के अतिरिक्त आलू की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक मण्डल के सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो उत्पादकों को तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे जिससे क्रय मानक के अनुसार आलू तैयार हो सकेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, गेहूं की खरीद के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि गेहूं की खरीद की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब आलू के समर्थन मूल्य की बात हमने खड़ी की तो उस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने बताया कि आलू का बाजार भाव ज्यादा रहा और आलू खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यह दोनों बातें साबित करती हैं कि कृषि मंत्री जी का कृषि मंत्रालय कैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के सन्दर्भ में उन्होंने बताया वह बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना क्या है, और माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि आलू की उत्तर प्रदेश में प्रति कुन्तल उत्पादन लागत क्या है और उसके ऊपर कितना मूल्य निर्धारित किया जाएगा तब आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक यह बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना का प्रश्न है इसकी मंशा है कि जब इसकी कीमतें गिरने लगेंगी तो इसमें इन्टरवीन किया जाय उसको कहते हैं मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस यह सपोर्ट प्राइस नहीं है, वह सपोर्ट प्राइस अभी आलू के सिलसिले में निश्चित नहीं है। यह हम लोगों ने बहुत प्रयास करके मार्केट में इन्टरवीन करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया था । मान्यवर, यह कहना कि गेहूं की खरीद की जरूरत नहीं पड़ी वह सही है। आलू के बारे में जो आपने बात कहीं और उससे एक अंदाजा लगाया कि इस विभाग का काम कैसे चल रहा है । मान्यवर, शाही जी को इस पर खुशी होनी चाहिए कि वह काम कितना अच्छा है कि किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है उनको कीमत मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है और शाही जी उल्टी बात कर रहे हैं। मान्यवर, इस बार हमने पूरा प्रयास किया, हमारी पूरी व्यवस्था थी । वैगन टाइमली एवैलेबिल कराये गए । किसानों का आलू कोल्डस्टोरेज में रखा जा सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की गयी । मुझे भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई कि किसानों को आलू रखने में या किसानों की तरफ से कोई ऐसी कठिनाई रही हो, इस तरह की बात कहीं से नहीं आई ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में आलू का बाजार भाव क्या था ? क्या वहां भी इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी? वहां पर कोई क्रय केन्द्र सरकार द्वारा खोला गया या वहां पर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, उधर से कोई ऐसी मांग नहीं आयी, इसलिए वहां पर कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला गया। अगर आपके सामने ऐसी कोई जरूरत आई हो, तो मुझे अवगत करा दें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आलू खरीद केन्द्र आगरा, एटा, फिरोजाबाद में खोलने के लिए पिछले वर्ष आपने कहा था कि हम नैफेड को सूचित करेंगे, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी खरीद केन्द्र नहीं खोला गया, जिससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आगरा, सिधौली, समसाबाद, फिरोजाबाद आदि जगहों पर आलू क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था थी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक भी जगह पर खरीद केन्द्र नहीं है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस समय तो आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय वहां पर आलू खरीदा नहीं जा रहा है। मान्यवर, 125 क्रय केन्द्र हमने खोलने की व्यवस्था की थी। मान्यवर, यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि किन-किन स्थानों पर आलू के क्रय केन्द्र खोले जा चुके हैं।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में साधन न होने के कारण वहां बीच के बिचौलिये सारे आलू के भंडारण करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए वहां पर क्रय केन्द्र खोलने की बहुत ही आवश्यकता है। क्या भविष्य के लिए वहां पर कोई आलू क्रय केन्द्र खोलने की माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अगर इसकी आवश्यकता होगी, तो जरूर खोले जायेंगे।

(श्री अब्दुल वहीद कुरैशी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर आलू के क्रय केन्द्र की बहुत जरूरत है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय कुरैशी जी को बुला लिया है। आप बैठिये।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, जिला मेरठ में सरधना और लावड़ में हजारों कुन्टल आलू पैदा होता है, जहां किसानों की खास रुचि आलू पैदा करने की है। मान्यवर, जब कोल्ड स्टोरेज भर गये, आलू बाकी रह गया, तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसा अभी मंत्री जी ने फरमाया कि वहां पर आलू खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

आलू बाहर पड़ा रहा, जो खराब होने के कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा । मान्यवर, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि इन जगहों पर आलू खरीद केन्द्र कायम किये जायं, परन्तु आज तक भी सरधना और लावड़ में आलू खरीद केन्द्र कायम नहीं हुए और न ही कोई कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज का ही प्रबन्ध हुआ । तो क्या मंत्री जी भविष्य में खरीद केन्द्र वहां पर कायम करेंगे और कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस तरह की कहीं पर किसानों को कोई कठिनाई नहीं हुई । दिल्ली में मैं था, तो एक हमारे मित्र ने हापुड़ से फोन किया कि दो-तीन ट्रैक्टर ट्राली पर आलू 24 घंटे से लदा खड़ा हुआ है, जिसे कोल्ड स्टोरेज के लोग नहीं रख रहे हैं। मैंने तुरन्त व्यवस्था किया । रात को हमें बताया गया और सुबह उनका आलू रख दिया गया ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, वहां तो आज तक भी कोल्ड स्टोरेज में पूरा आलू नहीं रखा गया, जिससे किसानों को हानि हुई और सस्ते रेट पर आलू बेचना पड़ा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहां कहीं पर क्रय केन्द्र की जरूरत पड़ेगी और सम्मानित सदस्य सुझाव देंगे, तो वहां पर हम आलू के क्रय केन्द्र अवश्य खुलवा देंगे ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, मैं तो पहले भी और आज भी आपको इस सम्बन्ध में सुझाव दे चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो प्रश्न पूछा गया था इसमें सम्पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी थी। पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयी हैं। आज पर्वतीय क्षेत्र में असन्तोष की ज्वाला जल रही है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में 45, 40 और 50 रुपये से भी कम कीमत पर प्राइवेट क्रय केन्द्रों ने इसको खरीदा है। वहां पर समर्थक मूल्य पर क्रय केन्द्र न खुलवाने का क्या कारण था?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर गुप्ता जी के पास कोई जानकारी है तो वे दे दें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

उनके पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए ।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, जनवरी और फरवरी में पहाड़ी क्षेत्रों में जब आलू के बीज बोये जाते हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी प्रबन्ध नहीं था। क्या माननीय मंत्री जी अगले साल के लिए बीज का प्रबन्ध करने की कोशिश करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न बीज का है, बीज की जहां पर भी जरूरत होगी और जो हमारे पास उपलब्धता है उसके आधार पर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, आज पहाड़ के लोगों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है उनके विकास के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । परिणाम यह हो रहा है कि वहां का किसान त्रस्त है। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मान्यवर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या पहाड़ के आलू की समस्या को ध्यान में रखते हुए कम से कम दूरी पर किसानों को अपना आलू ले जाने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण करवाकर कम से कम दूरी पर आलू क्रय केन्द्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे पास जानकारी है कि किस हिस्से में कितने क्रय केन्द्र खोलने की जरूरत है और आवश्यकतानुसार हम इसकी व्यवस्था करते हैं । जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का सवाल है, सारे क्षेत्र के माननीय विधायकगण यहां मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि इस वर्ष आलू की कीमत किसानों को अच्छी मिली और मार्केट में इन्टरवीन करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ी । हम आलू के क्रय केन्द्र जरूर खोलेंगे और कल्यान सिंह जी का सुझाव भी अच्छा है, वैसे हमारे पास जानकारी है लेकिन उनके सुझाव के अनुसार हम फिर से सर्वे करा लेंगे क्योंकि किसानों की मदद करना हमारा फर्ज है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं जैसे पहले वहां पर फर्टीलाइजर बड़े पैक में मिलता था अब हम उसको 5, 10 और 15 किलो के पैक में दे रहे हैं। इसी तरह से मोबाइल वैन्स के जरिए हम वहां पर सुविधा प्रदान करते हैं ताकि किसानों को फर्टीलाइजर समय पर मिल सके और उनको बहुत दूर जाना न पड़े। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार पूरे तरीके से सजग है। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि उसको नजरअन्दाज किया जा रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जितने प्रश्नों का उत्तर विशेषकर आलू के सम्बन्ध में दिया है, इस सिलसिले में मा0 मंत्री जी व आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र में आलू ही एक मुख्य फसल है और जो दूसरी फसलें होती हैं वह कम होती हैं और आलू की फसल वहां पर उस समय होती है जब यहां मैदानों में नहीं होती है। इसलिए मान्यवर, वहां पर उस समय कोई आलू की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था व क्रय केन्द्र आदि नहीं होते, जिसकी

वजह से तमाम सड़-गल जाता है और लोग अपने गाय-भैंसों को मजबूरन खिलाते हैं । जबकि इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को बहुत बार लिखा गया, परन्तु कोई व्यवस्था इसकी अब तक नहीं की जा सकी है।

श्री अध्यक्ष–

एेरी साहब, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, प्रश्न करिये।

श्री काशी सिंह एेरी–

इसलिए मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में कोई क्रय-केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था करेंगे और क्रय-केन्द्रों का कोई मानक निर्धारित करेंगे और यह मानक मैदानी क्षेत्रों के आधार पर नहीं होंगे, क्या एेसी व्यवस्था कोई मा0 मंत्री जी करेंगे और दूसरी बात यह कि आलू के अलावा जो वहां पर फल इत्यादि होते हैं उनका कोई मूल्य निर्धारित करेंगे, ताकि वहां के फलों का सही मूल्य मिल सके ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रश्न तो यह आलू तक ही सीमित था, परन्तु एेरी साहब उसको आगे ले जाना चाहते हैं फलों तक । और जहां तक आलू की बात है अगर उनके दिमाग में कोई सुझाव हो पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में तो उसको भेज दें और एक दूसरी बात मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि एेरी साहब ने अभी तक इस सिलसिले में हमें कोई पत्र नहीं लिखा कि यहां पर आलू की क्या स्थिति है और इस सम्बन्ध में क्या-क्या कठिनाइयां हैं, अगर यह मुझे अवगत कराते तो जरूर मैं उस पर कार्यवाही करता ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के अधीनस्थ अधिकारियों ने जो गलत सूचना दी है, उसी के आधार पर सारे सदन को मा0 मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आलू बाजार में बिकने आया था उस समय बाजार भाव क्या था और सरकारी क्रय केन्द्रों का उस समय क्या भाव था ? क्या इसकी जानकारी कराकर मा0 मंत्री जी कोई उचित कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है कि उसको मारकेट इण्टरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ी । अगर किसी विशेष स्थान की जानकारी मा0 सदस्य को हो तो उसको बतायें तो आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वहां पर उस समय क्या रेट था ।

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आगरा, फिरोजाबाद व शम्शाबाद आदि स्थानों पर क्रय केन्द्र खोले गये । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इन स्थानों पर कोई क्रय केन्द्र नहीं खोले गये और मान्यवर, आलू उत्पादकों के तमाम आलू बम्बई व बाहर के व्यापारी आये और उन्होंने खेतों में ही कच्ची फसल को खरीद लिया।

इससे उनको जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी, क्या मा0 मंत्री जी, जो कृषकों को आलू बेचने से आर्थिक हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति का आश्वासन देंगे और क्या भविष्य में हर ब्लाक में क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, क्रय केन्द्र आवश्यकता के अनुसार खोले जाते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्केट में इन्टरवीन करने की जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि मार्केट में जरूरत मार्केटिंग इन्टरवेशन प्राइस से ज्यादा थी । लेकिन यदि कहीं के लिये मा0 सदस्य सुझाव देंगे कि इस स्थान पर क्रय केन्द्र खोलने की जरूरत है, तो हम कार्यवाही करेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 सहकारी समितियों द्वारा ऋण की वसूली एवं जमा नीति

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सचिव, राजस्व परिषद् के पत्रांक 20663-31163/2 संग्रह-140/71 दिनांक 30-6-75 के द्वारा निर्देश है कि संग्रह व्यय राज्य सरकार की प्राप्ति है तथा जमा शीर्षक "029 भू-राजस्व अन्य प्राप्तियां (5)" के लिए की गई सेवाओं के भुगतान की उगाही है ? यदि हां, तो क्या संग्रह व्यय इन निर्देशों के विपरीत प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला सहायक निबन्धकों द्वारा जमा शीर्षक 029 भू-राजस्व अन्य प्राप्तियां (5) में न जमा करके 'कुर्क अमीन सैलरी एकाउन्ट' खाते में जमा करते हैं, जिससे शासन को लगभग पन्द्रह करोड़ की प्रतिवर्ष हानि होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां ।

उ0 प्र0 सहकारिता समिति अधिनियम, 1965 की धारा 92 एवं उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अध्याय 22 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से एवं जिला सहायक निबन्धकों द्वारा स्वतः उक्त अधिनियम की धारा 71 के अधीन दिये गये अभिनिर्णय एवं धारा 67 अथवा धारा 97 अथवा 98 के अधीन पारित आदेश के आधार पर सम्बन्धित व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा वसूली की जाती है। उपर्युक्त वसूली कार्य हेतु जिला सहायक निबन्धक के अधीन संग्रह स्टाफ एवं सहकारी कुर्क अमीनों की नियुक्ति की जाती है जिनके वेतन आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु शासन द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं होता । अस्तु संग्रह-व्यय कुर्क अमीन सैलरी एकाउन्ट खाते में जमा किया जाता है, जिससे शासन को कोई हानि नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा प्रश्न मान्यवर दो हिस्सों में था और प्रश्न के पहले हिस्से को मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1975 में राजस्व परिषद् के सचिव ने आदेश दिया था कि यह जो संग्रह व्यय है, यह राज्य सरकार की प्राप्तियां है और इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसमें अधिनियम, 1965 बाधक बना है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह अधिनियम बाधक बना है तो इस पर क्या विचार किया गया कि जब इस अधिनियम, 1965 के कारण यह संग्रह व्यय के खाते में जमा नहीं होता जिसके कारण उसके लिये अलग से एकाउन्ट खुलवाना पड़ा है, जिसका प्रदेश के विकास में कोई उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि निबंधक के अधीन जो कुर्क अमीन रहते हैं, वह पूरी तरह से निबन्धक के व्यक्तिगत नौकर के रूप में होते हैं। इस एकाउन्ट का खर्च केवल सहायक निबन्धक अपनी इच्छा से करता है। इस एकाउन्ट में उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपया जमा होता है, जिसका प्रदेश को कोई लाभ नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 1975 में राजस्व परिषद् के सचिव ने कहा कि इस तरह का जो संग्रह है, यह राज्य सरकार की प्राप्तियां हैं, तथा 1965 का अधिनियम अगर इसमें बाधक है तो क्या इसमें संशोधन करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि सहकारिता अधिनियम में व्यवस्था है कि वसूली का 10 परसेंट जो ऋण होता है, उसकी वसूली के लिए वसूलना होता है और जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा कि उसे जमा करते हैं और आपने स्वीकार किया कि जितना खर्च होता है, उससे घाटा होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 10 परसेंट रिकवरी के आधार पर समाप्त करके राजस्व विभाग के समान ही परमानेंट वसूली के लिए व्यवस्था करेंगे जिससे कि इस 10 परसेंट की वसूली से बचा जा सके।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, यह वसूली के दो तरह के अमीन होते हैं, एक कमीशन पर और दूसरे वेतनमान के आधार पर होते हैं। यहां रिकवरी में 10 प्रतिशत लेने की कोई मंशा भी नहीं है। लेकिन, वसूली समय से न होने के कारण जितना व्यय होता है, उसी आधार पर रिकवरी चार्ज लगाते हैं।

श्री समरपाल सिंह—

जो वसूलयाबी कुर्क अमीनों के माध्यम से होती है, उसमें 10 प्रतिशत किसानों को अधिक रुपया देना पड़ता है और वह रुपया हर साल कुर्क अमीन खाते में जमा होता रहता है। लेकिन, जो वसूलयाबी का खर्चा होता है, उसमें आधा खर्च जिला सहकारी बैंकों से वसूल करना पड़ता है और केवल आधा ही इसी खाते से मीट किया जाता है। कुछ जिलों में यह खर्चा इतना बढ़ गया है कि वसूलयाबी का जितना खर्चा है, वह इसी कुर्क अमीन खाते से दिया जा सकता है। ऐसे जिलों में जिला सहकारी बैंकों की वसूलयाबी से खर्चा माफ कराने की कोई योजना बना रहे हैं। जितना रुपया इकट्ठा

हो गया है कि कुर्क अमीन का सारा खर्चा उस खाते से दिया जा सकता है तो आगे 10 प्रतिशत माफ करने की कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जिन जिलों में खर्चा ज्यादा आ जाता है, वसूली करने के लिए जिस हेड में कह रहे हैं, वसूली के हेड में पैसा जाता है । जो भार वहन करने की प्रक्रिया है, उसी के अनुसार वह किया जाता है । माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि माफ करने की कोई शासन की मंशा है, मान्यवर, जो ऋण की प्रक्रिया है, क्योंकि मान्यवर, ऋण हम एवार्ड की परिधि से लेते हैं, अगर उसमें से वसूलीयाबी नहीं कर लेते हैं, तो जो व्यवस्था है, जितनी उपलब्धियों के लिये हम सहकारिता आन्दोलन को देखते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते है । अतः जो प्रक्रिया है, उसी आधार पर लिया जाता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, इसमें विभागीय टकराव अन्तर्ग्रस्त है । राजस्व परिषद् एक बात कहता है और सहकारिता विभाग दूसरी बात कहता है । 10 प्रतिशत की जो रिकवरी है, जिसमें राजस्व परिषद् ने निर्देश दिये हैं, उसके खिलाफ सहकारिता विभाग की दूसरी नियमावली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल जवाब देने में संयुक्त जिम्मेदारी की बात होती है । वह पैसा 10 प्रतिशत वसूलयाबी का पैसा उसको जमा कर दिया जाय, विभागीय नियमावली उसमें बाधक हो रही है, उसमें संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय आभा जी ने बात कही, कहीं नियमावली बाधक नहीं बन रही है। एल0 डी0 बी0 और अन्य जिनकी आर0 सी0 जारी होती है, उसमें 10 प्रतिशत के हिसाब से जमा होता है । राजस्व विभाग की वसूली 10 प्रतिशत वहां जमा होती है। जिसकी वसूली सहायक निबंधक के द्वारा हुई है, उनके माध्यम से वह वसूली चार्ज अलग से लिया जाता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इस समय जो वसूली की प्रक्रिया है, वह रिकवरी सर्टीफिकेट जारी होने के पश्चात् तत्काल 10 प्रतिशत लगाकर, रिकवरी चार्ज ले लेते हैं । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जो आदमी तत्काल पेमेंट करता है या जो 2 साल के बाद जमा करता है, उन दोनों को ही धन जमा करना पड़ता है । मैं कहना यह चाहता हूं कि आर0 सी0 जारी होने के पश्चात् जो तत्काल दे दे उससे कम लिया जाय और जो विलम्ब से दे उससे अलग दर से लें । क्योंकि मौजूदा व्यवस्था प्रभावशाली नहीं है ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय बरार जी कोशिश यह करायें कि आर0 सी0 जारी करने की नौबत ही न आये । ज्यादा से ज्यादा रिकवरी कराने में सहयोग दें । ज्यादा से ज्यादा धनराशि

समय पर जमा होती जायेगी, तो वह प्रदेश के विकास में भी सहयोग देगी और सहकारिता आन्दोलन भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि मैंने उत्तर में भी बताया है आर0 सी0 सर्टि-फिकेट जारी होने के बाद निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही धनराशि की वसूलयाबी होती है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सहकारिता विभाग तो राजस्व विभाग से भी आगे बढ़ गया है । राजस्व विभाग तो काम में आने वाले कृषि यंत्रों की कुड़की नहीं करता है लेकिन सहकारिता विभाग गायों, बैलों व भैंसों तक की नीलामी कर देता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि शासन की तरफ से वसूलयाबी न होने पर, उत्पीड़न हेतु किस-किस प्रकार के निर्देश गये हैं मतलब कि कौन-कौन सी कार्यवाही उत्पीड़न के लिए की जाय ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, राजस्व विभाग से वसूली होती है । उत्पीड़न की जो कार्यवाही माननीय सदस्य के संज्ञान में है, वही होती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, भूमि विकास बैंक जो ऋण की वसूली की जा रही है, उसमें बैलों, भैंसों व गायों की नालामी कर दी जा रही है जबकि नियम यह है कि ऋण से अटैच ग्रापर्टी ही नीलाम कर वसूली की जाय । जानवरों की कुड़की करने का क्या औचित्य है?

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात स्वीकार कर ली और दूसरी बात भी स्वीकार कर ली है । आखरी हिस्सा प्रश्न का यह था, जो हमारे संज्ञान में भी है कि इस कुड़क अमीन सैलरी एकाउन्ट में प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये जमा होता है, लेकिन इसका कोई आडिट नहीं होता है । क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि प्रतिवर्ष इसका आडिट कराया जायेगा कि जो पैसा खर्च हो रहा है वह सही है कि नहीं है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं नवजवान सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रति वर्ष क्या 6 महीने में इसका आडिट होता है। जिला मुख्यालय पर आडिट होता है, डिवीजन स्तर पर इसका आडिट होता है और फिर आडिट रिपोर्ट मुख्यालय पर आती है ।

धूमपान पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

*2–**श्री जयदीप सिंह बरार–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि हाल की वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों को भी धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के धुएं के कारण कैंसर होने का उतना ही खतरा रहता है जितना धूम्रपान करने वालों को ? क्या उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों जैसे राजकीय कार्यालयों, बसों तथा रेलों, अस्पताल, पार्क इत्यादि में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगी ताकि धूम्रपान न करने वाले लोग धूम्रपान करने वाले लोगों के व्यसन के फल-स्वरूप कैंसर के शिकार न हों? यदि नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग का सवाल नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो "जी नहीं" उत्तर दिया है, वह किस आधार पर दिया है । क्या किसी वैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर दिया है या फिर किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जिस रिपोर्ट पर आपका प्रश्न है, उसी रिपोर्ट के आधार पर यह उत्तर है। विश्व संगठन ने यह बात कही है। अगर पति पत्नी दोनों में एक अगर धूम्रपान करता हो और 30 सिगरेट से अधिक या 10 पाइप से अधिक या 6 सिगार से अधिक पीता हो तो यह हो सकता है कि उसकी पत्नी या पति को कैंसर हो जाय । अतएव, साधारण रूप से धूम्रपान करने वाला व्यक्ति और अगर हम बगल में बैठे हों, जैसा इसी प्रश्न के आगे है कि बस में बैठे हों, तो बसों में लिखा होता है कि पड़ौसी अगर एतराज करे तो धूम्रपान न करें. रेलवे में भी ऐसा ही लिखा होता है, सिनेमा में धूम्रपान निषेध है, लेकिन पार्क में घूमते हुए कैसे धूम्रपान निषेध कर दिया जाय ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार कर लिया कि इनडायरेक्टली कि अगर बगल में कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी उतना ही या उससे कुछ कम खतरा है । चूंकि पति-पत्नी का निकटतम सम्बन्ध होता है, इसलिये खतरा अधिक है । जब उन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसी स्थिति में खतरा है, बसों में रेलवे में यह अनुभव है 4 पीने वाले हों और एक न पीने वाला हो तो आपत्ति क्या करेगा, वह तो धुंआ भी खायगा और मार भी खायगा । ऐसी व्यवस्था बस, रेलवे और विदेशों में भी है कि धूम्रपान के लिये अलग डिब्बे हैं, सैक्शन्स हैं और अलग स्थान रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इनसे शेष जनता को बचाने के लिये बसों में, रेलवे में और कार्यालय के बरामदों में, जैसा सिनेमा में टोटल प्रतिबन्ध है, ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश के सचिवालय, विधान सभा के बरामदों और लाइब्रेरी में धूम्रपान निषेध है। अब लाबी में सम्मानित विधायकों को स्वयं नहीं पीनी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

जिस प्रकार आजकल वायुमण्डल में उद्योगों के माध्यम से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और उद्योगों पर रोक लगायी जा रही है, ठीक उसी प्रकार से यह "मिनी इण्डस्ट्री", जिसके माध्यम से धुंआ निकलता है, क्या इस पर भी रोक लगाने के आदेश देंगे ?

(हंसी)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सिगार और पाइप में जो टुबेको भरा जाता है उसमें "कार्सिनोजन्स" के कण्टेण्ट्स क्या होते हैं ? क्या संस्तुति करेंगे कि जिस कागज का इस्तेमाल सिगरेट के लिये होता है, उसके स्थान पर पत्ता या सिगार में जैसी "लीब्स" का इस्तेमाल होता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाय ? दूसरी बात, जो धूंआ सार्वजनिक स्थानों पर आदमी "इनहेल" करता है, उसमें "कार्सिनोजन्स" का कण्टेण्ट क्या है और वह "इनहेल" करने के बाद कितना प्रभावी होगा, जिससे कैन्सर हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका इस प्रश्न से क्या ताल्लुक है ?

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने ऐसे दे दिया जैसे कि वे स्वास्थ्य मंत्री न हों बल्कि कोई मेडिकल के प्रोफेसर हों । इस पर अनुसंधान के बाद यह रिपोर्ट आयी है कि यदि बगल वाला भी सिगरेट पीता है तो उसके बगल वाले को हार्ट की बीमारी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है । दफ्तर में अगर एक आदमी रेगुलरली धूम्रपान करता है तो उसका असर उसके अगल-बगल बैठने वाले पांच व्यक्तियों पर पड़ता है । क्या मंत्री जी दफ्तरों में धूम्रपान को कतई बैन करने के लिये कोई कदम उठायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान टोटल तो बैन नहीं है लेकिन पूछ कर पीने की बात है। हर सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कि धूम्रपान इंज्यूरियस है।

श्री अमर चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आगरा की ओर ले जाना चाहूंगा कि वहां के ताजमहल की सुरक्षा के लिए आगरा में 50 कि0 मी0 तक क्या आप धूम्रपान पर निषेध लगाने का प्रयत्न करेंगे?

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि बीड़ी और सिगरेट पर लिखा होता है कि इसका सेवन करना इंज्यूरियस है, लेकिन फिर भी क्या इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हूं जैसे मा0 सदस्य बीमार हुए तो मैंने कहा कि बीड़ी पीना छोड़ दीजिये। लेकिन अभी भी वे बैठे-बैठे बगल वाले मा0 सदस्य से लेकर तम्बाकू खा रहे थे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

जनपद हरदोई में नारायणपुर के विवादास्पद हैण्डपम्पों की जांच

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नारायणपुर विकास खण्ड सण्डीला हरदोई के कुछ हरिजनों ने अधिशासी अभियन्ता जल निगम हरदोई को दिनांक 11-5-87 को पत्र लिख कर उक्त ग्राम में अभाव ग्रस्त क्षेत्र हेतु लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में शिकायत की है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर जांच करा-कर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

जी हां।

विवादास्पद हैण्ड पम्पों पर कार्य रोक दिया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो हैण्ड पाईप गांवों में लगाये जा रहे हैं उनके सिलसिले में प्रधानों को अधिकृत किया गया है। प्रधान लोग जहां चाहते हैं हैण्ड पाइप लगवा देते हैं। आम तौर से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ये लगवाये जाते हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्ले में या बस्तियों में लगवाने की प्राथ-मिकता जो होनी चाहिए उसका पालन नहीं हो रहा है बल्कि प्रधान के घरों में ही हैण्ड पाइप लगवा दिये गये हैं चाहे उनके घर में कुआं भी हो तब भी। इस प्रश्न से संबंधित प्रधान के घर में भी कुआं है परन्तु उसने अपने घर में हैण्ड पाइप लगवा लिया है।

श्री अध्यक्ष—

नगर विकास का और ग्राम प्रधान का क्या ताल्लुक?

श्री राम आसरे वर्मा—

हैण्ड पाइप से तो ताल्लुक है? इसके लिए स्थल चयन का संबंध है। क्या हैण्ड पाइप लगाने के लिए स्थल चयन में माननीय विधायकों की संस्तुति को आधार बनाने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

माननीय वहां पर 5 पम्प लगाने का प्रस्ताव था जिसमें से दो पम्प लगे उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया प्रधान और पब्लिक के बीच में। प्रधान एक जगह के लिए कहता था तो पब्लिक दूसरी जगह के लिए कहती थी। जब ऐसी स्थिति होती है, तो बी0डी0ओ0 या डी0 एम0 से कहा जाता है कि इसको देखें और अपनी रिपोर्ट दें, वहां के लोगों से बात करें और जहां पर लोगों की राय हो वहां पर लगा दिया जाये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा नीतिगत प्रश्न है। मान्यवर, स्थल चयन की जिम्मेदारी प्रधान को दी गयी है। गांवों में पार्टी बन्दी होती है और प्रधान अपने अधिकार को दुरुपयोग करते हैं, तो प्रधान अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सकें और उससे पात्र व्यक्ति फायदा

उठा सकें, तो क्या स्थल चयन के सिलसिले में सम्बन्धित विधायक की संस्तुति को आधार माना जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, वहां पर जांच करा ली जाती है और उपयुक्त स्थान पर लगवा दिया जाता है। जहां तक स्थानीय विधायक से राय लेने का प्रश्न है, उससे भी राय ली जाती है।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय वर्मा जी ने प्रश्न किया और वह बराबर पूछ रहे थे कि आपने ग्राम प्रधानों को स्थल चयन के लिए अधिकृत कर दिया है, तो ग्राम प्रधान अपने इस अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप कभी गांवों में दौरा करने जाये तो आपको मालूम हो जायेगा कि जगह-जगह पर झगड़े होते हैं। गांवों में गुटबन्दी रहती है, वहां पर दो पार्टियां रहती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि ग्राम प्रधान हैण्ड पम्प अपनी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति के मकान के सामने या अपने घर के सामने लगवाता है। इस कारण गांवों में जातीय विवाद उत्पन्न हो गये हैं आप इनको दूर करने के लिए एक सरकुलर भिजवा दीजिये कि स्थल चयन के बारे में स्थानीय विधायक से भी राय ली जायेगी और उसकी राय को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जायेगा।

(प्रश्न सं0 2 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न नीतिगत है, दो चार माननीय सदस्य और प्रश्न करना चाहते हैं, उनको प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों को देखें और उनके अन्तर्गत कार्य करें। माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया है कि आपके सुझाव को गम्भीरता से विचार कर लिया जायेगा। इसको वह अकेली नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ग्राम्य विकास मंत्री जी से भी यह ताल्लुक रखता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जी नहीं, जी नहीं . . .

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा लगाये जाते हैं।

एक सदस्य–

मान्यवर, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री सत्य पाल सिंह–

मैंने कई बार कहा है कि मेरा माइक ठीक करा दिया जाये, लेकिन ठीक नहीं कराया जाता है, मैं इसी पर बोल रहा हूं। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि इस प्रश्न को लेकर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात की इच्छा प्रकट की है, जहां पर पार्टीबन्दी हो, वहां पर विधायक की राय को माना जाये और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जायेगा, तो मान्यवर माननीय मंत्री जी यह बता दें कि विचार करके वह कब तक निर्णय ले लेंगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जब तक इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था करते हैं तब तक आप ऐसी राजाज्ञा भेजने की कृपा करेंगे कि जो विवादग्रस्त नलकूप हैं उनको लगाने में वहां के विधायकों की बात को प्राथमिकता दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस पर जल्दी ही निर्णय ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नल जो बहुत खराब पड़े हुये हैं, उस पर हमें भी एक सवाल की इजाजत दे दीजिये . . . (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानते हुए आज प्रदेश के प्रत्येक गांव में जो अभाव और समस्याग्रस्त गांव हैं वहां जल निगम द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, वे खराब पड़े हुये हैं और वे पानी छोड़ रहे हैं। उनको बनवाने के लिए बार-बार लिखा भी गया है और जिला स्तर के अधिकारियों से भी कहा गया, किन्तु वे ठीक नहीं कराये जा रहे हैं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री नरेन्द्र देव–

जो बिगड़े हुये हैण्ड पम्प में उनको बनवाने के लिए कोई स्पष्ट प्राविधान किया गया है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, माननीय सदस्य उन हैण्ड पंम्प का नाम बता दें जो-जो खराब पड़े हुये हैं, उनको ठीक करा देंगे। . . . (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। गांवों में जो हैण्ड पम्प लगे हुये हैं वह 12 हजार से 15 हजार तक के होते हैं। उनका खुला दुरुपयोग हो रहा है। जो हैण्ड पाइप हमारे यहां लग रहे हैं उनकी हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमें कोई पावर्स नहीं हैं। मंत्री जी ने कहा कि विधायकों की संस्तुतियों को भी कंसीडर किया जायेगा। हम किससे कहें। किस जे0 ई0, ग्राम प्रधान यह पंचायत सेक्रेटरी से कहें। यह सब अप-सेट हो रहा है। इसलिए मान्यवर, आप हमारा संरक्षण करें। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या विवादग्रस्त स्थानों के चयन में विधायकों की संस्तुति अंतिम मानी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विधायकों सं भी पूछा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उनसे न पूछा जाता हो . . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सब तरफ से खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री, स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि आप विधायकों की राय को प्राथमिकता देंगे या नहीं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, अभी तक जो है वह प्रधानों की राय लेने की व्यवस्था है। जैसा कि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसमें अकेले उनके विभाग का सम्बन्ध नहीं है, इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग से भी परामर्श करना पड़ता है। . . . (व्यवधान)। मान्यवर, मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की। . . . (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया शांति से सुनें। जब आप सुनेंगे नहीं तो उसको कैसे समझेंगे?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, हम लोग क्षेत्रों में घुस नहीं पाते हैं। इस पर निर्णय लेने में कितना समय लग जायेगा . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस पर माननीय विधायकों की परामर्श अवश्य लिया जायेगा। . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसमें विधायकों से भी परामर्श लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इस समय आप हम लोगों के संरक्षक की तरह हैं (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं बुलाया है (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

किसको बुलाया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे देख लेने दीजिये, पहले सब शान्त तो हों (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, हम लोगों का क्षेत्र में जाना कठिन हो रहा है (व्यवधान) (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा कर बैठें। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सदन की भावना को देखते हुए मैं इसमें एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपा कर बैठें। यह आपके ही हक में है, इस पर चर्चा हो जायेगी।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारने पर)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये मैं एक जानकारी चाहता हूं। आपने पहले समय दिया है। मैं बहुत कम बोलता हूं। फिर परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष–

आप तो डाक्टर हैं, नियमों के जानकार हैं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं इजीनियर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक घंटे की चर्चा किस पर दे दी। विधान सभा का बहुमूल्य समय होता है।

[x x x]

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। हम पहले 301 ले लें तब उसके बाद.....

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :–तारा0 प्रश्न संख्या 3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मा0 सदन में मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मुझको यह मालूम हुआ है कि माननीय सदस्य श्री बृहमदत्त जी मुख्य मंत्री का चार्ज लेने आए हैं। वह लाबी में बैठे हैं .....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। वर्क साहब, आपकी क्या व्यवस्था है? मनोहर लाल जी, आप कृपा करके बैठें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को हटाया जा रहा है। बृहमदत्त जी मुख्य मंत्री होने वाले हैं...

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप बैठ जायें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

शासन द्वारा सी श्रेणी के वाटरवर्क्सों को बी श्रेणी में उच्चीकृत किए जाने का आधार

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी श्रेणी के वाटरवर्क्सों को बी श्रेणी में उच्चीकृत किए जाने का आधार क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पीलीभीत, बाराबंकी तथा बहराइच जलकलों की तुलना में सीतापुर तथा लखीमपुर में कनेक्शन संख्या, राजस्व प्राप्ति नलकूपों तथा जलकलों के उपप्रतिष्ठानों की संख्या अधिक होने के बाद भी इन्हें (सीतापुर तथा लखीमपुर को) अभी तक उच्चीकृत न किए जाने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मुख्य आधार इस प्रकार है :–

जलकल प्रतिष्ठान वर्ष 1960 के बाद स्थापित किया गया हो और पूंजीगत परिव्यय 15 लाख रुपये से अधिक हो,

जलकल प्रतिष्ठान से गत तीन वर्षों की कुल वार्षिक औसत आय 1.5 लाख रुपये से कम न हो,

बिछी हुई पाइप लाइन की लम्बाई 15 मील से कम न हो,

दो हजार से कम पानी के कनेक्शन न हों,

वर्ष में प्रतिदिन औसत दैनिक पानी की सप्लाई एक मिलियन गैलन से कम न हो,

जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 15 हजार (स्थाई) तथा 30 हजार (ग्रीष्म कालीन मौसम) से कम न हो तथा सम्बन्धित नगर-पालिका प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि जलकल प्रतिष्ठान के उच्चीकरण के लिए सम्बन्धित पालिका का प्रस्ताव निर्धारित सूचना के साथ आना चाहिए।

सीतापुर जलकल प्रतिष्ठान को उच्चीकृत न किये जाने का मुख्य कारण सम्बन्धित पालिका से उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होना है । पूर्व में लखीमपुर नगरपालिका द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति न किये जाने के कारण इसके जलकल प्रतिष्ठान को "बी" श्रेणी में उच्चीकृत नहीं किया जा सका। वर्तमान में पालिका से अभी तक इसके जलकल प्रतिष्ठान को उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर उच्चीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

[बृहस्पतिवार, दिनांक 2 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरिद्वार कुम्भ मेले हेतु आवंटित धनराशि का कथित दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही की मांग

*1–श्री गोपाल दास यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार कुम्भ मेला 1986 में मेला बजट पर कितना रुपया स्वीकृत हुआ था? क्या यह भी सही है कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जो सामग्री लाखों रुपयों की खरीदी गई थी उसका भुगतान हो जाने के बाद उसमें सभी पाइप नकली पाए गए और वह काम में नहीं लाये जा सके? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी को क्या सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

*2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[दिनांक 25-7-85 को ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मथुरा स्थित डेरी फार्म के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल का निर्णय

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मथुरा स्थित माधुरी कुण्ड कृषि फार्म के अधिक रकबे पर विलायती बबूल खड़े हैं? यदि हां, तो क्यों? शासन इस फार्म को तथा डेरी फार्म को विकसित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

डेरी फार्म के जानवरों के चारागाह, उन्हें घुमाने-फिराने तथा ब्रूसलासिस बीमारी से प्रभावित जानवरों को अलग रखने के प्रयोग में लाये जाने वाले क्षेत्र पर, स्वतः उग आने के कारण। फार्म को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है, जिससे बीज उत्पादन एवं कृषि अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। डेरी फार्म में आय से अधिक व्यय होने के कारण, उसे विकसित न करके समाप्त करने का निर्णय विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ में टी0 एण्ड वी0 स्कीम लागू करने की मांग

*4–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में भ्रमण और प्रशिक्षण पद्धति (टी0 एण्ड वी0) को संचालित क्यों नहीं किया गया जबकि अलीगढ़ जनपद में क्रियान्वित "सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना" के अन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ और इनफ्रास्ट्रक्चर है, वहां इस योजना के साथ टी0 एण्ड वी0 स्कीम लागू करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यदि हां, तो क्या अलीगढ़ में टी0 एण्ड बी0 स्कीम लागू करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रशिक्षण एवं सम्पर्क (टी0 एण्ड वी0 योजना) पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार मण्डलों में लागू करने का आधार निम्नलिखित है :–

(1) प्रदेश की औसतन 69% जोत आकार में एक हेक्टेयर से कम है, जब कि चयनित क्षेत्रों में 76% जोत एक हेक्टेयर से कम है अर्थात् परियोजना क्षेत्र में सीमान्त कृषक अधिक संख्या में है।

(2) चयनित क्षेत्रों में चावल, गेहूं, तिलहन आदि फसलों की उत्पादकता इन फसलों के पूरे प्रदेश की उत्पादकता से कम है।

परियोजना क्षेत्र के चयन का आधार केवल स्टाफ, इनफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता नहीं है, जनपद अलीगढ़ में सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना पहले से ही चलाई जा रही है। वर्तमान में अलीगढ़ को टी0 एण्ड वी0 परियोजना में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

*5–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति में सचिव पद हेतु निर्धारित अर्हता

*6–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम एवं मण्डी समितियों की स्थापना में समस्त योगदान कृषि विभाग व वर्तमान कृषि विपणन विभाग के होने पर कृषि सचिवों के समस्त पदों पर पद धारक पैत्रिक विभाग से लिए जा रहे थे तथा संगठन सुदृढ़ हो जाने पर उत्तम कार्यकर्ताओं को बिना कोई कारण बताये अनुपयुक्त कर दिया गया और अब बिना कृषि की योग्यता के लोगों को भर्ती करने का क्या औचित्य है? क्या सरकार कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में कृषि की योग्यता के लोगों को रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीकृत) सेवा विनियमावली, 1984 में सचिव पद के लिए अनिवार्य अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

की उपाधि एवं अधिमानी अर्हता कृषि, कृषि विपणन, अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक उपाधि की निर्धारित योग्यता के अन्तर्गत भर्ती की गयी है।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

बरेली स्थित राजकीय मानसिक चिकित्सालय की उपचार व्यवस्था

*7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित राजकीय मानसिक चिकित्सालय में इस समय कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इलाज पूरा होने के बाद अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया और इस कारण चिकित्सालय में नए रोगियों की भर्ती तथा इलाज में भारी व्यवधान पड़ा हुआ है एवं उपचारित रोगियों के पुनः विक्षिप्त हो जाने की भी आशंका है? क्या मंत्री जी तत्काल उपचार से ठीक हुए व्यक्तियों को उनके घर भेजने तथा पुनर्वासित कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ठीक हुए इन पूर्व रोगियों में से कितने सामान्य मानसिक रोगी थे तथा कितने क्रिमिनल मानसिक रोगी थे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दिनांक 24-6-87 तक 90 पुरुष तथा 36 महिला रोगियों के घर जाने हेतु बोर्ड आफ विजिटर्स द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, किन्तु रोगियों के अभिभावकों अथवा पुलिस स्कार्ट के न आने के कारण उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सका है। रोगियों के अभिभावकों के आते ही उन्हें चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया जायेगा। नये रोगियों की भर्ती में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों कि शैय्यायें उपलब्ध हैं। उपचारित रोगियों के पुनः विक्षिप्त होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु चिकित्सालय की ओर से रोगियों को पुनः विक्षिप्त न होने देने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

रोगियों के अभिभावकों तथा संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट आदि को डिस्चार्ज कराने हेतु सूचित किया जा चुका है। अभिभावकों के आते ही रोगियों को उनके साथ डिस्चार्ज कर दिया जायेगा। मानसिक चिकित्सालय में उपचारित रोगियों के पुनर्वासित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक हुए सभी मानसिक रोगी सामान्य श्रेणी के हैं।

नगर पालिका मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ द्वारा अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कथित शिकायती पत्र

*8—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मऊनाथ भंजन द्वारा सरकारी अनुदान के दुरुपयोग किये जाने के संदर्भ में श्री हरिद्वार राय, महामंत्री, भ्रष्टाचार निरोधक समिति मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ उ0 प्र0 का दिनांक 14-5-85 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, फिरोजाबाद, आगरा द्वारा भवनों का आवंटन

*9–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में वर्ष 1976, 1977 एवं 1978 में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने नागरिकों के आवास हेतु भूखण्ड एवं भवन आवंटन हेतु अनुबन्ध कर अग्रिम धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया था? यदि हां, तो क्या पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड एवं भवनों का आवंटन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

फिरोजाबाद में नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 के बीच पहली बार पंजीकरण खोला गया था।

नियमानुसार समस्त पंजीकृत क्रेताओं को, जिन्होंने सहमति व्यक्त की थी भवनों का आवंटन किया जा चुका है, भूखण्डों का आवंटन दिनांक 27-6-87 को नियत था किन्तु वह स्थगित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों में जल भराव के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नगर विकास सचिव को सितम्बर, 86, नवम्बर, 86 तथा 27 मार्च, 87 को इलाहाबाद जनपद के जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर, बैरहना, मलाकराज, सोहबतियाबाग आदि के जल भराव के सम्बन्ध में दिये गये पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शासन स्तर से उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

*11–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भूतपूर्व विधायकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा

*12–श्री मूल चन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1986 से भूतपूर्व विधायकों को स्वास्थ्य सम्बन्धित जो दवाएं मिलती थीं वह बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो उसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पेंशन प्राप्त भूतपूर्व विधायकों को राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा पूर्ववत् अनुमन्य है। अत: किसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पारस नाथ विश्वकर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, वि0 खण्ड सांथा, बस्ती के विरुद्ध शिकायत की जांच

*13–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सियाकटाई, वि0 खं0 सांथा, जनपद बस्ती के किसानों को छूट की खाद दिये जाने से सम्बन्धित सा0 वि0 अ0 तथा सीड स्टोर इंचार्ज द्वारा अनियमितता बरते जाने की सूचना देते हुए वितरण की जांच कराये जाने की प्रश्नकर्ता ने परियोजना अधिकारी (कृषि), बस्ती से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई और जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

अपर जिला कृषि अधिकारी, बस्ती द्वारा प्रारम्भिक जांच कराई गई। प्रारम्भिक जांच आख्या के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, श्री पारस नाथ विश्वकर्मा, विकास खण्ड, सांथा ने ग्राम सियाकटाई के कृषकों को अनुदान पर उर्वरक दिलाने के कार्य में उदासीनता बरती है जिसके कारण कृषक शासन द्वारा देय अनुदान से वंचित रह गये हैं तदनुसार ग्राम विकास अधिकारी, श्री पारस नाथ विश्वकर्मा को मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती द्वारा आरोप पत्र दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेपर मिल कालोनी, लखनऊ को पेय जल व्यवस्था

*14–कर्नल केशरी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री के संज्ञान में है कि लखनऊ शहर के पेपर मिल कालोनी में प्रथम तल पर रहने वालों को वर्ष भर लगातार पानी की गम्भीर समस्या रहती है और जाड़ों में भी उनके आवास की टंकियों में पानी कभी नहीं चढ़ता है और प्रश्नकर्ता के गत वर्षों में जल संस्थान के इंजीनियर इन्चार्ज से बार-बार अनुरोध करने पर भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया है? क्या शासन इस के समाधान के लिए कुछ कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

इसके राहत हेतु वर्ष 1985 में एक नलकूप चालू किया जा चुका है। अवर जलाशय तथा वितरण प्रणाली का कार्य शेष है जो धनाभाव के कारण नहीं हो पाया है।

राजकीय अस्पतालों के चिकित्सा शुल्क में वृद्धि

*15–श्री बदन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अब तक राजकीय अस्पतालों में रोगियों पर दवा, भोजन आदि का व्यय शासन वहन करता था ? यदि हां, तो अब रोगियों से राजकीय अस्पतालों में दवाओं का पर्चा और पलंग एवं भोजन आदि के व्यय को रोगियों से वसूलने का क्या औचित्य है और क्या सरकार रोगियों से इस प्रकार से नये लगाये गये व्यय भार को वापस लेने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय अस्पतालों में दवा, भोजन इत्यादि के व्यय का कुछ अंश रोगियों से पूर्व से ही वसूल किया जाता रहा है। अब राजकीय चिकित्सालयों में गुणात्मक सुधार लाने तथा प्रदेश की जनता की चिकित्सा सम्बन्धी अपेक्षायें पूर्ण करने के उद्देश्यों से शुल्क में सीमित वृद्धि की गई है। यह शुल्क इतने कम स्तर पर रखे गये हैं कि जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले रोगियों पर विशेष व्यय भार न पड़ने पाये । ये शुल्क शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त लगाए गए हैं, अतः इन्हें वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

देहरादून नगर पालिका के नजूल सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा

*16–श्री राम नरेश यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर में सरकारी नजूल लैण्ड पर पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भी अनाधिकार रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है एवं अधिकारी नये सिरे से पट्टा न करके जानबूझ कर सरकार को लाखों रुपया का नुकसान करा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त सभी जमीनों को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर विधिवत पट्टा करेगी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

देहरादून नगरपालिका सीमा के अन्दर अभी तक केवल 19 नजूल सम्पत्ति के पट्टों की 90 वर्ष की अवधि पूर्णतया समाप्त हो गई है। समाप्त पट्टों के स्थान पर नया पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जिन मामलों में नजूल भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, उनमें कब्जेदार को बेदखल किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। बेदखल न किये जाने की दशा में दण्डनीय दर पर अनधिकृत कब्जे को विनियमित किये जाने के निर्देश भी हैं। जिलाधिकारियों से यह भी कहा गया है कि भविष्य में नजूल भूमि का सत्यापन समय-समय पर करें, ताकि अनधिकृत कब्जे को बढ़ावा न मिले । जो नजूल भूमि रिक्त पड़ी हुई है अथवा भविष्य में रिक्त होगी, उनका निस्तारण या तो नीलामी द्वारा किया जायेगा या देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण को अपनी योजनाओं के सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार पट्टे पर दिये जाने पर विचार किया जायेगा । किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*17–श्री जयदीप सिंह बरार–

[10वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*18–श्री महेन्द्र भाटी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*19–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*20–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

अतारांकित प्रश्न

1–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नगर पालिका, बदायूं की पेय जल व्यवस्था

2–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बदायूं में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है जिससे शहर के लोगों को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से तुरन्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–चौधरी भगवती प्रसाद–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4–चौधरी भगवती प्रसाद–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

पी0 एम0 एच0 एस0 सम्वर्ग के स्केलों में आरक्षण व्यवस्था

5–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0 एस0 संवर्ग में सीनियर स्केल व अपर निदेशक स्केल में कितने पद अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु आरक्षित हैं, इनमें से प्रत्येक स्केल में इस समय कितने पद अग्रनीत, वर्तमान में आरक्षित हैं ? विभाग उन रिक्तियों को आरक्षित वर्ग के अधिकारियों से भरने के लिए क्या कदम उठा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

6–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

इलाहाबाद जनपद में ब्लड बैंक हेतु लाइसेन्स

7–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ब्लड बैंक के लिये 85-86 में कितने लाइसेन्स दिये गये और क्या यह पर्याप्त है? यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार और क्या उपाय कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इलाहाबाद जनपद में ब्लड बैंक के लिए वर्ष 1985-86 में कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया । उपचार सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह सुविधा अपर्याप्त है । स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ने ब्लड बैंक हेतु लाइसेन्स दिये जाने

के लिए आवेदन पत्र दिया है । इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को ब्लड बैंक चलाने हे लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये गये हैं ।

8—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 चेचक पर्यवेक्षक संघ का अनियमितताओं के सम्बन्ध में ज्ञापन

9—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-3-86 एवं 7-4-86 क उ0 प्र0 चेचक पर्यवेक्षक संघ का कोई ज्ञापन स्वास्थ्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किस-किस अनियमितता का उल्लेख है तथा उसके निराकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 14-7-86 तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री एस0 एस0 वर्मा (चेचक पर्यवेक्षक) का कोई ज्ञापन दिनांक 27-6-86 को स्वास्थ्य सचिव एवं दिनांक 14-7-86 को उ0 प्र0 चेचक पर्यवेक्षक संघ का कोई ज्ञापन उन्हें भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख है ? क्या शासन ने उसकी जांच करायी है तथा दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

बस्ती जनपद की साधन सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से उर्वरक ऋण पर लिया गया फसल बीमा प्रीमियम

10—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के साधन सहकारी समिति सोहना व राजकोट तथा अन्य साधन सहकारी समितियों के माध्यम से जो उर्वरक रबी व खरीफ में वितरित किये गये थे, उन पर समिति के माध्यम से ऋण लेने वाले कृषकों से फसल का बीमा के लिए भी प्रीमियम प्रति बोरे के हिसाब से लिया गया था? यदि हां, तो क्या साधन सहकारी समिति, गौरा, विकास खण्ड खुनियांव, जनपद बस्ती के ग्राम एकडेगवां के कृषकों की फसल के जल जाने से हुई क्षति की पूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो वह कितने रुपये की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

जनपद में साधन सहकारी समिति लि0 सोहना व राजकोट नाम की कोई समिति कार्यरत नहीं है । अन्य समितियों द्वारा कृषकों को वितरित उर्वरक ऋण के 15% धनराशि पर 2% की दर से प्रीमियम कृषकों से लिया गया, प्रति बोरे की दर से नहीं लिया गया ।

जी नहीं ।

क्योंकि जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन की शर्तों के अनुसार दैवी आपदा बाढ़ एवं सूखा से किसी तहसील की फसल, क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले वर्ष की औसत उपज से हुई पैदावार से कम हो तो ऐसी दशा में जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी द्वारा क्लेम का भुगतान किया जाता है । तहसील की औसत उपज कम न होने के कारण ही ग्राम एवडेगवा साधन सहकारी समिति गौरा के कृषकों की क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा नहीं की गई है।

11–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

12–श्री हर्ष वर्धन–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद बस्ती की साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मनंतापुर द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के उर्वरक वितरण में की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

13–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे शुक्र के अतारांकित प्रश्न सं0 171 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22-11-85 से 25-12-85 के बीच अरविन्द सिंह पुत्र राम शंकर सिंह तथा राम शंकर सिंह पुत्र सरस्वती सिंह (पुत्र एवं पिता) को क्रमशः तीन एकड़ एवं पांच एकड़ भूमि दिखाकर लघु कृषक की सीमा में छूट पर खाद उपलब्ध कराई गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिता पुत्र दोनों ही जोत हदबन्दी सीमा के अन्तर्गत आते हैं और इनके विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो यह दोनों व्यक्ति किस प्रकार पात्र व्यक्ति में आते हैं तथा क्या इससे शासन की नीतियों का जो उल्लंघन किया गया है, उसके लिए सचिव के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारिता विभाग द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक अनुदान वितरण की नीति

14–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-11-85 से 3-2-86 तक सीमान्त तथा लघु कृषकों को उर्वरक के मूल्य में दिए गए छूट की योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति एकड़ कुल कितने मूल्य की कौन-कौन सी कितनी-कितनी खाद किस अनुदान सीमा तक कृषकों को दिए जाने हेतु नीति निर्धारित की गई थी ? क्या मंत्री जी विभाग द्वारा भेजे गये परिपत्र संख्या आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

शासनादेश सं0-12360/12-2-85 11(18)/85, दिनांक 20-12-85 एवं शासनादेश सं0-12402/12-2-11 (10)/85, दिनांक 27 दिसम्बर, 1985 द्वारा प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित 54 जनपदों के सभी गांवों के लघु एवं सीमान्त कृषकों को तीनों प्रकार के रसायनिक उर्वरकों (एन0 पी0 के0) पर 50% की अनुदान देने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे । अनुदान की अधिकतम सीमा लघु एवं सीमान्त

कृषकों के लिये रु0 600/- प्रति हेक्टर शासन द्वारा निर्धारित की गई थी । इस संबंध में जारी किए गए आदेश किसी भी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष में देखे जा सकते हैं ।

15–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[दिनांक 19-9-86 को अता0 प्र0 सं0 171 द्वारा उत्तरित]

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0 प्र0 के लेखा परीक्षकों का सेवा से कथित त्याग पत्र

16–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश में नियुक्त कितने लेखा परीक्षकों ने अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में निदेशक के अप्रत्याशित व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने 1-1-1987 को सेवा से त्याग पत्र दे दिया ? यदि हां, तो उनके त्याग-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं, दिनांक 1-1-1987 का कोई त्याग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है।

17–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

18–श्री भगौती सिंह –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

19–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

20–श्री राज किशोर सिंह –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

21–22–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

23–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में ऊसर सुधार योजना की व्यवस्था

24–श्री रघुवर दयाल वर्मा –

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बढ़ते ऊसर-बंजर रेह से उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए और कितनी भूमि ऊसर-बंजर और रेह से मुक्त की गई तथा वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में कितना धन व्यय हुआ ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

प्रदेश में बढ़ते ऊसर-बंजर रेह से उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए ऊसर सुधार की एक योजना वर्ष 1977-78 से 36 जनपदों में चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत 3 हेक्टर से कम जोत वाले कृषकों को मृदा सुधारक के मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है तथा अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 1.06 लाख हेक्टर ऊसर भूमि का सुधार किया गया है । एक अन्य 58.380 हेक्टर की, ऊसर सुधार की योजना भारत सरकार की सहायता से 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्य-काल में वर्ष 87-88 से प्रदेश में चलायी जा रही है ।

इस योजना में निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :–

वर्ष	व्यय की गई धनराशि (लाख रु0 में)
1984-85	94.13
1985-86	83.08
1986-87	150.50

आगरा महानगर के कक्ष ताजगंज में जल आपूर्ति व्यवस्था

25–श्री रघुवर दयाल वर्मा –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा महानगर के कक्ष ताजगंज की आबादी को जल आपूर्ति हेतु जल संस्थान, आगरा वाटर वर्क्स से तीस इंच चौड़ी पाइप लाइन डाली गई है ? यदि हां, तो उसमें आज तक जल चालू न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

जी हां ।

पाइप लाइन में त्रुटियां हैं।

26–27–श्री मित्रसेन –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

28–श्री मित्रसेन –

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

29–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 जल निगम में मुख्य अभियन्ता के पद पर आरक्षण

30–श्रीमती शारदा देवी –

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में कुल कितने मुख्य अभियन्ता हैं तथा उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु शासन ने क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

उत्तर प्रदेश जल निगम में दो मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं 9 मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (अपर/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता) हैं जिनमें अनुसूचित जाति का कोई भी नहीं है ।

उक्त पद प्रोन्नत का पद है जिन पर पदोन्नति हेतु कोई अनुसूचित जाति का अर्हित अभियन्ता पात्रता क्षेत्र तथा निर्धारित माप दण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजन क्षेत्र सिंह, दैनिक श्रमिक राजकीय उद्यान, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

31–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय उद्यान गोरखपुर के माली सर्व श्री मुहम्मद ईदू, काशी, हीरा लाल आदि ने दैनिक श्रमिक श्री राजन क्षेत्र सिंह के विरुद्ध अधीक्षक राजकीय उद्यान गोरखपुर की सेवा में दिनांक 23-10-86 को कोई शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों में कौन-कौन सी शिकायतें सच पाई गईं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायतें सत्य नहीं पाई गईं । अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित बीजों को औसत मूल्य पर बिक्री

32–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राजकीय प्रक्षेत्रों का उत्पादित बीज बिना लाभ हानि के बेचने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उन प्रक्षेत्रों का बीज भी गोरखपुर में ऊंची दरों पर क्यों बेचा जा रहा है ? शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

प्रदेश की बीज की मांग की पूर्ति हेतु विभागीय प्रक्षेत्र पर उत्पादित बीजों के अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम तथा भारतीय प्रक्षेत्र निगम से भी बीज क्रय कर कृषकों को विभागीय बीज भण्डारों से वितरित किया जाता है । इन संस्थाओं से जो बीज क्रय किया जाता है उसकी दरें विभागीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीजों की विक्रय दरों से अधिक होती है तथा जिला स्तर पर एक ही बीज भण्डार पर एक ही प्रकार के बीजों के दो भिन्न-भिन्न मूल्यों पर बिक्री न किया जाए, की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार के बीजों के मूल्यों को मिलाकर उनका औसत मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

33–श्री मित्रसेन –

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

34–श्री राम नरेश यादव –

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मैनपुरी के कतिपय विकास खण्डों की हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना

35–श्री राम नरेश यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की हरिजन बस्तियों में शिकोहाबाद तह0 के ब्लाक शिकोहाबाद मदनपुर हथवन्त एवं अरांव में कितने गांवों में पीने के पानी के लिए 85-86 में कुल कितने हैण्ड पम्प लगाने की योजना थी और अब तक कितने लगे और शेष कब तक लग जायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्न में संदर्भित तहसील/विकास खण्ड जनपद एटा में न होकर जनपद मैनपुरी में है । जनपद मैनपुरी की शिकोहाबाद तहसील के ब्लाक शिकोहाबाद, मदनपुर, हाथवन्त (यह विकास खण्ड तहसील जसराना में है) एवं अरांव में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रमशः 33, 17, 31 एवं 9 ग्रामों की हरिजन बस्तियों में वर्ष 85-86 में पीने के पानी के लिए क्रमशः 33, 17, 31 एवं 9 हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना थी एवं प्रस्तावानुसार समस्त हैण्ड पम्प उसी वर्ष में पूर्ण करा दिये गये हैं ।

36–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दिनांक 18-6-87 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ स्थित कुर्मान्चल नगर, सर्वोदय नगर तथा शक्ति नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्ताव

37–श्री जागन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी से लगे हुए कुर्मान्चल नगर, सर्वोदय नगर तथा शक्ति नगर की जनता के लिए सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार यह व्यवस्था कर सकेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्नगत कालोनियां पूर्णतया अवैधानिक हैं ।

प्रश्नगत मोहल्लों के नियमितीकरण के उपरान्त ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकता है ।

38–श्री काशी सिंह ऐरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, कृष्णानगर, मथुरा के स्थानान्तरण का प्रस्ताव

39–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णानगर मथुरा में कोई राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? प्रतिमाह इसमें कितने मरीजों को दवा दी गई ? क्या स्वास्थ्य मंत्री इसको देहाती क्षेत्र में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, जनवरी 26, 1985 से ।

इसमें 434 से 706 मरीजों को प्रतिमाह दवा दी गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार के चिकित्सालयों की स्थापना और स्थानान्तरण का विषय जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है और जब तक जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति मथुरा द्वारा इसके स्थानान्तरण की संस्तुति न की जाय तब तक चिकित्सालय का स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामशंकर त्रिपाठी, मण्डी सचिव, राठ (हमीरपुर) के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

40–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शोभ नाथ उप निदेशक (प्रशासन) ने पत्रांक प्र0 अ0/व्य0प0/84-2265 दिनांक 31 अगस्त, 1984 के द्वारा श्री रामशंकर त्रिपाठी सचिव मण्डी समिति कालपी (जालौन) को उनके द्वारा मण्डी सचिव राठ (हमीरपुर) के पद के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो वह क्या है और जांच में आरोप के कितने बिन्दु सिद्ध पाए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

उस पत्र में श्री त्रिपाठी से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था । प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त श्री त्रिपाठी विनियमन प्राविधानों का उल्लंघन करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने अधिकारों के अतिक्रमण के दोषी पाए गए और उसके लिए उन्हें विनिन्दा का दण्ड दिया गया ।

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव को इन्दिरा नगर में आवंटित भवन पर कब्जा

41–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव जिनको कि दिनांक 11-6-85 को लाटरी में एल0 आई0 जी0 भवन संख्या ए 915/6 इन्दिरा नगर, लखनऊ में आवंटित हुआ है, को अभी तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया जबकि श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 26-7-85 को नकद 74475/- रुपया जैसा कि आवास विकास परिषद् का आदेश था, समय से जमा कर दिया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव को इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थित एल0 आई0 जी0 भवन संख्या ए-915/6 का कब्जा दिनांक 11-4-86 को दिया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर, की टाउन एरिया गोला में तहबाजारी शुल्क में बरती गई अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत

42—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला में टी0 ए0 द्वारा लगाई गई तहबाजारी शुल्क की रेट तालिका बोर्ड कहीं नहीं लगवाई गयी है और वहां का टी0 ए0 ठेकेदार तहबाजारी बिना किसी वैध रसीद के वसूली करता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? सरकार इस दुर्व्यस्था को कब तक दूर कर देगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के सहकारी संघ पथरा बाजार द्वारा कृषकों से खरीदे गये धान का भुगतान

43—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के सहकारी संघ पथरा बाजार के धान क्रय केन्द्र द्वारा वर्ष 85-86 में खरीदे गए धान का किसानों को मिले अस्सी हजार के चेकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, ? तो इसका क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

बस्ती जिले के सहकारी संघ पथरा बाजार के धान खरीद केन्द्र पर वर्ष 1985-86 में खरीदे गये धान के विरुद्ध 78,662.08 रु0 का भुगतान 28 कृषकों को होना था। दिनांक 22-1-87 तक उपरोक्त 28 कृषकों में से 23 कृषकों को 49,962.08 रु0 का भुगतान कर दिया गया है। केवल 5 कृषकों को 28,699.40 रु0 का भुगतान करना शेष रह गया था जिसकी जांच जिला सहायक निबन्धक द्वारा करायी गयी जिसमें यह पाया गया कि उक्त चेकें फर्जी हैं। अतः रु0 28,699.40 का भुगतान सम्भव नहीं है।

श्री निजामुद्दीन चपरासी, नगरपालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद की प्रोन्नति

44—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका छिबरामऊ में श्री राम सेवक पुत्र दुलारे लाल टोल चपरासी जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है और नियुक्ति 1962 में हुई थी, की वरिष्ठताक्रम को क्रास कर श्री नियाजुद्दीन टोल चपरासी जिसकी नियुक्ति 1977 में हुई थी, की नायब कर व राजस्व मुहर्रिर पद पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, श्री निजामुद्दीन, चपरासी की प्रोन्नति नायब कर एवं राजस्व मुहर्रिर के पद पर की गई है। श्री राम सेवक प्रोन्नति के लिये अर्ह नहीं पाये गये।

नगर पालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

45–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कुल कितने कर्मचारी हैं उनमें से कितने कन्फर्म हैं, जो कन्फर्म नहीं हैं उनके कन्फर्म न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका छिबरामऊ में कुल 148 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं ।
34 कर्मचारी ।

कार्य में अक्षम होने या आचरण ठीक न होने या चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने अथवा उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कन्फर्म नहीं किया जा सका है ।

टाउन एरिया तालग्राम, फर्रुखाबाद में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

46–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया तालग्राम, जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत कितने कर्मचारी हैं ? इनमें कितने कन्फर्म हैं और जो कन्फर्म नहीं हैं उनके कन्फर्म न होने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

टाउन एरिया कमेटी तालग्राम में कुल 21 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 14 कर्मचारी स्थायी हैं तथा 4 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चलती रहने के कारण उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका । 3 कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही चल रही है । शेष 10 कर्मचारियों को इसलिये स्थायी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है या वे दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

नगर पालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में जी0 टी0 रोड की मरम्मत में व्यय

47–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 83-84, 84-85, 85-86 तथा 86-87 में मुख्य मार्ग जी0 टी0 रोड की मरम्मत एवं रख रखाव में अलग-अलग प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया गया तथा यह धनराशि कितने-कितने अन्तराल पर व्यय की गयी ? क्या यह सच है कि पालिका के पास सड़क निर्माण रजिस्टर नहीं है तथा क्या यह भी सत्य है कि सड़क निर्माण की क्वालिटी खराब होने की शिकायत के बावजूद बिना किसी उच्च तकनीकी अधिकारी से जांच कराये बिल भुगतान किए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका, छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 83-84 में 78,098 वर्ष 1984-85 में रु0 32,659, वर्ष 1985-86 में रु0 87,133 तथा वर्ष 1986-87 में रु0 60,236 मुख्य सड़क जी0 टी0 रोड की मरम्मत एवं रखरखाव

पर व्यय किया गया है । इसी उद्देश्य से रु0 78,098 मार्च, 84 में, रु0 32,659 जनवरी व फरवरी, 1985 में रु0 87,133, मार्च, 1986 में रु0 60,236, माह जून, 1986 में व्यय किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा लिपिक पद हेतु चयन प्रक्रिया

48–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, ए0 पी0 सेन रोड, लखनऊ द्वारा लिपिक (टाइपिस्ट) पद हेतु माह जनवरी, 1987 में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा एवं सारी औपचारिकताएं कब तक पूरी करके भर्ती करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पदों हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रेषित किये हैं ? क्या परीक्षा में सबको बुलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माह जनवरी, 1987 में टंकक/लिपिक के पद हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे । इस समय परिषद् को जन शक्ति योजना पर अध्ययन चल रहा है । अध्ययन के उपरान्त ही भर्ती की कार्यवाही की जायेगी । इन पदों के लिए कुल 5,734 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं । चयन समिति के समक्ष निर्णयानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा ।

49–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

50–51–श्री हर्षवर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

52–श्री विष्णु देव–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बैकुण्ठ नाथ गुप्ता, तत्कालीन सचिव, टाउन एरिया कमेटी गोसाईगंज, फैजाबाद के विरुद्ध अनियमितता के आरोप

53–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में परगनाधिकारी, सदर के पत्रांक संख्या मेमो/आ0 लि0/मिस0 दिनांक 11-12-86 में जो जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित है, श्री बैकुण्ठ नाथ गुप्ता, सचिव बख्शी नगर क्षेत्र समिति गोसाईगंज के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता आदि के कई गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जिसके आधार पर जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय से पत्रांक मेमो टी0 ए0 सी0 दिनांक 12-1-87 द्वारा श्री बैकुण्ठ नाथ से स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त दोनों पत्रों तथा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

श्री बैकुण्ठ नाथ गुप्ता तत्कालीन सचिव, टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं, जिसकी सूचना जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 20-6-87 द्वारा शासन को दी है, शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

बलिया नगर के लिए प्रस्तावित टंकियों का निर्माण कार्य

54—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया नगर के लिए प्रस्तावित पानी की टंकी का निर्माण कार्य किन परिस्थितियों में बन्द है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

बलिया नगर के लिये तीन बड़ी टंकियां प्रस्तावित हैं । एक टंकी का निर्माण पूर्ण है तथा नये नलकूप पर बिजली मिलते ही इसे चालू कर दिया जायेगा । शेष दो टंकियों का निर्माण धन की कमी के कारण आरम्भ नहीं हो सका है ।

शासन द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु नगर महापालिका को निर्देश

55—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बोहरा शामियाना हाउस कचेहरी रोड, लखनऊ सड़क के किनारे गलत तरीके से कब्जा करके अपने टेण्ट हाउस का सामान ट्रक कार आदि लखनऊ नगर पालिका के 296 विभाग के अधिकारी की साजिश से फुटपाथ पर रखे हुये हैं जिससे आये दिन उस रोड पर दुर्घटनायें हुआ करती हैं ? यदि हां, तो शासन स्तर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत स्थल पर जब कभी भी अतिक्रमण पाया जाता है, तो महापालिका के प्रवर्तन विभाग (296) द्वारा हटाया जाता रहा है । इसमें विभागीय अधिकारी की कोई साजिश नहीं है । जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, इसकी जानकारी नगर विकास विभाग को नहीं है ।

शासन द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में महापालिका को निर्देशित किया जाता है ।

हडको और आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों की मासिक किश्त

56—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हडको और आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित ई0 डब्लू0 एस0 भवनों पर मासिक किश्त की राशि दो सौ पचास रुपया से अधिक पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार निर्बल और दुर्बल आय वालों पर प्रतिमाह किस्त की धनराशि घटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां । यद्यपि इन भवनों की भूमि के मूल्य में सामान्य विकसित दर से 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है तथापि बढ़ते हुए मूल्य, मासिक किश्तों की संख्या—240 निर्धारित होने तथा ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत होने आदि के कारण दुर्बल आय वर्ग के भवनों की मासिक किश्तों की धनराशि घटाना सम्भव नहीं है।

57--श्री मित्रसेन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

58--श्री राम जनम--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के मैदानी जनपदों में धान की विकसित प्रजातियों के मिनीकिट का वितरण

59--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के किन-किन जिलों में धान की विकसित तथा होनहार प्रजातियों के विमोचन से पूर्व कृषकों की प्रतिक्रिया ज्ञात करने के उद्देश्य से गोविन्द, माधुरी प्रसाद सरजू-52, पन्त-4 तथा सीता प्रजातियों के कितने-कितने मिनी किट वितरित किए गए? इस वितरण में पश्चिमी उ0 प्र0 में जनपदों की उपेक्षा का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

वर्ष 1986-87 में प्रदेश के सभी मैदानी जनपदों में कुल 75792 मिनीकिट इन प्रजातियों के निम्नवत् वितरित किये गये :--

1--गोविन्द	4554
2--माधुरी	1000
3--प्रसाद	14890
4--सरजू-52	27978
5--पन्त-4	4725
6--सीता	7520
7--अन्य	15125
	75792

पश्चिमी उ0 प्र0 के चार मण्डलों (मेरठ, बरेली, मुरादाबाद व आगरा) में 36000 मिनीकिट आवंटित किये गये। उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के मिनीकिट का वितरण

60--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1986 में दलहनी व तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जनपदवार इन फसलों के मिनी किट बांटे गये थे? यदि हां, तो इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों की उपेक्षा करने का क्या कारण था?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

वर्ष 1986 की खरीफ में प्रदेश में तिलहन के कुल 24489 एवं दलहन के कुल 89129 मिनीकिट बांटे गये थे जिनमें से तिलहन के 7100 एवं दलहन के 32443 मिनीकिट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार मण्डलों में बांटे गये थे। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में चावल उत्पादन बढ़ाने की विशेष योजना

61—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चावल उत्पादन की विशेष योजना खरीफ 1986 में चलायी गयी तथा प्रत्येक में कितने-कितने विकास खण्ड लिये गये ? पूर्वी उ0 प्र0 के विपरीत पश्चिमी उ0 प्र0 के जनपदों में यह योजना न चलाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

खरीफ 1986 में प्रदेश के 24 जनपदों में चावल उत्पादन की विशेष योजना चलायी गयी जिसमें 24 जनपदों में कुल 102 विकास खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये । जनपदों तथा विकास खण्डों की सूची जनपदवार संलग्न है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों की तुलना में धान का क्षेत्रफल अधिक होने और औसत उत्पादकता कम होने के कारण यह विशेष योजना पूर्व के अधिकांश जिलों में लागू की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 164-165 पर)

62—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषि की नवीन तकनीक कृषकों तक पहुंचाने हेतु प्रशिक्षण तथा भ्रमण योजना

63—श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि की नवीन तकनीक कृषकों तक पहुंचाने के ध्येय से प्रशिक्षण तथा भ्रमण योजना गतवर्ष 1985 तथा वर्ष 1986 में भी पूर्वी उ0प्र0 के आठ-आठ जनपदों में लागू की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब आगामी वर्ष (87–88) में पश्चिमी उ0प्र0 के 16 जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो पश्चिमी उ0प्र0 की उपेक्षा करने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

प्रशिक्षण एवं सम्पर्क (टी0एण्ड वी योजना) पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार मण्डलों में लागू करने का आधार निम्नलिखित है:—

(1) प्रदेश की औसतन 69 प्रतिशत जोत आकार में एक हेक्टेयर से कम है, जबकि चयनित क्षेत्रों में 76 प्रतिशत जोत एक हेक्टेयर से कम है अर्थात् परियोजना क्षेत्र में सीमान्त कृषक अधिक संख्या में है।

(2) चयनित क्षेत्रों में चावल, गेहूं, तिलहन आदि फसलों की उत्पादकता इन की उत्पादकता से कम है। यह परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है तथा परियोजना क्षेत्र का चयन विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित है।

वर्ष 87–88 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना के आधार पर इसे पूर्व में चयनित क्षेत्र के शेष 5 जनपदों में लागू किया जाना है। परियोजना के परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर एवं विश्व बैंक के सहयोग प्राप्त होने पर इसे प्रदेश के शेष क्षेत्रों में लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना तथा ऊंचागांव को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव

64–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना तथा ऊंचागांव विकास खण्ड, जिला बुलन्दशहर को फ्रूट बैल्ट घोषित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों को फ्रूट बैल्ट घोषित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

"फल पट्टी" घोषित करने के अभिप्राय की अधिसूचना, 15 दिन के अन्दर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुये, दिनांक 24 जून, 1987 को निर्गत कर दी गई है।

आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त होने के पश्चात् "फल पट्टी" घोषित करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

स्याना नगरपालिका, बुलन्दशहर में पशु पैठ संचालित करने के उपनियम

65–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना नगरपालिका, जनपद बुलन्दशहर में पशु पैठ रविवार के दिन संचालित करने हेतु उप नियम उनके आदेशानुसार प्रभारी अधिकारी स्याना द्वारा बनाये गये थे? यदि हां, तो क्या कारण था कि जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गयी और अब कब तक दे दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उपनियम बनाये गये हैं।

नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित पशु पैठ स्थल से चार किलोमीटर के अन्दर ही एक अन्य पशु पैठ पहले से ही लग रही है अतः प्रशासनिक कारणों से जिलाधिकारी द्वारा एक अन्य पशु पैठ लगाये जाने की अनुमति नहीं दी गयी।

इस मामले का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।

66–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

67–68–श्री अशोक बाजपेई–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंचागांव, बुलन्दशहर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्यवाही

69—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंचागांव, जनपद बुलन्दशहर के समस्त कर्मचारियों का माह सितम्बर एवं अक्तूबर, 1976 का वेतन चोरी हो गया था? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त दोनों माह का वेतन अभी तक वितरित किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

वेतन भुगतान की कार्यवाही करायी जा रही है।

70—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि माह सितम्बर, 85 का वेतन भी बुलन्दशहर में अनूपशहर बस अड्डे पर लूट लिया गया था ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों का वेतन अभी तक वितरित किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

वेतन भुगतान की कार्यवाही करायी जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दलहन उन्नति परियोजना का कानपुर से झांसी को स्थानान्तरण

71—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दलहन उन्नति परियोजना वर्ष 1984-85 में कानपुर से भरारी (झांसी) को स्थानान्तरित की गयी थी तथा उक्त परियोजना के लिए चयनित वरिष्ठ वैज्ञानिक दलहन डा0 आर0 पी0 कटियार को कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर से भरारी (झांसी) में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिये गये थे ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि श्री कटियार ने भरारी (झांसी) जहां के लिए उनका चयन हुआ था न जाकर कानपुर में ही मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया है और भरारी में शोध कार्य समय से प्रारम्भ नहीं हो सका तथा वर्तमान में भी प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक को भरारी (झांसी) में ही मुख्यालय बनाने के आदेश करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0 सी0 एफ0 महोबा के गोदाम की भूमि खरीद के सम्बन्ध में जांच

72—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पी0 सी0 एफ0 महोबा के गोदाम की भूमि खरीद घोटाले के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक पी0 सी0 एफ0 ने श्री भगवती प्रसाद पाण्डे ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट महोबा से कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो क्या श्री पाण्डे द्वारा भेजी गयी जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

पी0 सी0 एफ0 महोबा की भूमि खरीद के सम्बन्ध में यह जानने हेतु कि भूमि का मूल्य क्या होना चाहिए की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 1-3-86 को वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन), पी0 सी0 एफ0 श्री प्रकाश सिंह ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोबा, श्री भगवती प्रसाद पाण्डे से मिले थे और एक लिखित आवेदन पत्र भी इस आशय का उन्हें दिया था, जिसके सम्बन्ध में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट ने जांच कराकर स्थिति से अवगत कराने हेतु आश्वासन दिया । उक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, पी0 सी0 एफ0 ने 10 मार्च, 86 को जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोबा को लिखा। ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट ने अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

73–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

कुमार कोल्ड स्टोरेज जहानगंज, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

74–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमार कोल्ड स्टोरेज जहानगंज, फर्रुखाबाद में गम्भीर अनियमितताएं एवं काश्तकारों का आलू बेचने व धोखाधड़ी आदि की शिकायतें शासन को मिलीं जिस पर संयुक्त निदेशक, उद्यान ने जांच की थी? यदि हां, तो उक्त जांच के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कुमार कोल्ड स्टोरेज जहानगंज, फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उप निदेशक, उद्यान, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से कराई गई थी। अनियमितताओं के लिये आलू विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनियमितताओं के कारण वर्ष 1985 से शीतगृह के लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया गया है। यह शीतगृह वर्ष 1986 से बन्द है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में एक्सरे मशीन हेतु टेक्नीशियन की नियुक्ति

75–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ चिकित्सालय को वर्ष 1985 में एक्सरे मशीन दी गई थी? यदि हां, तो क्या यह मशीन अस्पताल में स्थापित की जा चुकी है ? क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1985 से एक्सरे मशीन के संचालन हेतु टेक्नीशियन की नियुक्ति की जा चुकी है और वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो एक्सरे टेक्नीशियन का क्या कार्य रहा ? यदि बिना कार्य के वेतन दिया गया तो इस गलत निर्णय के लिए कौन दोषी है ? क्या शासन जांच करवा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

दिसम्बर, 1985 में नियुक्त एक्सरे टेक्नीशियन का स्थानान्तरण हो गया था। उसके प्रतिस्थानी ने अगस्त, 1986 में कार्यभार ग्रहण किया । चूंकि धनाभाव के कारण मशीन के संचालनार्थ आवश्यक सामग्री नहीं खरीदी जा सकी थी, एक्सरे टेक्नीशियन को जिला चिकित्सालय से सम्बद्ध करके उसकी सेवाओं का उपयोग किया गया । वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामऊ में एक्सरे मशीन कार्यरत है और एक्सरे टेक्नीशियन की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

76–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

77–श्री विष्णु देव–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78–श्री विष्णु देव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

79–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

80–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में जांच कार्यवाही

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जनपद में सामुदायिक धान नर्सरी कार्यक्रम 1981-82 के अन्तर्गत छोटे किसानों को महज कागज पर ही बीज दो देने का वितरण दिखाते हुए लगभग 80 हजार रुपयों का अनुदान सरकारी अधिकारी/कर्मचारी हड़प कर गये हैं जिसमें कृषि निदेशक के पत्रांक सं0 2047 दिनांक 16-6-81 व पत्रांक सं0 2570 दिनांक 18-7-81 द्वारा मांगी गयी सूचना भी प्रेषित नहीं की गयी? क्या इस सम्बन्ध में मण्डलीय उप कृषि निदेशक, लखनऊ से कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो इसके परिणाम क्या थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1981-82 में जनपद हरदोई में सामुदायिक धान नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों को अनुदान पर कृषि निवेशों के वितरण में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिक जांच के आधार पर रु0 80,400 का दुर्विनियोग पाया गया। कृषि निदेशक के पत्रांक 2047 दिनांक 16-6-81 तथा पत्रांक 2570 दिनांक 18-7-81 द्वारा मांगी गयी सूचना तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी ने प्रेषित की जो उनके पत्रांक 2515 दिनांक 13-7-81 द्वारा प्राप्त हुई। मण्डलीय उप कृषि निदेशक, लखनऊ ने प्रारम्भिक जांच की थी। उक्त जांच एवं अन्य आरोपों के फलस्वरूप श्री तारा सिंह, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

82–श्री काशी सिंह ऐरी–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

83–84–श्री पारस नाथ यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका, उन्नाव में पुनरीक्षित वेतनमान

85–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका, उन्नाव में पुनरीक्षित वेतनमान सही ढंग से न लगाने के कारण अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिसके कारण चुंगी टोल टैक्स मुहर्रिर श्री विश्वनाथ दीक्षित को उनके कनिष्ठ चुंगी टोल टैक्स मुहर्रिर श्री सुन्दर लाल से लगभग 50 रु0 मासिक वेतन कम मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? यह विसंगति दूर करते हुए सही वेतनमान कब तक निर्धारित होकर उसका भुगतान किया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं,

श्री दीक्षित को नये वेतनमान में उनके द्वारा दिये गये विकल्प के कारण श्री सुन्दर लाल से 50 रु0 कम वेतन मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

86–87–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

88–श्री कनक सिंह–

[चौथे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रहमत खान, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, फैजाबाद के विरुद्ध कथित शिकायत

89–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रहमत खान, अधीक्षण अभियन्ता, कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, जल निगम, फैजाबाद जब अधिशासी अभियन्ता के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर थे तो उनके ऊपर लगभग बीस लाख रुपये के घपले का चार्ज विजिलेंस जांच में सिद्ध पाया गया था और उनकी चरित्र पंजिका में यह अंकित कर दिया गया है कि भविष्य में उन्हें न तो कोई पदोन्नति, न किसी वर्किंग डिवीजन में और न ही कोई प्रशासनिक पद दिया जायगा? यदि हां, तो उक्त श्री खान को वर्तमान पद पर नियुक्त करने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? क्या उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

90–श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

91–श्री राजेन्द्र शर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मेरठ के खाली बीज गोदामों को प्रयोग में लाने की मांग

92—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में कितने बीज गोदाम हैं जो कि कृषि विभाग द्वारा बनाये गये थे और अब बेकार पड़े हैं ? क्या सरकार उन बेकार बीज गोदामों को काम में लाने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ नगर के कतिपय क्षेत्रों में जलापूर्ति का समय

93—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ नगर के चारबाग, हुसैनगंज, पान दरीबा, सदर, लालकुआं तथा जयनारायण डिग्री कालेज क्षेत्र में जल वितरण किस समय से किस समय तक किया जाता है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत क्षेत्रों में ऐशबाग जल कल से जलापूर्ति निरन्तर 24 घन्टे की जाती है । इसके अतिरिक्त, जोनल एम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से भी संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति का समय निम्नवत् है:—

क्षेत्र	प्रातः	सायंकाल
चारबाग, पानदरीबा, लालकुंआ का आंशिक भाग	6 बजे से 8.30 बजे तक	6 बजे से 7.30 बजे तक
हुसैनगंज का कुछ भाग, सदर का कुछ भाग तथा जयनारायण डिग्री कालेज क्षेत्र	6 बजे से 8.30 बजे तक	5 बजे से 7.45 बजे तक
हुसैनगंज तथा सदर का कुछ भाग	5.30 बजे से 10 बजे तक	4.30 बजे से 9 बजे तक
हुसैनगंज का कुछ भाग	5.30 बजे से 10 बजे तक	4 बजे से 9 बजे तक

हुसैनगंज, सदर, चारबाग, पान दरीबा तथा लाल कुआं में नलकूपों के माध्यम से भी जलापूर्ति 22 घण्टे प्रतिदिन की जाती है ।

94—श्री शारदा प्रताप—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इसी नगर के दूसरे क्षेत्रों में जल वितरण का समय क्या है ? क्या दोनों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में जल वितरण अवधि इतनी कम है कि लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर के अन्य क्षेत्रों में भी जलापूर्ति का समय लगभग उपरोक्तानुसार है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान

95—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्पित की गयी औरंगाबाद खालसा, किला मोहम्दी नगर, भदरूख कासिमपुर पकरी आदि ग्रामों की जमीनों पर गजट दिनांक 20 दिसम्बर, 1984 द्वारा एवं कब्जा 1 अप्रैल, 1985 में कर लिया गया है ?यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक मुआवजा तथा पेशगी न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उन सबको शीघ्र ही मुआवजे एवं पेशगी की धनराशि दिलाये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, किन्तु समस्त भूमि का कब्जा विभिन्न तिथियों में दिनांक 15-7-85 तक दिया गया ।

संबंधित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है ।

इस योजना में प्रतिकर भुगतान हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु0 450.20 लाख की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई जा चुकी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी प्रतिकर के रूप में रु0 355.00 लाख का वितरण माह अप्रैल, 1987 तक किया जा चुका है । प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका के रावेन्द्र नगर वार्ड में सीवर लाइन डालने के कार्य में प्रगति

96—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगल के अता0 प्रश्न सं0 92 के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीवर लाइन डालने में अब तक क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सही है कि ठेकेदार के काम में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाने के कारण काम बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसी दूसरे ठेकेदार से काम पूरा न कराने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सीवर लाइन डालने के कार्य में हुई दुर्घटना के पश्चात कोई प्रगति नहीं हुई ।

जी हां ।

चूंकि जांच चल रही है इस कारण किसी दूसरे ठेकेदार से नहीं कराया गया ।

97–श्री अचल सिंह—

[5वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

98–श्री अचल सिंह—

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

99–श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ नगर के कतिपय क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव

100–श्री औसान सिंह तथा श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मोहल्ला-खंधारी बाजार, लोध पुरवा व पठानों की बारादरी में वी0 आई0 पी0 क्षेत्र के अति निकट होते हुए भी सीवर लाइन नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो सीवर लाइन न डालने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोहल्लों में सीवर लाइन कब तक डाल दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जल निगम द्वारा कार्यान्वित मछली मोहाल जलोत्सारण योजना में प्रश्नगत क्षेत्र सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्नगत क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह, सचिव साधन सहकारी समिति लि0 महगवां, अलीगढ़ का स्थानान्तरण

101–श्री कल्यान सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एन0 सिंह सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी एवं जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 अलीगढ़ के आदेश संख्या 6/88/सह0 बैंक सं0 दिनांक 20-9-86 के द्वारा श्री रघुनाथ सिंह, सचिव साधन सहकारी समिति लि0 महगवां, विकास खण्ड अतरौली, जनपद अलीगढ़ के स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें किस तिथि को कार्यभार से मुक्त (रिलीव) किया गया और उनके स्थान पर पद स्थापित सचिव ने किस तिथि को उक्त साधन सहकारी समिति महगवां, विकास खण्ड अतरौली अलीगढ़ का कार्यभार ग्रहण किया है ? क्या यह सच है कि उक्त श्री रघुनाथ सिंह सचिव का कार्यभार से मुक्त हो जाने के बाद भी स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह सचिव साधन सहकारी समिति लि0, महगवां विकास खण्ड अतरौली को सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड अतरौली के आदेश दिनांक 29-12-86 द्वारा समिति का चार्ज श्री राम गोपाल, आंकिक को देते हुए दिनांक 4-3-87 को कार्यभार से मुक्त कर दिया है । उनके स्थान पर स्थापित सचिव श्री राजबीर सिंह ने दिनांक 26.5.87 को कार्य भार ग्रहण कर लिया है ।

जिला सहायक निबन्धक अलीगढ़ ने दिनांक 18-4-1987 को श्री राम गोपाल सचिव का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से निरस्त कर उन्हें अपने कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया ।

102-103–श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

104–श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग

105–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 686/अ-3/का प्र0 क0 लखनऊ दिनांक 5-11-84 के अनुसार 1-4-84 के उपरान्त जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पांच वर्ष की सेवा पूर्ण हो जायेंगी उनका उस दिन से ही नियमितीकरण कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो पदों की उपलब्धता के बावजूद भी कार्य प्रभारित कर्मचारियों का नियमितीकरन न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन योग्य कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण वांछित संख्या में पद उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अयोध्या प्रसाद पाठक लिपिक बिक्रेता केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर का वेतनमान

106–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर में लेखाकार के पद पर श्री अयोध्या प्रसाद पाठक दिनांक 5-10-84 से वेतनमान 250-425 में कार्यरत हैं जिनके उक्त वेतनमान का अनुमोदन उपनिबन्धक सहकारी समितियां फैजाबाद द्वारा 17-4-85 को किया जा चुका है ? यदि हां, तो जुलाई, 85 में सहायक निबन्धक सहकारी समितियां सुल्तानपुर के आदेश के बाद भी सचिव उपभोक्ता भण्डार इन्हें 200–320 का वेतनमान ही दे रहे हैं और वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें वेतनमान 250–425 एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिलायेंगे और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर में श्री अयोध्या प्रसाद पाठक लिपिक/विक्रेता को यद्यपि कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 5-10-84 के निर्णय अनुसार लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया था परन्तु इनके सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव में काटछांट होने के कारण वह विवादास्पद हो जाने के फलस्वरूप इन्हें लेखाकार का वेतनमान 250–425 न देकर लिपिक/विक्रेता का वेतनमान 200–320 ही दिया गया जो इस समय भी श्री

पाठक को (जिनकी सेवायें दिनांक 23-9-85 को समाप्त हो गई थीं परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिपालन में चल रही है) दिया जा रहा है ।

कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक 17-4-85 को उप निबन्धक द्वारा कोई अनुमोदन सम्बन्धी पत्र नहीं निर्गत किया गया है ।

जुलाई, 85 में सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 सल्तानपुर के द्वारा निर्गत निर्देश सम्बन्धी पत्र के बाद भी संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 9-7-85 में लिये गये निर्णय के अनुसार इन्हें 200–320 का वेतनमान ही दिया जा रहा है । सेवा समाप्ति सम्बन्धी आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जा रही है ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि विभाग में प्रक्षेत्र अधीक्षक के तैनाती के सम्बन्ध में शासन की नीति

107–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रक्षेत्र अधीक्षक बेलीपार एवं बामापार (गोरखपुर) कितने दिनों से प्रक्षेत्र पर कार्यरत हैं ? क्या यह सच है कि विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है कि कोई कर्मचारी पूरी सेवा काल में कितने वर्ष प्रक्षेत्र अधीक्षक रह सकता है ? यदि हां, तो वे निर्देश एवं नियम क्या हैं ? क्या यह सच है कि इन मान्य नियमों का पालन उक्त दो प्रक्षेत्र अधीक्षकों के लिये ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रक्षेत्र अधीक्षक, बेलीपार, बेलीपार प्रक्षेत्र पर 12-10-81 से कार्यरत हैं एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक, बामापार, बामापार प्रक्षेत्र पर 8-8-80 से कार्यरत हैं । उपरोक्त दोनों कर्मचारी अब तक के सेवाकाल में क्रमशः 12 व 11 वर्ष तक प्रक्षेत्रों पर कार्यरत रहे ।

प्रक्षेत्र अधीक्षक के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में वर्तमान में निम्नांकित नीति प्रचलित है :—

"प्रक्षेत्र अधीक्षकों (वर्ग-1, 2 तथा 3) को एक प्रक्षेत्र पर 3 वर्ष, यदि लाभ पर रहा हो तो 5 वर्ष, एक जनपद में 6 वर्ष तथा मण्डल में 12 वर्ष के उपरान्त स्थानान्तरित किया जाय । जिन कर्मचारियों ने प्रक्षेत्र अधीक्षकों के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें सामान्य शाखा में स्थानान्तरित किया जाय ।

उक्त नीति किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सभी के लिए है ।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स का स्थायीकरण, प्रोन्नति एवं वेतनमान

108–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स को उनकी सेवाकाल के आधार पर कोई पदोन्नति का अवसर नहीं दिया गया एवं 1971 के बाद से किसी का स्थायीकरण भी नहीं किया गया एवं उन पर बहुधन्धी स्वास्थ्य योजना लागू न होते हुए भी परिवार कल्याण के सारे काम लिये जाते हैं एवं नसबन्दी की लक्ष्य पूर्ति न होने पर सेवा समाप्त एवं आर्थिक उत्पीड़न भी किया जाता

हैं किन्तु परिवार कल्याण कर्मचारियों की भांति वेतनमान नहीं मिलता? यदि हां, तो इन विसंगतियों के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी बेसिक हेल्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने एवं उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बहुधंधी योजना लागू होने से पूर्व शासनादेश संख्या-5865/16-10-153/71, दिनांक 22-11-78 में निहित आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्करों एवं गृह दर्शकों के उनके सम्वर्ग की आपसी ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता क्रम में अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर सर्वेलेन्स निरीक्षक की 50 प्रतिशत रिक्तियों में पदोन्नति का अवसर प्रदान किया गया। वर्ष 1981 में बेसिक हेल्थ वर्कर एवं गृह दर्शक सम्वर्ग की आपसी ज्येष्ठता में से ज्येष्ठतानुसार 591 बेसिक हेल्थवर्कर एवं गृह दर्शकों को स्थायीकरण के आदेश पारित किये गये।

इन पर बहुधंधी स्वास्थ्य योजना लागू है और उसी योजना के अनुसार इन्हें वेतन दिया जा रहा है।

109–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0सं0 167 द्वारा उत्तरित]

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अध्यापक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस बंदी के आदेश

110–श्री विजय सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति अनुभाग उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0 5776 से 14/पांच/323/83 दिनांक 30-8-83 द्वारा उ0प्र0 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अध्यापक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस बंदी के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन करते हुए इस प्रकार के चिकित्सकों ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चिकित्सा विभाग की प्रश्नगत अधिसूचना द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा सरकारी डाक्टरों (एलोपैथिक) की प्राइवेट प्रेक्टिस को निर्बन्धित करने के लिए नियमावली बनाई गई है। कतिपय अध्यापकों व एलोपैथिक डाक्टरों ने उक्त अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ में तृतीय श्रेणी के छटनी शुदा कर्मचारी के वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही

111–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महा-निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी छटनी शुदा कर्मचारी हैं जिनका वेतन निर्धारण तो कर दिया गया है किन्तु उनके अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एक कर्मचारी है। अवशेष वेतन एवं भत्ते आदि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में जल आपूर्ति में सुधार

112–श्री औसान सिंह यादव तथा श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहल्ला खंधारी बाजार, लोध पुरवा व पठानों की बारादरी जो कि वी0आई0पी0 क्षेत्र के अति निकट हैं में पानी की आपूर्ति प्रातः 5.30 से 10.00 बजे तक तथा सायंकाल 4.30 से 9.00 बजे तक ही की जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 10.00 से 4.00 बजे तक उक्त मोहल्ले में पानी की आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त समय में पानी की आपूर्ति सार्वजनिक एवं निजी नलों में की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रश्नगत मोहल्लों में उच्च दबाव पर प्रातः एवं सायंकाल जल आपूर्ति होती है।

जोनल पम्पिंग स्टेशन पर बने भूमिगत जलाशय को 10.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन एवं रात्रि 9.00 बजे से प्रातः तक भरा जाता है और उस अवधि में जलापूर्ति जोनल पम्पिंग स्टेशन से नहीं हो सकती है।

लालबाग जोनल पम्पिंग स्टेशन पर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिये दो नलकूप बनाये जा रहे हैं। जल उपलब्धता बढ़ने पर ही जलापूर्ति में सुधार सम्भव हो सकेगा।

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली में स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिकों व स्टोर कम लिपिकों के नियमितीकरण की मांग

113–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली में स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिकों व स्टोर कीपर कम लिपिकों को लगातार सेवारत रहते हुए सात वर्ष से अधिक हो जाने पर भी अभी तक नियमितीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या 45 (1)/72/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 4-6-75 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

114–115–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

116–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

117–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री आनन्द सिंह विष्ट, उच्च लिपिक, फलोद्यान विभाग रानीखेत के सेवा समाप्ति संबंधी लम्बित मामले के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

118–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, उ0 प्र0 रानीखेत के आदेश संख्या 2525/दो-34 दिनांक 14/20-6-67 के द्वारा उच्च लिपिक श्री आनन्द सिंह विष्ट की सेवा समाप्त किये जाने के विरुद्ध श्री आनन्द सिंह विष्ट द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर लगभग 20 साल तक निर्णय न लिये जाने के बारे में श्री सुरेश चन्द्र आर्य विधायक खटीमा (नैनीताल) का 11 मार्च, 1987 का पत्र कृषि मंत्री को मिला ? यदि हां, तो उसपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी द्वारा किसी प्रार्थना पत्र को इतने समय तक लम्बित रखने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री सुरेश चन्द्र आर्य, विधायक का सचिव, कृषि विभाग, को सम्बोधित पत्र दिनांक 11 मार्च, 1987 प्राप्त हुआ है । श्री आर्य के उक्त पत्र पर निदेशक, उधान एवं फलोपयोग उत्तर प्रदेश रानीखेत से आख्या मांगी गई है ।

निदेशक, उद्यान एवं फलोपयोग, उ0 प्र0 से आख्या प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी की साधन सहकारी समिति फरिहा हेतु दी गई सबसिडी के वितरण में की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की साधन सहकारी समिति फरिहा के लिये वर्ष 1982-83 लगायत 1985-86 के लिये शासन द्वारा सबसिडी दी गयी? यदि हां, तो कब और कितनी और उसका लाभ किस सदस्य को दिया गया? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

120–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या यह सही है कि प्रश्नगत साधन सहकारी समिति के कर्मचारीगण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में सन् 1984 में अपर जिलाधिकारी मैनपुरी ने अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट आदि में अभियोग पंजीकृत कराया और कर्मचारिगण जेल भेजे गये? यदि हां, तो क्या कर्मचारीगण सही विवेचना के लिये स्थानान्तरित व निलम्बित किये गये?यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना एवं ऊंचगांव को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव

121–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा स्याना एवं ऊंचगांव विकास खण्ड को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत है? यदि हां, तो कब तक घोषणा हो जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

''फल पट्टी'' घोषित करने के अभिप्राय की अधिसूचना, 15 दिन के अन्दर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुये, दिनांक 24 जून, 1987 को निर्गत कर दी गई है।

आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त होने के पश्चात ''फल पट्टी'' घोषित करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री आर0 पी0 एस0 परिहार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान लखनऊ के विरुद्ध आरोप-पत्र पर जांच

122–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री आर0 पी0 एस0 परिहार के विरुद्ध सुभाष राम, महामंत्री लखनऊ जल संस्थान श्रमिक मोर्चा का शिकायती पत्र संख्या 40/म0 म0/86 दिनांक 4-6-86 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में श्री परिहार के विरूद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं? क्या उस शिकायती पत्र की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

शिकायती पत्र में आरोपित अधिशासी अभियन्ता पर बाजार भाव से अधिक दरों पर एवं घटिया किस्म की विभिन्न सामग्री क्रय करने, सामग्री की आपूर्ति बिना लिये ही भुगतान करने, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण में अवर गुणता का कार्य कराने, विभागीय जीप का दुरुपयोग करने, वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण करने, जल संस्थान की सामग्री निजी उपयोग करने, दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रुपया लेकर नियुक्त करने एवं अन्य अनियमितताएं/भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये गये हैं ।

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री शारदा नन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रशासक, जिला सहकारी संघ, मथुरा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

124–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1987 को श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रशासक, जिला सहकारी, संघ मथुरा द्वारा किये गये भारी भ्रष्टाचार के बारे में मा0 मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो

इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रशासक के खिलाफ सहकारी संघ, मथुरा व सहकारी बैंक, मथुरा में धन के दुरुपयोग व शोषण करने की शिकायत सही पायी गयी है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (उप0) सहकारी समितियां उ0 प्र0 आगरा से कराई गई है । श्री श्याम सुन्दर शर्मा प्रशासक जिला सहकारी संघ मथुरा के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई है । अतः श्री शर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद मथुरा के कतिपय कस्बों में हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

125–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-3-87 को एक प्रार्थना-पत्र सुरीर, बाजना, नौहझील शेरगढ़ कस्बों के अड्डों पर जहां पेयजल का भारी अभाव रहता है, में एक-एक हैण्ड पम्प लगवाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

प्रश्नगत स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद मथुरा के मांट कस्बे को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव

126–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मांट कस्बे को जो तहसील मुख्यालय है जहां ब्लाक उच्चीकृत अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन तथा अन्य सरकारी कार्यालय हैं, को टाउन एरिया घोषित करने पर विचार कर रहे हैं जिससे इस बड़े कस्बे का विकास हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ग्राम सभा मांट की आबादी 6150 है जो टाउन एरिया सृजन के निर्धारित मानक से कम है, अतः प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम्बुलेन्स व्यवस्था

128–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में रोगियों के सेवा योग्य कोई भी एम्बुलेन्स गाड़ी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार दो एम्बुलेन्स गाड़ियों की व्यवस्था अतिशीघ्र कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में रोगियों की सेवा हेतु दो एम्बुलेन्स गाड़ियां उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

129–श्री अफजाल अंसारी–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

130–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

131–श्री मित्रसेन–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

132–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बनपद बस्ती को बांसी टाउन एरिया के सीमा विस्तार की योजना

133–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी टाउन एरिया के सीमा विस्तार की योजना शासन के पास पहुंची है? यदि हां, तो वह क्या है और उसकी प्रगति क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्व विद्यालय, फैजाबाद में काला नमक चावल पर शोध कार्य

134–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बस्ती जिले के उत्तरांचल में काला नमक नाम का विशेष प्रकार का चावल पैदा होता है जिसकी भारत की प्रसिद्ध मण्डियों में अपनी विशेषता के कारण भारी मांग रहती है, के विकास के लिये जिले के उत्तरांचल में कोई शोध संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां,

काला नमक स्थानीय प्रजाति पर नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्व-विद्यालय, फैजाबाद, को शोध कार्य करने के लिये निर्देशित किया जा चुका है। शोध कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मलेरिया विभाग के लैब टेक्नीशियनों का स्थायीकरण

135–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक (मलेरिया) के पत्र संख्या माल ए0/एल0टी0/स्था/82 16879 दिनांक 8 अगस्त, 1982 द्वारा कुछ लेब टेक्नीशियन के पद स्थायीकरण पेंडिंग (लम्बित) किये गये थे ? यदि हां, तो क्या पुनः स्थायीकरण आदेश पारित हुए ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

संयुक्त निदेशक (मलेरिया) के प्रश्नगत पत्र द्वारा 356 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की सूची में से 166 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को स्थायी घोषित किया गया था। शेष 190 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों में से 87 को बाद में स्थायी किये जाने के आदेश जारी किये गये । अब शेष 103 लम्बित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की चरित्र-पंजिकाएं सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त की जा रही हैं जिनके प्राप्त होने के उपरान्त ही उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

136–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री मोहम्मद कर्मचारी नगरपालिका, बरेली की सेवा काल में हुई मृत्यु पर वारिस को नियुक्ति हेतु प्रस्ताव

137–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, बरेली के विद्युत विभाग में कार्यरत श्री मोहम्मद अहमद का 1975 में स्वर्गवास हो गया था तथा उस समय मृतक का पुत्र नाबालिग होने के कारण अपने पिता के स्थान पर नियुक्ति पाने में असमर्थ था ? क्या बालिग होने पर मृतक के पुत्र श्री वकील अहमद ने अपने पिता के स्थान पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो अभी तक निधुक्ति न होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी श्री वकील अहमद को तुरन्त नियुक्ति दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

उस समय मृतक के किसी वारिस ने महापालिका को यह सूचना नहीं दी कि मृतक का पुत्र अवयस्क है।

जी हां ।

शैक्षिक योग्यता व जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सका ।

उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जब भी कोई स्थान रिक्त होगा इनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली विकास प्राधिकरण में लेखाधिकारी की नियुक्ति

138–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20 जून, 1984 से बरेली विकास प्राधिकरण में कोई लेखाधिकारी नहीं है जिसके कारण बी0 डी0 ए0 में लाखों रुपये के घोटाले हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब लेखाधिकारी नियुक्त करके सरकार को हो रहे नुकसान से बचायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

यह सही है कि प्रश्नगत तिथि को विकास प्राधिकरण, बरेली में लेखाधिकारी कार्यरत नहीं थे परन्तु किसी प्रकार के घोटाले की सूचना प्रकाश में नहीं आयी।

लेखाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

139–श्री कुशलपाल सिंह–

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 133 द्वारा उत्तरित]

140–श्री कुशलपाल सिंह–

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 132 द्वारा उत्तरित]

141–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

आगरा में मोहल्ला नरीपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

142–श्री विजय सिंह राणा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मोहल्ला नरीपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) को प्रश्नकर्ता के दिनांक 19 अप्रैल, 1984 के पत्र पर उनके कार्यालय के पत्र सं0 2242 दिनांक 30-5-84 के द्वारा सड़क निर्माण के जो आदेश नगर विकास सचिव को किये गये थे, के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण अभी प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और अब यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? इस सम्बन्ध में द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न नं0 2 के उत्तर के संदर्भ में प्रशासन ने क्या सड़क बनाने के प्रस्तावित आगणन के आधार पर कोई धनराशि आवंटित की? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं,

धनाभाव के कारण।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 में प्रश्नगत कार्य को कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। शासन द्वारा किसी सड़क विशेष हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कुल नसबन्दी आपरेशन की संख्या एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति

143–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में आगरा जनपद में परिवार कल्याण विभाग के तहत कितने नसबन्दी आपरेशन हुए हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हुए हैं? क्या यह सही है कि आगरा जनपद में विधवाओं, वृद्धों और उन महिलाओं के आपरेशन करके आंकड़े बढ़ाये गये हैं जिनके अंतिम बच्चों की उम्र पांच वर्ष से लेकर पन्द्रह वर्ष तक है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील की नसबन्दी आपरेशनों की जांच कराने की कृपा करेंगे और फर्जी पाये गये केसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में जनपद आगरा में कुल 17287 नसबन्दी आपरेशन हुये जिसमें से 2639 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हुये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में कोआपरेटिव बैंक के कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की मांग

144–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के वे कर्मचारी जो विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में वर्ष 1979 अथवा इसके पश्चात से कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन एक निश्चित अवधि के लिए सीमित उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा संचालित है।

उ0 प्र0 के कृषि फार्मों पर वर्ग–2 व वर्ग–3 के लम्बी अवधि तक कार्य करने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

145–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि फार्मों पर वर्ग–2 व ग्रुप–3 के कितने ऐसे अधिकारी हैं जो कृषि फार्मों पर लगातार 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं? क्या यह भी सच है कि प्रदेश के सभी कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं? यदि हां, तो उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कृषि फार्म पर 10 वर्ष के बाद भी रहने का क्या औचित्य है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नगर पालिका, स्याना, बुलन्दशहर के स्याना बोगरासी रोड से अतिक्रमण हटाओ अभियान

146–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1986 में समस्त उत्तर प्रदेश में अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाये जाने के लिए आदेश हुये थे जिसके अन्तर्गत नगर पालिका स्याना, जनपद बुलन्दशहर में भी यह अभियान चलाया गया था? क्या इस अभियान के अन्तर्गत स्याना में स्याना बोगरासी रोड से अतिक्रमण हटाये गये? यदि हां, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जी हां। 30 अतिक्रमणों को हटाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका स्याना, बुलन्दशहर में सुलभ शौचालय बनाने की मांग

147–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुलभ शौचालय योजना के अन्तर्गत नगर पालिका स्याना को भी विचाराधीन किया जायेगा? यदि हां, तो नगर पालिका स्याना में कब तक कार्य आरम्भ होगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

फिलहाल नगर पालिका स्याना में सुलभ शौचालय बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेरठ मण्डल में फसल बीमा योजना

148–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में फसल बीमा योजना चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरठ मण्डल में फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

149–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

150–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 18-6-87 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

151–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के एलोपैथिक इन्टर्न्स की परिलब्धियों में बढ़ोत्तरी

152—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पूर्व शासन ने यह निर्णय लिया था कि इन्टरनशिप करने वाले एम0 बी0 बी0 एस0 छात्रों को 675/- माहवार स्टाइपेन्ड दिया जायेगा परन्तु अभी तक उक्त छात्रों को केवल 500/- प्रति माह स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे बढ़ाकर 675/- प्रति माह करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासनादेश दिनांक 31 मई, 1986 द्वारा एलोपैथिक इन्टर्न्स की परिलब्धियों में 2 अक्टूबर, 1985 से 125 रु0 प्रति मास की वृद्धि स्वीकार की गई जिसके फलस्वरूप अक्टूबर, 1985 से उनकी कुल मासिक परिलब्धियां 500 रु0 से बढ़कर 625 रु0 प्रति मास हो गई । इन्टनर्स की परिलब्धियों में पुनः शासनादेश दिनांक 4 मई, 1987 द्वारा वृद्धि स्वीकार की गई जिससे 1 नवम्बर, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक उनकी कुल परिलब्धियां 750 रु0 प्रतिमाह तथा 1 जनवरी, 1987 से 1,000 प्रति माह हो गई हैं।

153—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

154—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

टाउन एरिया खेकड़ा, मेरठ में संशोधित जल सप्लाई योजना लागू करने की मांग

155—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया खेकड़ा, जनपद मेरठ में संशोधित जल सप्लाई योजना गत दो वर्षों से स्वीकृत हेतु शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

156—श्री विजय सिंह राणा—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर महापालिका, लखनऊ को विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि

157—श्री नरेश चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की सबसे घनी आबादी एवं पिछड़े क्षेत्र मध्य क्षेत्र को पिछले वित्तीय वर्ष में कितना विशेष अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस वर्ष मध्य क्षेत्र के विकास हेतु 50 लाख रु0 का विशेष अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह धनराशि कब तक स्वीकृत की जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

शासन द्वारा पूरे नगर के लिये अनुदान दिया जाता है। नगर महापालिका, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1986-87 में विभिन्न कार्यों के लिये कुल 4,91,66,700 का अनुदान दिया गया ।

जी नहीं ।

नगर के किसी क्षेत्र विशेष के लिये अनुदान नहीं दिया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री सरदार सिंह–

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

159–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ के मोहल्ला गाजी मण्डी स्थित नाले को पाटने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

160–प्रधान प्रभु दयाल–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नाले का कार्य अगले वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि यही नाला आगे पाटानाला कहलाता है जो कि जगत निवास की कोठी से पाटानाला रोड तक पाट दिया गया है? यदि हां, तो उक्त नाले को पाटने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

धन उपलब्ध होने पर नाले का कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

धनाभाव है ।

161–162–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

लखनऊ नगर की नाका हिण्डोला से मोती नगर सड़क पर प्रकाश एवं नियमित सफाई व्यवस्था

163–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर की नाका हिन्डोला हैदर कैनाल पुल से मोतीनगर चौराहे को मिलाने वाली सड़क जर्जर दशा में है तथा उक्त सड़क पर विद्युत प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और इससे जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है एवं गन्दगी के कारण मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप है ? क्या मंत्री जी उक्त सड़क का पेवर मशीन द्वारा नवीनीकरण कराने, मार्ग प्रकाश एवं नियमित सफाई की समुचित व्यवस्था कराने तथा मच्छरों को समाप्त करने हेतु समय-समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं फागिंग

मशीन से धुंआ छुड़वाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्थायें कितनी अवधि में करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सड़क कुछ स्थानों पर साधारण क्षतिग्रस्त है ।

सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु जल रहे हैं तथा नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं ।

पेवर फिनिशर से सड़क बनाने की तकनीक अत्यधिक महंगी है जो धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है। प्रकाश बिन्दु ठीक हैं तथा नियमित सफाई की व्यवस्था है ।

फागिंग मशीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संचालित की जाती है जो महापालिका के अधीन नहीं है ।

मार्ग प्रकाश तथा सफाई व्यवस्था है। सड़क मरम्मत धन उपलब्ध होने पर सम्भव है। फागिंग मशीन का संबंध मुख्य चिकित्साधिकारी से है। महापालिका अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से जो व्यवस्था कर सकती है, उसे उपलब्ध करा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू0पू0 वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, गाजियाबाद की जमा सिक्योरिटी के भुगतान की कार्यवाही

164–श्री किरन पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री गंगाराम भू0पू0 वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक जो गाजियाबाद से 31 अगस्त, 80 को सेवा निवृत्त हुए थे तथा जिनका स्वर्गवास 28-10-80 को हो गया ? क्या यह सही है कि मैनपुरी जिले में सन् 1951 में सर्विस शुरू किये जाने के समय का सिक्योरिटी का एक हजार तीन रुपया तीन आना अभी तक उनकी पत्नी श्रीमती मोहर कौर को वापिस नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? सिक्योरिटी का रुपया कब तक वापस कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सिक्योरिटी पासबुक श्रीमती मोहर कौर से खो जाने के कारण एक हजार तीन रुपया तीन आना का भुगतान नहीं किया जा सका ।

सिक्योरिटी पासबुक की द्वितीय प्रति डाकघर से बन जाने के उपरान्त शीघ्र ही उक्त धनराशि का भुगतान करा दिया जायेगा ।

165–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री मंगल सिंह, सहा0 कृषि निरीक्षक, महराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

166–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महराजगंज मुख्यालय पर नियुक्त सहायक कृषि निरीक्षक (श्री मंगल सिंह) के विरुद्ध श्री रामलाल यादव कोषाध्यक्ष लोकदल, महराजगंज, गोरखपुर का दिनांक 19-7-85 के पत्र पर उप सचिव श्री ज्ञान प्रकाश ने अपने पत्रांक अ0 शा0 एम0-25/12191-85 1309/85 उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 1985 द्वारा प्राप्त होना एवं इस पर कार्यवाही किये जाने की सूचना दी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर द्वारा जांच करायी जा रही है।

167–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कृषि निरीक्षक के विरुद्ध भारत के कृषि मंत्री के निजी सचिव का पत्रांक डब्लू0/सी0 नं0 2551/मिनिस्टर/ए0 एण्ड आ0 डी0/85 दि0 6-8-85 निजी सचिव, कृषि मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर द्वारा जांच करायी जा रही है।

168–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कर्मचारी (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध कृषि भवन, नई दिल्ली से प्रेषित पत्र सं0 डब्लू0 सी0 नं0 3442 दि0 31-10-85 मिनिस्टर ए0 एण्ड आर0 डी0/85 जो निजी सचिव कृषि मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की बात अंकित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर द्वारा जांच करायी जा रही है।

169–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध गृह मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव का पत्र संख्या–545/87 दि0 21-1-87 का पत्र कृषि मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से कृषि मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है,

जिसमें (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत सम्बन्धी पत्र के जांच की बात अंकित की गई है ? यदि हां, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वह पत्र नहीं प्राप्त हुआ । वैसे इस कर्मचारी के विरुद्ध पहले से ही जांच करायी जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के कृषि रक्षा कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

170–श्रीमती सरोज वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1985 में जनपद मुजफ्फरनगर के 11 कृषि रक्षा कर्मचारी अधोमानक (एक्स पायरी) कृषि रक्षा दवाइयां बेचने के जुर्म में निलम्बित किए गये थे ? यदि हां, तो उन्हें निर्दोष पाने पर भी बहाल क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त अधोमानक दवाइयां बेचने के लिए लिखित आदेश पारित करने वाले कृषि रक्षा अधिकारी श्री चौहल सिंह तेवतिया तथा डा0 वी0 के0 त्यागी, तत्कालीन जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कुल 11 कर्मचारी अधोमानक कृषि रक्षा रसायन बेचने के आरोप में निलम्बित किए गए थे । उनमें से सभी बहाल किए जा चुके हैं । यह निर्दोष नहीं पाए गए। इनमें से छः को चेतावनी तथा पांच को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है ।

श्री चौहल सिंह तेवतिया, तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी एवं डा0 वी0 के0 त्यागी, तत्कालीन जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है । जांच आख्या के अनुसार यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवता दीन, भूतपूर्व संग्रह चपरासी को कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद में पुनः नियुक्ति के संबंध में पत्र

171–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री महेश्वर पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1986 जो श्री देवतादीन, भूतपूर्व संग्रह चपरासी, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद के पुनः नियुक्ति के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र से संबंधित सभी औपचारिकताएं आदि पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद के अधीन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण श्री देवतादीन की नियुक्ति करना सम्भव नहीं हो सका ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

172–कर्नल केशरी सिंह–

क्या शासन को जानकारी है कि पिछले दो वर्षों से लखनऊ नगर महापालिका के पेपर मिल कालोनी को जाने वाले तथा कुकरैल तटरक्षक बांध के साथ-साथ सैकड़ों अवैध कब्जे हो गये हैं और झोपड़ियां व पक्की दुकानें आदि बन गयी हैं जिससे नालियां आदि टूट गयी हैं और गन्दगी फैलकर नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इन अवैध कब्जों को हटाने का शासन का कब तक विचार है और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर महापालिका भूमि, सड़क, गलियों तथा नालियों पर किये गये अवैध कब्जों को महापालिका द्वारा समय-समय पर हटाया जाता है। बन्धे से हटकर अकबरपुर मोहल्ले में जो अनधिकृत निर्माण हुए हैं उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 के तहत कार्यवाही की गई है।

इस क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था है तथा नालियों आदि की नियमित सफाई नगर महापालिका द्वारा कराई जाती है। अवैध कब्जों को अभियान चला कर बार-बार हटाया जाता है तथा जुर्माने लगाये जाते हैं ताकि पुनरावृत्ति न हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र के मोहल्लों में जल निगम द्वारा पाइप लाइन

173–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें कि अभी तक जल निगम द्वारा पाइप लाइन नहीं डाली गयी एवं कितने मोहल्लों में पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव है ? इनमें से रकाबगंज कदीम, कढइया खजूहा हैदर वाली गली, जोशी टोला, बिरहाना, कुन्डरी, संतोषी मां के मन्दिर वाली समस्त गलियां जिनका कई बार प्रश्नकर्ता द्वारा भी लिखा गया, में पाइप लाइन क्यों नहीं डाली गयी ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्लों में तुरन्त पाइप लाइन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ मध्य क्षेत्र के 24 मोहल्लों में जो पतली तथा संकरी गलियों में बसे हुए हैं, पाइप लाइन नहीं डाली गई है ।

वर्तमान में किसी मोहल्ले में पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव नहीं है ।

रकाबगंज कदीम, कढइया, खजुआ, हैदर वाली गली, बिरहाना तथा कुण्डरी मोहल्लों की मुख्य सड़कों एवं बड़ी गलियों में पाइप लाइन डाली जा चुकी है । इन मोहल्लों की तथा जोशी टोला व संतोषी मां के मन्दिर वाली कुछ छोटी एवं संकरी गलियों में पाइप लाइन नहीं पड़ी है ।

वर्तमान में छोटी एवं संकरी गलियों में पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इनमें पाइप लाइन डालने में व्यवहारिक एवं आर्थिक कठिनाइयां हैं ।

174–श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गृह जनपद गोण्डा व बस्ती में तैनात स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य निरीक्षकों की संख्या

175–श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा व बस्ती में कितने स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य निरीक्षक पिछले 10 साल या इससे अधिक समय से अपने जनपद में ही नहीं बल्कि अपने तहसीलों व विकास खण्डों में कार्यरत हैं ? ऐसे कर्मियों की अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या सरकार जनहित में इनकी सेवाओं का पूर्ण एवं अधिकतम योगदान देने की दृष्टि से गृह मण्डलों के बाहर स्थानान्तरित करने पर तत्काल विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद गोण्डा में 62 स्वास्थ्य सहायक तथा 24 स्वास्थ्य निरीक्षक तथा जनपद बस्ती में 86 स्वास्थ्य सहायक तथा 13 स्वास्थ्य निरीक्षक पिछले 10 वर्षों अथवा इससे अधिक समय से अपने जनपद तहसील अथवा विकास खण्ड में तैनात हैं ।

गृह जनपद में इनकी तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु शासकीय कार्य में शिथिलता पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से उन्हें जनपद ही नहीं वरन् मण्डल के बाहर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति

176–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सोंधी (शाहगंज) व विकास खण्ड सुइयाकला के स्वास्थ्य केन्द्रों पर किन-किन दवाओं की आपूर्ति जिला अस्पताल से की जाती है इन दवाओं की आपूर्ति किस तरह के मरीजों को की जा रही है और सितम्बर से दिसम्बर, 86 तक उक्त दोनों खण्डों में कितने हजार रुपया की दवा आपूर्ति की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सोंधी (शाहगंज) व विकास खण्ड सुइयाकला के स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला अस्पताल से किसी भी दवा की आपूर्ति नहीं की गयी है । स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधियां मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा आपूर्ति की जाती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के कतिपय नगर पालिकाओं में पेशा टैक्स लागू

177–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी नगरपालिकायें कौन-कौन हैं जहां पर पेशा टैक्स लागू है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रदेश की कुल 224 नगरपालिकाओं में से अभी केवल 41 नगरपालिकाओं से सूचना प्राप्त हुई है । प्राप्त सूचना के अनुसार केवल नगरपालिका, फर्रुखाबाद, मुगलसराय एवं बदायूं में पेशा टैक्स लागू है । शेष नगरपालिकाओं से सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश नगर महापालिकाओं द्वारा अपने पेंशनर्स को राहत किश्तों का भुगतान

178–श्री औसान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं के पेंशनर्स को जनवरी, 1983 के पश्चात् कुल कितनी राहत किश्तें आदि प्रदान की गयी है और प्रदत्त राहत किश्तों में से कितनी किश्तों का भुगतान सम्बन्धित नगर महापालिकाओं द्वारा पेंशनर्स को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों? विलम्ब का क्या कारण है और जहां राहत किश्तों का भुगतान अद्यावधिक नहीं किया गया है वहां कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रदेश की नगर पालिकाओं द्वारा अपने पेन्शनर्स को जनवरी, 1983 के पश्चात प्रदान की गई राहत किश्तों का विवरण संलग्न है । नगर महापालिकायें अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राहत किश्त आदि का भुगतान अपने संसाधनों को दृष्टिगत रख कर करती है । मामले का परीक्षण करके आवश्यक निर्देश नगर महापालिकाओं को जारी किये जायेंगे ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 166 पर)

जनपद मेरठ की टाउन एरिया लावड़ के मार्गों पर खड़ंजा लगाने की मांग

179–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया लावड़, तहसील सरधना, जि0 मेरठ के कुछ रास्तों में खड़ंजा न होने के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उसका सर्वेक्षण कराकर जनता को खड़ंजे की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, खड़न्जा न होने के कारण कुछ कठिनाई अवश्य है।

टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर।

प्रश्न नहीं उठता ।

180–श्री औसान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कृषि विभाग में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध गबन के आरोप की जानकारी की मांग

181—श्री आंसान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1977 एवं 1980 में जो पदोन्नति श्रेणी दो से श्रेणी प्रथम में हुई है उनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध गबन एवं सर्तकता अधिष्ठान में केस चल रहे थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

182—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलगना में की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

183—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलगना में खाद-बीज के ढुलान के ठेके के बिल की अदायगी में भ्रष्टाचार करने के संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला लेखाधिकारी (कृषि) जिला कोषाधिकारी कृषि को अप्रैल सन् 82 में निलंबित किया गया था ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या प्रशासनिक या दण्डात्मक कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जी हां ।

प्रकरण में 3 अधिकारी/कर्मचारी श्री प्रेम सिंह तोमर तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, श्री मणिक लाल शर्मा, लेखाकार, तथा श्री उमेश चन्द्र पालीवाल कैशियर संबंधित थे । यह तीनों निलंबित किए गए थे । श्री उमेश चन्द्र पालीवाल कैशियर के मामले में जांच कर उन्हें भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई है । श्री प्रेम सिंह तोमर, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी टिहरी ने अपने निलम्बन के संबंध में मा0 लोक सेवा अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । श्री प्रेम सिंह तोमर तथा श्री मणिक लाल शर्मा, लेखाकार के अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलगना में खाद बीज के ढुलान के बिल का नियमानुसार भुगतान

184—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खाद बीज के ढुलान के बिल ठेकेदार को अदा कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

जी नहीं ।

प्रश्नगत बिल पूर्व सम्प्रेक्षा की स्वीकृति हेतु अपर कृषि निदेशक (पर्वतीय) पौड़ी के यहां विचाराधीन है जिसका नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के सीमान्त जनपदों में जड़ी बूटी विकास योजना के अन्तर्गत सेवारत कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

185–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के सीमान्त जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में सहकारी विभाग के अन्तर्गत जड़ी बूटी विकास योजना का कार्य 1958 से किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस योजना में 1965 से 1986 के बीच लगातार सेवारत रहने वाले कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इस अवधि में जड़ी बूटी के लिए विशिष्ट सम्भावनाओं/आवश्यकताओं को देखते हुए अभी तक कोष्ठ के सुदृढ़ीकरण, नवीन पद सृजन हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

चूंकि यह योजना अस्थायी है और इस योजना के अन्तर्गत सृजित पद भी अस्थायी हैं, अतः इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायीकरण नहीं हो सका है ।

चूंकि यह योजना अभी तक अस्थायी है अतः कोष्ठ के सुदृढ़ीकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जौनपुर के ग्राम भेलपुर में हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में पत्र

186–श्री राज बहादुर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कई मा0 सदस्यों, श्री गजराज राम, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री राज बहादुर, श्री दीप चन्द्र सोनकर एवं श्री चन्द्रसेन सिंह का हस्ताक्षर युक्त कवरिंग पत्र जो ग्राम-भेलूपुर विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में दो हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हे दिनांक 8-4-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए तत्काल विशेष परिस्थिति में दो हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

ग्राम भेलूपुर की कथित गम्भीर पेयजल समस्या के संबंध में जांच कराई गई । उक्त ग्रामों में पेयजल के लिए 10 पक्के कुएं हैं तथा एक निजी हैण्ड पम्प भी लगा हुआ

है । कुओं में पर्याप्त पानी है, जिससे लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यता होती है। अतः वहां पर विशेष परिस्थितियों में दो हैण्ड पम्प लगाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

सचिव एवं संचालक मण्डल साधन सहकारी समिति गूलर पट्टी दोगी, टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आर्थिक गोलमाल के सम्बन्ध में वर्ड रिपोर्ट

187—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में साधन सहकारी समिति बूलर पट्टी दोगी, विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में 1978, जून में तत्कालीन संचालक मण्डल द्वारा किये गये आर्थिक गोलमाल की जांच तत्कालीन अतिरिक्त जिला सहायक निबन्धक, टिहरी गढ़वाल श्री मुनिशचन्द्र वर्मा द्वारा की गयी थी ? क्या इस हेतु सचिव एवं संचालक मण्डल के विरुद्ध धारा 408 ता0 हि0 का मुकदमा पुलिस में दाखिल किया गया था ? क्या इस हेतु जांच विशेष अनुसंधान सहकारिता हल्द्वानी (नैनीताल) को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या-क्या कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 16-9-78 को सर्वश्री भीम सिंह, भूतपूर्व सरपंच, सत्य प्रसाद तत्कालीन सचिव, गोबिन्द सिंह विक्रेता, शिवानन्द भूतपूर्व अध्यक्ष, बीरबल सिंह भूतपूर्व विक्रेता, बासुदेव भूतपूर्व विक्रेता तथा दर्शन लाल, तत्कालीन सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी । श्री गोबिन्द सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है । सर्वश्री भीम सिंह, सत्य प्रकाश, बासुदेव तथा दर्शन लाल जमानत पर हैं । मामला अभी भी पुलिस की विवेचना में है ।

नगर महापालिका गोरखपुर को आवन्टित अनुदान का व्यय विवरण

188—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका को वर्ष 86-87 तथा अप्रैल, 87 तक कितने रुपये प्राप्त हुए हैं और किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया गया और कितने कार्य निविदा कराये गये हैं और कितने कार्य बिना निविदा के ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

गोरखपुर नगर महापालिका को वर्ष 86-87 तथा अप्रैल, 87 तक कुल 2,37,00,000 रुपये शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त हुए । जिसके विपरीत रु0 2,13,55,899·39 31 मार्च, 1987 तक व्यय हुए। (विवरण संलग्न है)

सभी कार्य नियमानुसार निविदा मांग कर कराये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 167 पर)

गोरखपुर नगर के कतिपय सड़कों के निर्माण पर हुए व्यय का विवरण

189–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बंगला से गणेश होटल रोड घंटाघर से बख्शीपुर चौराहे तक विजय चौराहे से टाउन हाल चौराहे तक एवं बसारतपुर रोड पर कितने रुपये खर्च किये गये हैं ? इन कार्यों में कितना निविदा द्वारा और कितना बिना निविदा के कार्य किया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण पर कुल 19,55,783.46 पैसे व्यय किए गये । विवरण संलग्न है । सूची-11

सभी कार्य नियमानुसार निविदा मांग कर कराये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 168 पर)

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवर कोक के कतिपय ग्रामों में शासन द्वारा पेयजल की व्यवस्था

190–श्री अफजाल अंसारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चतुर्थ सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न सं0 8 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाण्डेय का पुरा देव चन्दपुर कठेरे मलसा, चांदपुर टोडरपुर आदि ग्रामों में पेयजल के कौन-कौन से साधन कितनी संख्या में हैं, इन ग्रामों को पेयजल समस्याग्रस्त सूची में न रखने का आधार क्या है ? इन ग्रामों में पीने के पानी की समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मलसा, चांदपुर, टोडरपुर ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में हैं जिनमें क्रमशः 2, 2 व 5 इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा अधिष्ठापित किये गये हैं । शेष ग्राम पाण्डेय का पुरा, देवचंद्रपुर व कठेरे में पेयजल सुविधा हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

भारत सरकार द्वारा समस्याग्रस्त ग्राम के लिए 3 निर्धारित माप दंडों के अन्तर्गत न आने के कारण पाण्डेय का पुरा, देवचन्द्रपुरा व कठेरे को समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं रखा गया है ।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा 7 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं, जो निम्न हैं :—

1–श्रीमती प्रेमवती तिवारी, 2–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, 3–श्री काशी सिंह, एेरी, 4–श्री सुख पाल पाण्डे, 5–श्री पारस नाथ यादव, 6–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, 7–श्री अवनीश कुमार सिंह ।

थाना कृष्णानगर, लखनऊ के क्षेत्र की सड़कों की जर्जर दशा एवं निर्माण की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाना चाहती हूं । लखनऊ शहर की मुख्य-मुख्य सड़कों की जहां मरम्मत कर उनका जीर्णोद्धार किया गया है वहीं पुरानी सड़कें जो मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई हैं उपेक्षित हैं उदाहरण के तौर पर कृष्णानगर थाने से हाईडिल कालोनी, इन्द्रलोक, आशुतोषनगर, आदि को जोड़ने वाली सड़क बड़ी खस्ता हालत में है । बरसात में यह सड़क पानी से लबालब भर जाती है और इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को मुख्य सड़क तक आना कठिन हो जाता है यहां तक कि उस समय सड़क खराब हो जाने के कारण सिटी बस भी अंदर तक जाना बंद कर देती है और आये दिन उस सड़क में ट्रक और अन्य वाहन धंस जाते हैं जिनको निकालना कठिन हो जाता है ।

यह सड़क पूर्णरूप से जीर्णशीर्ण अवस्था में है जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं और जब उनमें पानी भर जाता है तो बच्चे और पैदल चलने वाले उनमें गिर कर घायल हो जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि उक्त सड़क का शीघ्र जीणोद्धार किया जाय और कम से कम एक फुट ऊंचा किया जाय ताकि यहां के रहने वाले लोगों को कठिनाई न हो और जो उसमें असन्तोष पैदा हो गया है वह दूर हो सके ।

जनपद गोण्डा में जलाभाव एवं पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न जनपद की जलाभाव से उत्पन्न निकट स्थिति की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जनपद गोण्डा में पेय जल की कमी नदियों, कुएं, नाले, (जलाशय) पहाड़ पर से गिरने वाले पानी से बन रिजर्व वाटर (जलाशय) से निकली नहरों में भी पानी के सूख जाने के

कारण इन्सान जानवर सभी पानी के वगैर परेशान हैं । नील गाय तथा बंदर विशेष रूप से जंगल से बाहर आकर गांवों में पानी तलाश में दम तोड़ रहे हैं। जानवर व इन्सान दोनों के लिए पानी एक समस्या है। यदि गांव के लोग नल से किसी तरह पानी लेकर चले तो बन्दर घेर लेते हैं। घर तक पानी किसी भी दशा में नहीं पहुंच पाता। जानवर चारे व पानी के वगैर मर रहे हैं। हा-हा कार मचा हुआ है।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे जनपद में पेयजल की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बड़े हैण्ड पम्प सम्पूर्ण जनपद विशेष रूप से विधान सभा क्षेत्र 161 गोण्डा में लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

लब्ध प्रतिष्ठत विद्यालय, बिरला विद्या मन्दिर नैनीताल के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान रोक दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अनुसूचित जन-जाति के छात्र/छात्राओं को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, वर्ष 1985-86 व वर्ष 1986-87 के लिए रोक दी गई है।

इस क्रम में लब्ध प्रतिष्ठत विद्यालय, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति बिना किसी पूर्व सूचना या निर्णय के उक्त दो वर्षों से नहीं दी गई। इस कारण उन छात्रों के अभिभावकों को एक मुश्त रुपया 20,000 (बीस हजार) से अधिक की राशि का भुगतान विद्यालय को करना पड़ रहा है जो कि जनजाति के किसी भी अभिभावक के लिए अत्यन्त कठिन है। इस कारण छात्रों को विद्यालय से निकाला जा रहा है और उन्हें विद्यालय से प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया जा रहा है।

इस स्थिति से जनजाति क्षेत्र में विभाग के प्रति क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति का अविलम्ब भुगतान किया जाय एवं भविष्य में छात्रवृत्ति सम्बन्धी स्पष्ट नीति तय की जाय।

गण्डक नहर सिंचाई विभाग 15वां सर्किल, गोरखपुर के अन्तर्गत घाघरा के कटान को रोकने सम्बन्धी निर्माण कार्य में सरकारी धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष महोदय, गण्डक नहर सिंचाई विभाग 15वां सर्किल, गोरखपुर तथा खनिज विभाग के संयुक्त प्रयास से धुसवा, मिठिया, बानेपुर, काशीपुर, किशुनपुर

और विक्रमजीत आदि गांवों में घाघरा के कटान को रोकने हेतु जो बाढ़ सुरक्षा कार्य-हो रहा है, उसमें खुली लूट मची है। गण्डक नहर सिंचाई विभाग 15वां सर्किल गोरखपुर में स्थित है। जो सम्बन्धित गांवों से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इन विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से भारी गोलमाल करके कटान को असुरक्षित किया जा रहा है।प्रमुख अभियन्ता गोरखपुर ने सिंचाई विभाग के दो महत्वपूर्ण डिवीजनों में सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता का चार्ज दिलाकर खुली लूट मचा रखी है। यह गांव भयंकर कटान की जद में है पर सुरक्षा के नाम पर सम्बन्धित अधिकारी महज धन लूटने में लगे है । अब तक डम्प और सप्लाई किये गये पत्थरों की अगर जांच की जाय तो अधिकारियों द्वारा किये गये भयंकर लूट का भण्डा-फोड़ होगा।

अतः सदन के संज्ञान में लाकर शासन से यह मांग करता हूं कि दोनों डिवीजनों में स्थानी अधिशासी अभियन्ता नियुक्त किये जायें, भ्रष्ट अधिकारियों के कुकृत्यों की जांच कराई जाय, डाले गये पत्थरों की पुनः पैमाइश कराई जाद, घाघरा के कटान को युद्धस्तर पर रोकथाम की जाय और कार्यालय को गोरखपुर से बस्ती जिले में लाया जाए।

(श्री पारसनाथ यादव की अनुपस्थित के कारण उनकी सूचना नहीं पढ़ी गई)

जनपद फैजाबाद में वित्तीय विकास निगम द्वारा वितरित ऋण को दुरुप्योग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के फैजाबाद कार्यालय द्वारा विभिन्न लोगों और संस्थाओं को उद्योग लगाने अथवा अन्य कार्यों के लिये दिये गये ऋण का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और गबन किया गया है।केवल पिछले दो वर्षों में ऐसे दुरुपयोग गबन, धोखाधड़ी करने तथा अनुबन्धों के विपरीत अन्य कार्यों में ऋण ली गई धनराशि का प्रयोग करने के बहुत से मामले प्रकाश में आये हैं। जिनके बारे में वित्तीय निगम के फैजाबाद कार्यालय द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमें पंजीकृत कराये गये हैं, लेकिन ऐसे अधिकांश मामलों में स्थानीय पुलिस और आर्थिक अपराधियों की साजिश से वित्तीय निगम के करोड़ों रुपये के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। उदाहरण के लिये इसी प्रकार के एक मामले में थाना कैन्ट फैजाबाद में मुकदमा अपराध सं0 81/86 अन्तर्गत धारा 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था परन्तु पुलिस की साजिश से मामला समाप्त कर दिया गया।कालीन उद्योग तथा अन्य उद्योगों के नाम पर लिये गये ऋणों में भी इसी तरह के भारी घपले हुये हैं।

अतः आपकी अनुमति से उक्त तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाकर इस प्रकार की फर्जी कार्यवाइयों में संलग्न अपराधियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

थाना क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं में डेढ़ वर्ष से पड़ी हुई बगैर नम्बर की शिवरलेट इम्पाला कार की जांच की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद बदायूं के थाना दातागंज में खड़ी एक बगैर नम्बर प्लेट की शिवरलेट इम्पाला कार की ओर, जो लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दातागंज से बदायूं रोड पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अरिल नदी में सन्देहजनक अवस्था में पड़ी हुई पाई गई थी। इस कार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता में यह सन्देह व्यक्त किया जा रहा था कि इसका प्रयोग अवैध धन्धों में किया जाता रहा है। इस कार का कोई भी दावेदार अभी तक थाना दातागंज में नहीं पहुंचा।

दातागंज क्षेत्र में अफीम की तस्करी का धन्धा काफी जोरों से चल रहा है, इस प्रकरण में इस कार का मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बदायूं पुलिस की उदासीनता के कारण इस कार का रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस कार के सम्बन्ध में शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराई जाय जिससे कि स्थानीय अफीम तस्करों के गिरोह का पर्दा-फाश हो सके।

अतिरिक्त प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यगण से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि नियम-300 के अन्तर्गत अधिकतर जो सूचनायें आप भेजते हैं वह सदन के संज्ञान में नहीं होती है, तो नियमों का आपको और हमको दोनों को पालन करना है तो यह गलत परम्परा पड़ती जा रही है। मैं चाहूंगा कि अगर नियम-300 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं आती तो नियम-300 के द्वारा सूचनायें न दें, तो इससे सदन का कार्य भी सुचारु रूप से चल सकेगा और समय भी मिल जाएगा। इसमें पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है। दूसरी सूचना कल्याण सिंह जी की है तीसरी सूचना अनुग्रह नारायण सिंह जी की है तथा चौथी सूचना डा0 दिनेश जौहरी जी की है। गुप्ता जी, आप दो मिनट में अपनी बात कह दें।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, लोकायुक्त की धारा-10 में जांच की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और धारा-12 में बताया गया है कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो वह लोकायुक्त में जाएगा और उसके माध्यम से सदन के पटल पर आएगा इस तरह सदन के पटल पर आने में व्यवधान डाला जा रहा है। मेरा आरोप है कि उच्च स्तरीय भ्रष्ट अधिकारियों को शासन ने संरक्षण देने में सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। नगर विकास विभाग में सीलिंग के मामले की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। मान्यवर, एक उत्तर प्रदेश के जागरूक पत्रकार ने लोकायुक्त में परिवाद प्रस्तुत कर दिया। लोकायुक्त ने प्रथम दृष्टया में आरोप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही पाए और शासन को नोटिस दिया कि आप इसका जवाब दीजिए। मान्यवर, इसमें मंत्री जी सहित करीब डेढ़ दर्जन अधिकारी सम्मिलित हैं। मान्यवर, इस मामले में लोकायुक्त द्वारा जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई, लेकिन उन पत्रावलियों को मुख्य मंत्री जी द्वारा दबाकर रखा गया है पत्रकार ने लोकायुक्त साहब से याचना की गयी है कि बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा इस मामले को दबाने का दबाव डाला जा रहा है। लोकायुक्त ने इस बात को सही मानते हुए शासन को निर्देश दिए हैं कि उन अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाए।

मान्यवर, सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे-छोटे कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया लेकिन जिन बड़े-बड़े अधिकारियों के बारे में बात कही गई थी उनके बारे में कुछ नहीं किया गया। मान्यवर, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि जब लोकायुक्त ने आरोप सही पाये और उस पर जांच रिपोर्ट की मांग की तो मुख्य मंत्री जी ने उसको क्यों दबा दिया? मुख्य मंत्री जी द्वारा उसको इसलिए दबा दिया गया कि परिवाद में उनके खिलाफ रिपोर्ट लग जाती अगर वह जानकारी देते। मान्यवर, मेरे पास नामों की सूची है आप चाहें तो देख लें। मान्यवर, सबके बारे में जवाब मांगे गये लेकिन उसको दबा दिया गया। मान्यवर, इसमें सी0आई0डी0 की जांच कराई गई और उसमें भी आरोप सही पाये गये। मान्यवर, लोकायुक्त द्वारा बार-बार रिमाइन्डर भेजने के बाद भी जबाब नहीं दिया गया। मान्यवर, इस मामले को उठाने की वजह से धर्मसिंह रावत की सेवायें समाप्त कर दी गई। मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा शासन के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है इस पर आप रोक लगाने के आदेश देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी ने लोकआयुक्त एक्ट 1975 की धारा 10 की तरफ आपके माध्यम से सदन और आपका ध्यान आकर्षित किया है। उनसे निवेदन है कि जहां पर उन्होंने यह हवाला दिया है वहां पर धारा 10(2) को देखने की चेष्टा करें जिसमें लिखा है कि:–

एवरी सच इन्वेस्टीगेशन शैल बी कन्डक्टेड इन प्राइवेट एण्ड इन पार्टिकुलर दि आइडेन्टिटी आफ दि कम्प्लैन्ट एण्ड आफ दि पब्लिक सर्वेन्ट एफेक्टेड बाई दि इन्वेस्टीगेशन शैल नाट बी डिस्क्लोज्ड टू दि पब्लिक आर दि प्रेस वेदर बिफोर डयूरिंग आर आफ्टर दी इनवेस्टीगेशन

ये सारी कार्यवाही जो है वह गोपनीय रखी जाएगी जिसके बारे में जांच हो रही है। जिनके बारे में जांच हो रही और जो सबूत हैं वह शुरु में या बाद में पब्लिक के सामने नहीं लाये जायेंगे। यह जो जांच हो रही है इसके अन्दर जो जो कागज और जितनी पत्रावलियों की जरूरत है वह भेजी जा रही है। सरकार की कहीं मंशा नहीं है, सरकार किसी तथ्य को दबा नहीं रही है, जो भी लोग दोषी होंगे चाहे वह किसी बड़े ओहदे पर क्यों न हों, उनके खिलाफ जो भी नियमित रूप से कार्यवाही होगी, की जायगी। सरकार कहीं पर किसी को बचा नहीं रही है और न कोई पत्रावली दबा रही है और न कोई सूचना या इन्फारमेशन छिपा रही है। आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नियम 300 में यह नहीं आता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। दोषी व्यक्तियों को किसी प्रकार से बचाने या कोई इन्फारमेशन छिपाने की हमारी मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला सदन या अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं है। जब लोकायुक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जायगी तब उस पर विचार हो सकता है। रिपोर्ट आने से पूर्व उस पर विचार करना कतई मुनासिब नहीं है। शेष सूचनायें मैंने अस्वीकार की है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा मामला सदन के संज्ञान में है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मेरी जो सूचना है उसको शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

हां भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

हमारी सूचना सदन के संज्ञान में है। मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। मैं यह परम्परा नहीं डालना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह को लोकदल (अ) के सदस्यों की सूची में शामिल किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 9-9-86 को मैंने यह निदेश दिया था कि अग्रिम आदेशों तक श्री राजेन्द्र सिंह (सदस्य, विधान सभा, अलीगढ़) को निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठने की सुविधा प्रदान की जाय।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह ने अपने पत्र दिनांक 31-3-87 द्वारा यह अनुरोध किया कि श्री राजेन्द्र सिंह को लोकदल (अ) का विधिवत सदस्य मान लिया गया है। श्री सत्यपाल सिंह के पत्र की प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र सिंह को भेजी गयी और उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात की गयी।

अपने उत्तर दिनांक 30-6-87 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह ने लोकदल (अ) के सदस्यों की सूची में अपने नाम को शामिल करने की सहमति दे दी है।

अतः यह समीचीन होगा कि श्री राजेन्द्र सिंह को अब लोकदल (अ) के सदस्यों की सूची में दिखाया जाय।

(मेजों की थपथपाहट।)

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(इस समय 12 बजकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधार (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली श्री जनार्दन प्रसाद आभा की कानपुर में सूती मिल कर्मचारियों की गिरफ्तारी, दूसरी श्री कल्यान सिंह की मेरठ में साम्प्रदायिक दंगा, तीसरी श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मूल चन्द्र, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्रीमती सरोज वर्मा, श्री जगवीर सिंह, श्री शारदा प्रताप, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की प्रदेश की सूखे की हालत के सम्बन्ध में है, चौथी श्री वीरेन्द्र नाथ तिवारी की यह भी सूखे के सम्बन्ध में हैं, पांचवी श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव की यह भी सूखे के सम्बन्ध में है, छठी श्री रघुवर दयाल वर्मा की यह भी सूखे के संबंध में हैं सातवी श्री राम नरेश यादव की यह भी सूखे के संबन्ध में है, आठवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है उत्तराखण्ड की समस्यायें, नवीं श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा प्रधान प्रभू दयाल की है अमीर नगर सराय जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा व्यापारियों पर अत्याचार, दसवीं श्री मनोहर लाल जी की है मत्स्य निगम द्वारा मछुवारों की समस्याओं की उपेक्षा, ग्यारहवीं श्री चन्द्र भान मौर्य की है जमुना नदी में पानी छोड़ने से आगरा में सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट, बारहवीं श्री सूर्य प्रताप शाही की है हरबोई में मारकेटिंग विभाग द्वारा घटिया चावल की खरीद और तेरहवीं श्री किरनपाल सिंह तथा श्री शफीकुर्रहमान वर्क की है जिला इटावा के किरावली गांव के निकट नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में हैं।

---

†दिनांक 6 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, अभी 2 दिन पहले यहां मेरठ के दंगों पर चर्चा हो चुकी है। मैंने उस समय भी एक चेतावनी दी थी कि शासन ने यदि तुरन्त कारवाई नहीं की और जो हथियारों के जखीरे मौजूद है उसकी तलाशी नहीं ली तो मेरठ में फिर दंगों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, कल पहली तारीख को फिर वहां पर बमबार्डमेन्ट शुरु हो गया। लोगों में दहशत छाई हुई है, आतंक छाया हुआ है। मान्यवर, यह थाना दरेहलीगेट के वेली बाजार (कसाई बाड़ा) में हुआ। वहां मस्जिद से फिर से बम फेका गया जिसमें पी0 ए0 सी0 का उप अधीक्षक श्री शिवराज सिंह भी घायल हुये है तथा तीन लोग पुलिस के और घायल हुए है, 2 लोगों की जानें भी जा चुकी है तथा हापुड़ रोड पर एक फैक्ट्री में फिर आग लगा दी गयी है। इसी तरह से एक दाता राम है उनका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें पीछे से घुसकर, तोड़कर आग लगा दी गयी है और एक बार फिर से पूरा मेरठ नगर कर्फ्यू के अन्दर ला दिया गया है। यह लगातार जो शासन की लापरवाही हो रही है उसके कारण मेरठ दुबारा फिर धूं-धूं कर जलने की स्थिति में आ गया है। मान्यवर, मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि [xxx] उन्होंने प्रशासन के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करके दबाव डाला है। सरकार ने एस0एस0पी0 को तो हटाया लेकिन डी0एम0 जो इसके लिये ज्यादा जिम्मेदार था वह मात्र इसलिए नही हटाया गया कि वह [xxx] का आदमी है और वहां उन्हीं के दम पर रह रहा है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरठ में भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा पर प्रतिबन्ध लगाकर तनाव पैदा किया। मैंने गत 30 जून को रथयात्रा पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर रथयात्रा निकालने की मांग की थी। तब मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि स्थिति ठीक नहीं है। अब 24 घंटे में स्थिति कैसे सामान्य हो गई जो रथयात्रा निकालने की अनुमति देनी पड़ी है। वैसे मुझे प्रसन्नता है कि रथयात्रा की अनुमति दे दी गई है। यह अनुमति पहले ही दे दी जानी चाहिये थी और रथयात्रा पर प्रतिबन्ध लगाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये था। प्रशासन के बचकानेपन के कारण ही स्थिति बिगड़ी है।

श्री मईदुज्जमा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि [x x x] यहां पर मौजूद नहीं है और उन पर बार-बार आरोप लगाया जा रहा है। यह गैरमुनासिब बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसकी मात्र व्यक्तिगत हैसियत हो, मैं ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, जो केन्द्र सरकार में मंत्री है और जिनकी सफाई में यदि कुछ कहने को होगा, तो यहां पर पूरा मंत्रि मण्डल बैठा है, वह उनकी सफाई में कुछ भी कह सकता है। मेरा आरोप है कि मेरठ के दंगों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं [x x x] है, जो वहां के प्रशासन में हमेशा अनुचित हस्तक्षेप

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर रही है । सरकार ने एस0एस0पी0 सहित कई भ्रष्ट अधिकारियों को तो मेरठ से हटा दिया, परन्तु वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अभी तक भी नहीं हटाया गया है, जिसकी अदूरदर्शिता और मूर्खतापूर्ण कार्यवाहियों से मेरठ की स्थिति इतने दिनों में भी नियंत्रण में नहीं आ सकी है । क्या डी0 एम0 को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि वह [xxx] का आदमी है ? और [xxx] हर हालत में उसे मेरठ में बनाये रखना चाहती है, भले ही मेरठ में लाशें बिछती रहें और पूरा शहर धूं-धूं करके जलता रहे । इस नाते से मैंने [x x x] पर आरोप लगाये हैं। मेरठ के दंगों के दौरान [XXX] के सारे संदेहास्पद आचरण की जांच की मैं पुन: पुरजोर शब्दों में मैं मांग करता हूं ।

शासन के आश्वासनों के बावजूद दंगाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण उनके हौसले बढ़ रहे हैं । देश के अन्दर की फिरकापरस्त, अलगाववादी तत्व और पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतें इन दंगाइयों को मदद कर रही है। यह देश की एकता को खतरे की घंटी है । स्थानीय जनता में भारी रोष और क्षोभ व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक बन गयी है । चारों ओर आतंक और अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है। अस्तु मैं मांग करता हूं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने के लिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय ।

मैं पुन: इस बात की मांग करता हूं कि मेरठ में फिर से शुरू हुये दंगे की चर्चा खुल कर इस सदन में की जाय और भी दंगाई हैं, उनको बेनकाब किया जाय और सदन में दंगों पर नियंत्रण पाने के उपायों पर भी विचार किया जाय, ताकि इन दंगों की पुनरावृत्ति न हो । इन दंगों को गम्भीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि ये दंगे मात्र साम्प्रदायिक दंगे ही नहीं हैं, अपितु देश को तोड़ने की गहरी साजिश की कड़ियां हैं । गत 29 मई को इसी सदन में मेरठ के दंगों पर हुई बहस के दौरान मैंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि किसी भी दबाव में हथियारों के जखीरों की तलाशी न ली गयी, तो यह फिरकापरस्त दंगाई लोग पाकिस्तान जैसे विदेशी ताकतों से साठ-गांठ करके फिर से दंगे भड़काने से नहीं चूकेंगे । यदि सरकार ने मेरी चेतावनी पर ध्यान देकर दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की होती, तो इन देशघाती ताकतों को मेरठ में दुबारा हिंसा करने और आग भड़काने की जुर्रत न हो पाती । यही दंगाइयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही न की गई और हथियारों की तलाशी न ली गई तो मेरठ में फिर दंगा भड़क सकता है। मैं शासन को चेतावनी देता हूं।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित--)

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जिस घटना की चर्चा की है, उसकी सही स्थिति का उन्होंने चित्रण नहीं किया । वास्तव में बम फेंके गये या बम्बार्डमेन्ट हुआ, ऐसी बात नहीं है। केवल एक व्यक्ति ने बम फेंका था, जिससे पी0ए0सी0 के तीन सिपाही और एक असिस्टेंट कमान्डेंट घायल हुआ था। वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने बम फेंकने वाले पर गोली चलाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । माननीय सदस्य ने कहा कि रथ यात्रा की अनुमति देकर फिर उसे रद्दकर दिया और अब पुन: रथयात्रा की अनुमति क्यों दे दी गयी । वैसे माननीय सदस्य ने अनुमति देने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उस शहर के हिन्दू और मुसलमान दोनों भाइयों ने बैठ कर यह फैसला किया कि

नोट:-[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रथ यात्रा का जुलूस अमुक-अमुक सड़कों पर निकाला जाय और उन निश्चित सड़कों पर जिन पर कोई आशंका नहीं थी सकुशल वहां से रथ यात्रा निकल रही है । वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह ने जो यह कहा है कि मस्जिद से बम फेंका गया, मुझे जहां तक जानकारी है, मस्जिद से बम नहीं फेंका गया था। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि जब मस्जिद से बम नहीं फेंका गया तो ऐसी बात बड़े नेता को नहीं कहनी चाहिए ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मान्यवर, मस्जिद की तरफ से बम फेंका गया, यह कहना बिलकुल बेबुनियाद है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि बम मस्जिद से फेंका गया । एक व्यक्ति ने फेंका, यह मैंने निवेदन कर दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति ने बम फेंका जिससे 3 लोग घायल हुए । जब यह सूचना मंत्री जी के पास है तो यह सूचना भी होगी कि बम कहां से फेंका गया । कृपा करके मंत्री जी उसे बता दें क्योंकि इससे और ज्यादा भ्रम उत्पन्न हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जितनी सूचना है उनके पास वह उन्होंने दे दी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि एक व्यक्ति ने बम फेंका और लोग घायल हो गये तो उनको यह जानकारी भी जरूर होगी कि बम कहां से फेंका गया । मान्यवर, कृपया इसका जबाब गृह मंत्री जी से दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने जबाब दे दिया, अब जांच की बात रह गई है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जब कार्य स्थगन के रूप में यह बात आ रही है और उसका एक जबाब आ गया तो फिर क्या और सवाल-जबाब और स्पष्टीकरण इस पर होगा?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं होना चाहिए लेकिन वह पूछ रहे थे तो मैंने इजाजत दे दी थी।

*श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मैं आपके सामने कार्य स्थगन तथ्य लाना चाहता हूं। यह सरकार किसान विरोधी है, इस पर कोई विवाद नहीं है। यह सरकार नवजवानों की आकांक्षाओं पर हमला करती है, इस पर कोई विवाद नहीं है । यह सरकार जन विरोधी है, यह सब जानते हैं लेकिन अब यह सरकार मजदूर विरोधी भी हो गई है । मान्यवर, इस प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विकास के लिए, अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनके श्रम की हमको आवश्यकता है। कानपुर में जो श्रमिक कपड़ा मिलों में काम करते हैं या अन्य मिलों में काम करते हैं, लगभग 25–30 हजार श्रमिक हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कपड़ा मिलों में काम करने वाले, चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमजीवी लोगों ने जहां एक साहसिक कदम उठाया था वहीं वह अपने मुनासिब हक के लिए किसी भी हद तक तैयार थे लेकिन समझौता चलता रहा परन्तु यह पूंजीपतियों की सरकार मजदूर विरोधी सरकार अपने ही बनाये कानून को लागू करने में अक्षम रही है । ऐसी सरकार को एक मिनट भी हुकूमत में रहने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो न्यायोचित बातें हैं, उनका सर्वेक्षण करवा लिया जाय, उन पर बहस हो जाय, जांच हो जाय और जो कानून बना हुआ है उसको देख लिया जाय । अगर उनकी मांगे न्यायसंगत हैं, कानून के परख्यू में हैं तो उनके न मानने का क्या कारण है? मान्यवर, इसी तरह से मोदीनगर का मामला सबके सामने है, मोदीनगर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए इस देश का इतिहास कभी सरकार को माफ नहीं करेगा । मान्यवर, आप स्वयं सोचिये कि जो मजदूर वर्ग है जब उसको समय से वेतन नहीं मिलेगा तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, 1982 में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि चीनी उद्योग के श्रमिकों के सम्बन्ध में एक शासनादेश हुआ है कि मरे हुए श्रमिकों के वारिसों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी में अवसर दिया जायेगा लेकिन आज भी उसका कहीं परिपालन नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी इस सरकार को चुनौती है कि इस सरकार को वहां पर बैठने का हक नहीं है क्योंकि जो सरकार अपने कायदे-कानून का इम्पलीमेंटेशन नहीं कर सकती। यह मामला अब केवल खाली मजदूरों का ही नहीं है और भी तमाम मिलों व कपड़ों मिलों में काम करने वाले तमाम मजदूरों का है और अगर इस पर समय रहते विचार न किया गया तो मामला मान्यवर, बढ़ेगा और प्रदेश का मजदूर एक प्लेटफार्म पर एक मैदान में आ जायेगा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और जो कानून इन मजदूरों के हित में बने हैं, उनका उल्लंघन करने वालों के सामने आयेगा चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो और मान्यवर, इस कानपुर की प्रतिक्रिया सारे प्रदेश में फैल रही है और यह सबसे पहला अवसर है कि इस मामले को लेकर एक हजार मजदूर सत्याग्रह को चला जाता है । इसलिए मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है लोक महत्व का मामला है, इसलिए तत्काल इस पर चर्चा कराइये और शासन को निर्देश दीजिए कि जो मजदूरों की वाजिब और मुनासिब मांग है उसको तत्काल पूरा करें, वरना पूरा प्रदेश आक्रोश में आ जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर मा0 ओझा जी का ओजस्वी भाषण को सुना और जो बहुत सारे विशेषण इन्होंने सरकार के लिए लगाए जैसा कि इनकी हमेशा की आदत है, उसको भी सुना और मजदूरों के संबंध में जो इन्होंने कुछ बातें रखीं मैं इस संबंध में इनको आश्वस्त करना

चाहता हूं, परन्तु इन्होंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है, इसे आप स्वयं देख लें और माननीय सदस्य भी स्वयं जानते हैं पुराने सदस्य हैं। जैसा कि नियम 56 में है कि "कार्य-स्थगन किसी निश्चित हालत में, किसी निर्दिष्ट व्यवस्था में निर्गत रहेगा"। लेकिन इसमें किसी चीज का उल्लेख नहीं दिया गया है कि यह मामला किस स्थान पर हुआ है और इसमें कौन-कौन सी फैक्ट्रीज इन्वाल्व हैं, इसका स्थान क्या है, समय क्या है और किस तारीख में हुआ है, यह कुछ निर्दिष्ट नहीं है। फिर भी मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि इन्हें पूर्णतया संतुष्ट करना चाहता हूं कि जो बातें इन्होंने मजदूरों की समस्याओं से संबंधित कही हैं। सरकार पूरी तरह से दृढ़-संकल्प है मजदूरों की भलाई के लिए और इनके हित में जो कुछ भी हो सकता है वह करेगी और अगर कोई इसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रहा है या करेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्य-वाही की जायेगी चाहे इसमें कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो पूरी तौर पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और माननीय आभा जी से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास कोई और निश्चित जानकारी हो, उसको भी सूचित करने का कष्ट करें ताकि हमको पूरे तौर कार्यवाही करने में आसानी हो, इसके लिए हम उनके आभारी होंगे।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ कई मा0 सदस्य, विपक्ष के खड़े हो गये और सब अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे काफी शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह सूखे से संबंधित मामला है और सूखे पर चर्चा निर्धारित है, तभी इस संबंध में बोल लीजिएगा। (शोर)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह पेय-जल से सम्बन्धित है, यह मामला इस से अलग है, बिजली का मामला भी इसमें इन्वाल्व है, जिसमें एक उत्पीड़क कार्यवाही हो रही है, यह उससे संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सूखे के संबंध में है।

श्री राम नरेश यादव–

नहीं मान्यवर, यह मामला पेय-जल के बारे में है।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, जो मा0 राम नरेश यादव जी ने कहा, मैं भी इस पर बल देता हूं कि जो पेयजल की दुर्व्यवस्था चल रही थी, वह इस समय सूखे में और ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन यह विषय उस उत्पीड़क कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें ऐलान किया है कि वसूलयाबी करके घाटे को पूरा किया जायगा। इस विषय को नियम 56 में लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सूखे में एक ओर किसानों की फसल सूख गई है, दूसरी तरफ सरकार उत्पीड़क कार्यवाही कर रही है। इसलिए मा0 सदस्यों की मांग है कि यह उत्पीड़क कार्यवाही तत्काल बन्द की जाय, इसीलिए यह विषय नियम 56 में लाया गया है। इसमें आप गुमराह मत हों। यह विषय अलग है और वह विषय अलग है। किसानों को इसमें क्या राहत पहुंचाई जाय, यह विषय इसमें लाया गया है, इसमें मान्यवर, आप दो घंटे की चर्चा करावें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें ग्राह्यता मिलने पर कितने व्यक्ति बोलेंगे । सब लोग बोलेंगे तो बहुत समय लग जायगा । मा0 नेता विरोधी दल ने बता ही दिया है कि मामला क्या है । आज स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण बजट है । फिर भी 2-3 व्यक्ति बोल लें ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मा0 उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पिछले दो वर्षों से हम लोग सूखे से पीड़ित हैं । इससे पहले बाढ़ से त्रस्त थे लगातार 5-7 वर्षों से । हमारे जिले में पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी प्रकार की तबाही से हम पीड़ित रहे हैं । इस वर्ष पूरा आषाढ़ समाप्त हो गया है और आज दो जुलाई है लेकिन पानी एक बूंद नहीं बरसा है । बेहरन सूख रहा है । बेहरन लगाने की नौबत आती है तो गन्ना सूख रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन पूरे प्रदेश में और सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में वसूली की जा रही है । किसानों को बन्द किया जा रहा है । उनके बैल कांजी हाउस में बन्द किए जा रहे हैं । यह सरकार अब कब इस प्रदेश को सूखे से पीड़ित प्रदेश घोषित करेगी । मेरी मांग है कि किसानों के सारे कर्जे माफ किए जायं । मैं इस विषय को सदन के सामने रखकर चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय । गांव का किसान इस समय मर रहा है। उसकी शक्ति खत्म हो रही है ।

(व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आज अवर्षण से पूरे प्रान्त में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके बारे में ग्राह्यता पर मैं बोलना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अवर्षण के कारण एक ओर खरीफ की फसल सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, दूसरी तरफ गन्ना जो प्रदेश में एक मात्र कैश क्राप है, वह 75 परसेंट समाप्त हो गया है । ऐसी स्थिति में पानी तो सूखेगा ही, मान्यवर, आधे से ज्यादा राजकीय नलकूप, कागज में भले ही चल रहे हों, लेकिन खराब हैं । विद्युत की आपूर्ति नहीं है, इसलिए गैर सरकारी सिंचाई के साधनों का भी उपभोग नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में सरकारी वसूली का दमन चक्र अपनी पूरी सीमा पर है । इसलिए प्रदेश की इस स्थिति के सम्बन्ध में कार्य स्थान के माध्यम से मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करके युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करें और इसके लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगे और जो उत्पीड़न कार्यवाही है, उसे बंद करायें । मान्यवर, चूंकि बड़ी ही भयावह स्थिति हो गयी है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदन के सारे कार्य रोककर, चर्चा करायी जाय ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जो प्रदेश में इस समय स्थिति है, खतरनाक स्थिति है जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने कहा अवर्षण से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है । किसान परेशान है। अगर कृषि के लिये उसे पानी मिल जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती उसकी परेशानी की । इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं । यहां बजट लाकर तरह-तरह की घोषणायें की गयी, लेकिन जहां तक किसान का सवाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, खेती का सवाल है, उस सम्बन्ध में कोई चीज नहीं की गयी । इस भीषण स्थिति में जो वसूलयाबी की उत्पीड़क कार्यवाही हो रही है, उससे सब परेशान हैं । कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, रेवन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बैंकों की तरफ से और आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत जो लोन दिये गये थे, उसमें जबरदस्त वसूलयाबी भी साथ-साथ चल रही है। मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है मैनपुरी-आगरा आदि जिलों में जिस तरफ से वसूलयाबी के अन्तर्गत लोग बन्द किये जा रहे हैं, उससे अलग ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। गेहूं का मामला पिछले दिनों उठा था कि किस तरह से 120 रु0 125 रु0 क्विंटल के हिसाब से मजबूरी में देना पड़ा । इस सरकार का किसानों की तरफ ध्यान नहीं है। इस समय जरूरी है कि स्थिति को देखते हुए, पूरे प्रदेश को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय और उसके आधार पर राहत पहुंचाने के लिये युद्धस्तर पर काम किये जायं । इसके साथ-साथ शासन से यह भी निर्देश तत्काल जारी हों कि वसूलयाबी के सम्बन्ध में फिलहाल कोई उत्पीड़क कार्यवाही न हो । मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहूंगा कि इस पर तत्काल चर्चा करायी जाय ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जोर देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग यहां असेम्बली में बैठे हुए हैं, जबकि हम लोगों को वस्तुतः उत्तर प्रदेश के सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिये । यहां एयरकंडीशंड में लोग मौज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता सूखे से दयनीय तरह से पीड़ित होती जा रही है। मान्यवर, 2-3 साल पहले प्रदेश के अधिकांश भाग भयंकर सूखे से प्रभावित थे । इस भयावह स्थिति को देखते हुए भी सरकार तत्काल प्रदेश को अकालग्रस्त और सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रही है । उत्पीड़न की वसूलयाबी के संबंध में जो कार्यवाही हो रही है, उससे किसान और सामान्य जनता अलग परेशान है। अभी बजट पेश के होने के दिन 3 जिले और नये घोषित हुए हैं उसको मिलाकर प्रदेश में 60 जिले हो गये । मिर्जापुर की भी मान्यवर स्थिति इस समय बड़ी भयावह है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

वाराणसी-मिर्जापुर और कैम्बूर रेंज-मध्य प्रदेश तक जायें तो स्थिति भयावह दिखेगी। । मिर्जापुर की पानी की हालत वैसी ही पहले से खराब थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप विषय की ग्राह्यता पर बोले यदुनाथ सिंह जी ।

श्री यदुनाथ सिंह–

पेयजल की वहां वह दशा है कि 2 रु0 लीटर मिल रहा है। वहां जो उत्पीड़न की कार्यवाही है वसूलयाबी की, उसे रोका जाय । मान्यवर, आपके संज्ञान में होगा कि अभी पिछले दिनों यहां बाहर वहां के आदिवासियों द्वारा अर्द्ध नग्न प्रदर्शन किया गया था। वहां के आदिवासी अर्द्धनग्न होकर यहां लखनऊ आये थे अपनी बात कहने के लिये। वसूलयाबी के संबंध में वहां लोगों को हवालात में बंद किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं, समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह–

पश्चिमी उ0 प्र0 पूर्वी उ0प्र0 और बुंदेलखंड का तमाम भाग आज भयावह स्थिति में है। मिर्जापुर में भी अत्यन्त विकट स्थिति है। वहां तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कलेक्टर मौज मस्ती कर रहे हैं, जनता परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, उ0 प्र0 की असेम्बली लखनऊ में चले और दूसरी ओर जनता की असेम्बली कानपुर में हो, यह खेद की बात है। मैं चाहता हूं कि वहां उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द की जाय, लोगों को हवालात में बंद न किया जाय। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस भयावह स्थिति के रहते प्रदेश में जिस तरह से वसूलयाबी की कार्यवाही हो रही है, किसान परेशान हो रही है, उस पर तत्काल रोक नहीं लगायी गयी तो शामली जैसा किसान आन्दोलन पूरे प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा प्रदेश अर्वषण के कारण सूखे की चपेट में में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर और मेरठ मंडल में एक इंच भूमि खाली नहीं रहती थी लेकिन आज वहां चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। नहरों में पानी नहीं है। किसानों के साथ वसूलयाबी के संबंध में उत्पीड़क कार्यवाही अलग की जा रही है जो स्थिति को और भी भयावह बना रही है। वहां के किसानों को मात्र 200 सौ 300 सौ0 रु0 की अवशेष धनराशि न देने पर भी, हवालात में बन्द किया जा रहा है। बिजली वहां पर नहीं मिल रही है। मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से 2 साल से, जब से हमारे हुकुम सिंह जी दरोगा के पद पर आसीन हुए हैं, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। पिछले साल मेरठ और सहारनपुर को सूखा घोषित किया गया लेकिन मुजफ्फरनगर को नहीं किया गया और मुजफ्फरनगर के लिए कोई राहत कार्य नहीं दिये गये, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर जो नहरें सूख गई हैं, उन्हें चालू किया जाय और वहां पर 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाय, इस इलाके को सूखा घोषित किया जाय और जो किसानों से वसूलयाबी होनी है, उसे माफ किया जाय। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज सारे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपने कह दिया कि इस पर चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया है। चर्चा आप जुलाई के अन्त में करवायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है ।

*श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से इस सूखे ने प्रदेश के किसानों को तबाह कर दिया है और जो शेष रह गया था वसूलियाबी के माध्यम से इस सरकार ने किसानों को तबाह कर दिया है । यह सरकार हाथ पर हाथ धरे इस तमाशों को देखती रहती है । मुझे तो लज्जा व शर्म आती है । यहां पर एअर कण्डीशन में बैठकर सरकारी सेवाओं का यह सरकार उपभोग करती है । गत वर्ष सूखे की इतनी भयानक स्थिति थी कि यदि समय-समय एक बारिश न आई होती तो पूरे प्रदेश किसानों के खेत में बीज नहीं डल पाता और पूरे प्रदेश की खेती चौपट हो जाती । उस सूखे के प्रभाव से हम आज तक सम्भल नहीं पाये हैं और खेतिहर मजदूरों को कोई काम नहीं मिल पाया । हम तो सोच रहे थे कि यह सरकार स्कूल खोलकर और सड़कें आदि बनाकर उन खेतिहर मजदूरों को इमदाद देगी, लेकिन उसे इस सरकार ने नहीं किया । आज बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुंओं में पानी नहीं है और नहरों में पानी नहीं है । मैं राजस्थान सीमा से आता हूं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा और फर्रुखाबाद में सूखे की भयानक स्थिति है। गांवों के अन्दर जो कुंवें हैं, वे सूख गये हैं । यह सरकार पीने को पानी नहीं दे सकती है तो सिंचाई के लिए कहां से पानी देगी ।

मान्यवर, वसूली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । बैंकों की वसूली ये तहसील के माध्यम से कराते हैं । 10 परसेन्ट किसानों के ऊपर और चला जाता है । बैंक के पास जबकि स्टाफ होता है लेकिन आपने उनकी वसूलियाबी का ठेका ले रखा है । बैंक खातों में भी गड़बड़ी है । जब कोई किसान उसे ठीक कराने जाता है तो वहां पर कोई सुनता सही है । मथुरा का एक केस है . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें मथुरा के केस को काट न करें । इसे आप चर्चा के वक्त कह सकते हैं । अब आप कृपा करके बैठें ।

*श्री रघुबर दयाल धर्मा–

मान्यवर, आज प्रदेश में सूखे की इतनी भयानक स्थिति पैदा हो गई है कि नहरों के आखिरी छोर पर पूरे साल में पानी नजर नहीं आया । आज खेत में कुछ है नहीं और वसूलियाबी के नाम पर किसानों का बुरी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है । नहरों के आखरी छोरों के किनारे की भूमि पर एक इंच भी सिंचाई नहीं हो पाई है ऐसी हालत में वहां उत्पीड़न की कार्यवाही, सिंचाई शुल्क और लगान करने की कार्यवाहियों को बन्द कर देना चाहिये । अन्य राहत के कार्य जैसे चारे की समस्या है तथा अन्य समस्याओं की बात है, उनको दूर करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण प्रदेश में सिंचाई शुल्क समाप्त कर दिया जाय और सारे किसानों के कर्जे की वसूली तत्काल स्थगित की जाय तथा ब्याज कभी वसूल न किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, विगत वर्ष के अवर्षण से अभी उ0 प्र0 के किसान मुक्त भी नहीं हो पाये थे कि इस वर्ष पुनः सूखे की काली छाया ने घेर लिया है । इस वर्ष इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा आदि क्षेत्रों में सूखे के कारण धरती फट गयी है । जायद की फसल नष्ट हो गयी है तथा खरीफ की फसल के नष्ट होने की सम्भावना है । आप सिंचाई पर हजारों करोड़ रुपया व्यय करते हैं । रोहिणी और आर्यभट्ट जैसे अन्तरिक्ष यानों का प्रक्षेपण करने में व्यस्त हैं किन्तु इस 21 वीं सदी के वैज्ञानिक युग में दूसरी गम्भीर घटना है कि इस अवर्षण से अन्धविश्वास भी पैदा हो रहा है। आज मेजा तहसील के अन्तर्गत कोरांव ब्लाक में बड़ाखेर और लड़ियारी क्षेत्रों में औरतें नंगी होकर हल चला रही हैं, जिससे इन्द्र भगवान प्रसन्न होकर बारिश करें । हमारी असफलताओं से लोग अन्धविश्वास की ओर प्रेरित हो रहे हैं । मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने तथा सूखे से पीड़ित लोगों के लिये राहत कार्य तत्काल शुरू कराने की व्यवस्था करें ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं ।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, आजकल जो सूखा पड़ा हुआ है, हमारे जिले और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उससे धान की फसल बोई नहीं जा सकी है । मेरे जिले में और सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तथा पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, पहले 10 जून तक पानी बरस जाता था, बीज डाला जाता था, अब वह बीज सूखा जा रहा है, ऊपर से वसूली तेजी से चालू है। आप जानते हैं कि सरकार ने अपनी आदत तो खराब की ही है, हमारी आदत भी खराब कर दी है एयर कण्डीशन बनाकर, हम बाहर निकलते हैं तो लू लग जाती है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की और बात है कि कार में बैठ जाते हैं और फिर एयर कण्डीशन्ड में चले जाते हैं । पानी के कारण जो तबाही है, पूरे प्रदेश में पीने का पानी नहीं है, लोगों को दो-दो कि0मी0 से पानी लाना पड़ता है । आपसे कहना चाहता हूं और आपकी सरकार से प्रार्थना है कि जहां पर पानी नहीं बरसा है, वहां सूखा क्षेत्र घोषित करें और पानी के लिये जो नलकूप हैं, उन नलकूपों से गांव-गांव में पानी पहुंचाया जाय ।

*श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि आज जो पूरे प्रदेश की हालत है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्योंकि सूखा हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता रहा है लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिला सूखे की चपेट में आ गया है । हरियाना के चुनाव हुए तो हमारे यहां का सारा पानी हरियाना को दे दिया । हमारे यहां बरनाला तहसील में भीषण सूखा है क्योंकि वहां पानी पूरा नहीं पड़ रहा है ।

पिछले दो सालों से सूखा पड़ने के कारण गेहूं मेरठ में कम हुआ है। कल अपने भाषण में बार-बार सरकार पक्ष से कहा गया कि आप किसानों के लिये उन्नति का प्रयास कर रहे हैं । हम किसानों की बात करते हैं तो उनके लिये लड़ाई भी लड़ते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लेकिन आप किसानों का नाम लेकर केवल नारा लगाते हैं । आज किसान मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, जीवन के सारे साधन समाप्त हो गये हैं तो यह किसानों की हितैषी सरकार उनके लिये क्या कर रही है ? इस सरकार को कोई और कार्य देखने से पहले किसानों के कर्जे को माफ करना चाहिए और उनकी वसूलयाबी को रोक देना चाहिये और उन्हें मुआविजा देना चाहिये ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं लखनऊ से विधायक हूं। जहांनाबाद गांव लखनऊ तहसील में हरिजनों का गांव है लेकिन सरकार हरिजनों का हिमायती अपने को कहती है, वहां टोटल कुएं सूख गये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आप और कुछ कहिये या न कहिये लेकिन वसूली रुकवाने के लिये जरूर घोषणा करियेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वर्षा न होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है मैं समझता हूं कि वह सबके लिये बहुत गम्भीर बात है और चिन्ता का विषय है । इसमें आपने इतने लोगों को सुना इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह मामला ही ऐसा है कि जिस पर माननीय सदस्यों को चिन्ता है और उनको सुनना चाहिये था । इसके लिये मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो कुछ सम्भव है वह कर रहे हैं और करेंगे ।

अनेक सदस्य—

क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उन्हें अपनी बात कह तो लेने दीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्न यह है कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति गम्भीर है आपको सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आपने इतने मा0 सदस्यों को बोलने का मौका दिया । यह स्थिति की गम्भीरता को मानते हैं तो क्या मंत्री जी प्रदेश को सूखा पीड़ित होने की घोषणा आज करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं राहत कार्यों के बारे में कह रहा था कि जो कुछ सम्भव होगा, किया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

नहरों में पानी पहुंचवाना, पीने का पानी पहुंचवाना वहां पर जहां-जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से किसानों की सहायता दिलवाना ।

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सरकार गुमराह कर रही है । मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय मंत्री जी को बोलने तो दें, वह क्या कहना चाहते हैं, उसको सुन लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का यह मामला है, पूरे प्रदेश की वसूली को स्थगित करना चाहिये । मंत्री जी उसको घोषित करने जा रहे हैं या नहीं । हम भाषण देने और सुनने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

भाषण देने की स्थिति में तो हैं आप, सुनने की स्थिति में चाहे न हों ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं, इसलिये मैं और हमारा दल आज सदन से बहिष्कार करता है ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज उनके आगे जो नेता सदन जिस तरह से बोलते हैं, वही भाषा आज वह भी प्रयोग कर रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार है, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतावें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने सुना है कि जितने भी सदस्य इसकी ग्राह्यता पर बोलें हैं, मैं उसी विशेष परिस्थिति में कहना चाहता हूं कि जो ग्राह्यता की बात कही गयी है, उसका निचोड़ यह है कि उत्पीड़न की कार्यवाही को तत्काल रोका जाये, वसूली स्थगित की जाये । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह तत्काल इस मुद्दे पर घोषणा करने को तैयार है कि वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जायेगा और आज ही टेलेक्स से सभी जिलाधिकारियों को सूचना भेज दी जायेगी, और जो उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, उसको तत्काल माननीय मंत्री जी स्थगित करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। मान्यवर, जिलाधिकारी इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तत्काल घोषणा आप करें कि जो भी राजकीय वसूलियां हैं, चाहे वह सहकारिता की हों या बैंक की हों सभी को तत्काल स्थगित किया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं वही बात कह रहा था लेकिन सुना नहीं, मैं वही कहने जा रहा था । मान्यवर, जहां यह प्रकट हुआ है कि उत्पीड़न हो रहा है, जो सरकारी ऋण है, उनकी वसूली को रोक दिया जायेगा और जो भी राहत के कार्य होंगे, वह किसानों को पहुंचाये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने सरकारी, सहकारिता, बैंक सभी कहा है।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है, किसी स्थान विशेष का नहीं है । माननीय सदस्यों की भावनायें सदन में आ गयी हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी टालमटोल करते हैं, लीपापोती कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर इस तरह की स्थिति है, वहां पर वसूली स्थगित कर दी जायेगी । मान्यवर, पूरे प्रदेश का सवाल है, जहां-तहां का सवाल नहीं है आप माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करें और प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको न बनावें। केवल जनहित में, किसानों के हित में, प्रदेश के हित में घोषणा कर कि किसी भी स्थान पर जो उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, यह अगर-मगर और जहां-तहां न लगायें, पूरे प्रदेश स्तर पर घोषणा करें कि रोक दिया जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर मैंने सुना तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि वे किसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं बाहर से नहीं आये हैं । आज सारे प्रदेश के किसी भी जिले में बारीश नहीं हुई है और जब नहीं हुई है तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि जहां-जहां आवश्यक होगा वहां-वहां पर हम व्यवस्था करेंगे ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

यह नहीं कहा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

तो फिर क्या कहा, आप ही बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आपने जो सुना वह उन्होंने नहीं कहा । . . . . (व्यवधान)

एक तो जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं वह सुन नहीं रहे हैं । दूसरे यह कह रहे हैं कि उन्होंने यह कहा और तीसरे जब आपसे यह कहा जा रहा है कि उन्होंने यह नहीं कहा तो आप नाराज हो रहे हैं । . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, स्पष्ट शब्दों में मैंने यह कहा कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी। दूसरे मैंने यह कहा कि अगर सूखा पूरे प्रदेश में है तो माननीय यादव जी जानते होंगे, वे मुख्य मंत्री रह चुके हैं कि सूखा कैसे डिक्लेयर किया जाता है । उसको केन्द्र में भेजना होता है ग्रान्ट के लिये, असिस्टैंस के लिये । उसके लिये कुछ फारमैलिटीज पूरी करनी होती हैं । जहां-जहां सूखा है वहां-वहां किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न की कार्यवाही और सरकारी ऋणों की वसूली नहीं होगी । किसानों के लिये जो भी सम्भव सहायता होगी, दी जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अब आपने वही बात कही कि अगर पूरे प्रदेश में सूखा होगा । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में बारिश नहीं हुई है भले ही आपको फारमैलिटीज पूरा करने में कुछ समय लग जाय लेकिन पूरा रिकार्ड देखने के बाद हमें यह महसूस और विश्वास नहीं होता कि आप किसानों का भला कर पायेंगे . . . (व्यवधान)

मेरा कहना यह है कि पिछले साल आपके विशेषज्ञों ने यह राय आपको दी थी आप रिपोर्ट मंगाकर देख लें, जिसमें यह कहा गया था कि 20 करोड़ रुपया अगर सरकार खर्च कर दे तो सूखे से 60 प्रतिशत तक फसल बची रहेगी । लेकिन आपने 20 करोड़ रुपया खर्च न करके उत्तर प्रदेश के किसानों की 125 करोड़ रुपये की फसल बरबाद कर दी । यह भी आपकी जानकारी में होगा कि आपके प्रदेश में प्रति वर्ष सूखा और बाढ़ से 700 करोड़ रुपये का नुकसान होता है । यह तथ्य भी आपके पास होंगे । आज स्थिति यह है कि 15 जून तक बारिश हो जानी चाहिए थी । कभी-कभी तो जून के प्रथम सप्ताह में हो जाती है । लेकिन आज 2 जुलाई हो चुकी है बारिश नहीं हुई है । इसका सबसे बड़ा प्रतीक यह है कि चित्रकूट के अन्दर लोग मरे हैं । प्यास के खातिर मरे हैं ।।हमारा कहना इस सरकार से यह है कि मेलों में यदि यह सरकार लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती है लोग प्यास के मारे काल के गाल में समा गये, उनको चुल्लू भर पानी नहीं मिला तो सत्ता पक्ष के सदस्यों के मुंह में तो ताला लगा है लेकिन आप विरोध पक्ष के सदस्यों की जबान बन्द नहीं कर सकते हैं । आप घोषणा करते हैं कि हम करेंगे । लेकिन आप यह करते-करते चले जायेंगे जैसा कि आपके प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम देखेंगे, हम करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन वह भी करते-करते चले जायेंगे । इस-लिये आप स्पष्ट घोषणा करें कि जितनी भी किसानों से राजस्व की वसूली हो रही है उसे हम तत्काल रोकते हैं । दूसरा पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें तीसरा क्या क्या सहूलियतें प्रभावित किसानों को दी जायं इसके संबंध में दो घंटे की आज चर्चा कराई जाय । मैं इन तीन बिन्दुओं को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत होकर कह रहा हूं । सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिये ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि सरकारी देयों की वसूली स्थगित की जायेगी । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उस सरकारी देय में लैण्ड डैवलपमेंट बैंक तथा दूसरे बैंकों के जो ऋण हैं उनकी वसूलयाबी को भी स्थगित करेंगे । क्योंकि किसानों

के ऊपर विशेषकर बैंकों का कर्जा है और उनकी वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही होती है एल0 डी0 बी0 किसानों की जमीन को रेहन रखता है उसके बाद कुर्की और नीलामी की कार्यवाही होती है । तीन तरह का पनिशमेंट किसान को मिलता है जो कहीं भी किसी मुल्क में तीन तरह का पनिशमेंट एक साथ नहीं होता है, जमीन को रहन रखना, कुर्की करना और फिर हवालात में बन्द होना पड़ता है, किसान के सामान को तहसील में उठा ले जाते हैं । तो इस तरह से चार प्रकार उत्पीड़न किसान का होता है । माननीय मंत्री जी ने जो कहा उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । स्पष्ट आश्वासन हम चाहते हैं कि सरकारी दयों में क्या-क्या स्थगित करेंगे ? किसान का गेहूं खरीदा नहीं गया है जो खरीदा भी गया है उसके चैक को लेकर वह दर-दर घूम रहा है क्या उस चैक का एडजस्टमेंट इस कर्जे में करेंगे, तथा जो गन्ने की पर्चियों का भुगतान किसानों को नहीं हुआ है उन पर्चियों का भी एडजस्टमेंट करेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें कहा कि जहां सूखे की स्थिति है वहां वसूलियां स्थगित कर दी गयी हैं । मैं उनके वक्तव्य को चुनौती देता हूं वह इसलिये कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद न केवल सूखाग्रस्त है बल्कि वहां पहले ओलावृष्टि भी हो चुकी है उससे सारी फसल वहां की नष्ट हो गयी है । मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी को टेलीफोन भी किया और माननीय मुख्य मंत्री जी को तार भेजा था । उसके बाद आज वहां सूखे की स्थिति जारी है । वहां पर किसानों से प्रशासनिक अधिकारी डंडे के बल पर वसूली कर रहे हैं । मैंने इस उत्पीड़न की भी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से की है और कहा कि वहां पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है ।

श्री औसान सिंह–

मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं उनको पहले सुन लें । आप बाद में पूछ लें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने कहा था कि जहां सूखा है वहां वसूली नहीं होगी । मैंने जो कुछ कहा वह कार्यवाही में लिखा गया होगा । ऐरी साहब जो बात कह रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुये उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी । सरकारी ऋणों की वसूलयाबी नहीं की जायेगी । माननीय किरन पाल सिंह जी ने बैंकों के ऋणों के बारे में कहा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या बैंक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हैं, वह हमारे अधीन नहीं है । उनका सीधे रिजर्व बैंक से संबंध रहता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उनको पहले सुन तो लें ।

श्री अम्मार रिजवी–

इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक को लिखेगी और यहां की जो स्थिति है उसको बताया जायेगा उनसे अनुरोध करेंगे कि इस स्थिति को देखते हुये जो बैंक्स के कर्जे हैं उनकी वसूली भी स्थगित रखी जाय ।

श्री आसान सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जिन जनपदों में सूखे की स्थिति होगी वहां राहत दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बतायेंगे कि प्रदेश में कौन से ऐसे जनपद हैं जहां वर्षा हो गयी है। हमारी निश्चित जानकारी है कि पूरा प्रदेश सूखे के चपेट में है । इसी वसूलयावी के कारण हमारे यहां सैकड़ों प्रधान सस्पेंड कर दिये गये हैं, और लाइसेंसदारों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिये गये हैं जिन्होंने वसूली नहीं की ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप शांत रहें अब इस पर काफी हो चुका है। दोनों तरफ से जवाब-सवाल हो गये । इसके बाद क्या कहना है ? यह काम तो मेरा नहीं है कि इससे ज्यादा और कुछ कह सकूं । उन्होंने जवाब दे दिया ।

(शोर)

श्री राम नरेश यादव–

संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देने में बहुत पटु हैं, हम उनकी ताइद करते हैं और सभी करते हैं । जो आपके क्षेत्र में है, आप करें । केन्द्र के क्षेत्र में जो है, वह केन्द्र करेगी । केन्द्र तक अपनी अपनी आवाज पहुंचाने का काम राज्य सरकार का है, वह करती रहेगी । इसमें हमें नहीं कुछ कहना है किन्तु आपकी परिधि में है, उसको तो आप करें । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी उत्पीड़न कार्यवाही स्थगित करने की बात करते हैं, तो इसका टेलेक्स कब तक चला जायेगा, कब जारी होगा? दूसरी बात आपकी परिधि में आती है । इधर जो बैठे हैं उनको ही चिन्ता है । ऐसा नहीं है । चिन्ता उधर बैठने वालों को भी है । वह लोग भी चुन कर आये हैं, जन प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके क्षेत्र में भी सूखा है । क्या सारे प्रदेश की स्थिति कोध्यान में रखते हुये इसको सूखाग्रस्त घोषित करेंगे? सूखा घोषित करने संबंधी टेलेक्स कब चला जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है । ....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलवा दिया है, आप लोग बैठें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार किसानों से सूद ले रही है । किसानों पर अत्याचार कर रही है ।

(शोर)

श्री सत्यपाल सिंह–

टेलेक्स कब तक हो जायेगा, यह जवाब तो दिलवा दीजिये । वसूलयावी के विषय में कब तक टेलेक्स भिजवा देंगें ।

श्री अम्मार रिजवी–

प्रासेस चल रहा है जगहों के आईडेन्टीफिकेशन के बारे में जहां जहां आईडेन्टीफाई हो गया है, भेज दिया जायेगा । जहां आईडेन्टीफिकेशन नहीं हो पाया है, आईडेन्टीफाई होने के बाद भेज दिया जायेगा ।

(लगातार शोर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, किसानों का कोई खयाल नहीं किया जा रहा है, यह सरकार किसानों की दुश्मन है । इसलिये मैं तथा मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित 'जिस खेत में धान नहीं–उसका लगान नहीं,' के नारे लगाते हुये सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, एक बात अगर साफ हो जाती तो सदन में यह गर्मी न आती । एक चीज साफ कराने की कृपा करें । मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं जितने सूखा क्षेत्र हैं वहां वसूली रोक दी जायेगी । दूसरी बात कह दिया कि राम नरेश जी मुख्य मंत्री रह चुके हैं उन्हें पता होगा कि सूखा क्षेत्र कैसे निश्चित किया जाता है, उन्हें जानकारी होगी । मंत्री जी ने मान्यवर, भ्रम पैदा कर दिया । पूरे प्रदेश में पानी नहीं गिरा । ऐसी स्थिति में लेखपाल को कष्ट क्यों दे रहे हैं । क्या शासन यहां से निर्णय नहीं ले सकता कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अब समाप्त करें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

जहां सूखा पड़ा है, यह कंडीशन लगाकर निर्देश दिया जाएगा, तो यही असंतोष का कारण है । आप इतना मंत्री जी से कहलवा दीजिए कि शासन साफ साफ निर्णय ले लेगा, बिना किसी अगर मगर के । निर्देश जो देना है, उसको साफ दें, कंडीशनल निर्देश न दें । इतना कर दें तो असन्तोष शान्त हो जाएगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मंत्री जी की बात बड़ी बड़ी धोखा वाली, भ्रम पूर्ण और अस्पष्ट है । वह साफ तौर पर यह बताएं कि क्या-क्या काम सूखा राहत में अब तक किया है । सबको अंदेशा इस बात का लगता है कि वह इसकी रोकथाम का कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं । इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो कार्य स्थगन की सूचनाएं दी हैं, उनको आप सुन तो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में आती तो नहीं, वैसे जो हो सकेगा करेंगे । यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि नियम 56 में आती है तो आप बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब मैंने उस पर हस्ताक्षर किये तो अपने को सन्तुष्ट मानकर ही हस्ताक्षर किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें दस्तखत करने की ही बात नहीं है, यह तो दूसरी बात हो गई । आप तो सभी नियमों के काफी जानकार हैं । यदि आपको नियमों की जानकारी है तो बता दीजिए कि उसमें आता है । . . (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह सकता था । कार्य स्थगन के लिए 3 शर्तें होती हैं । एक तो वह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए । ऐसी घटना होनी चाहिए जो तत्काल घटित हुई हो । तो उन सभी शर्तों में यह आती है । शासन के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की सतत उपेक्षा करने के कारण गढ़वाल आदि जगहों पर जनता में व्यापक असन्तोष है । उस असन्तोष और रोष की अभिव्यक्ति के लिए वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक आन्दोलन शुरू किया था और उसके अन्तर्गत चमोली में आमरण अनशन हो रहा था । किन्तु आपकी पुलिस ने उन आमरण अनशनकारियों को दफा 309 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । यह दफा 309 वह धारा है जो आत्म हत्या करने के प्रयास में लागू होती है । यह कोई अच्छी बात नहीं है । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्त जी, अब आप खत्म कीजिए । कार्य स्थगन की सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं । अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन भोजनावकाश हेतु स्थगित हुआ । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुयी ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 3 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ।)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से 29-6-87 को प्रश्न किया था कि मेरे क्षेत्र में विकास खंड अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसको आप लिखकर दे दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इसमें कुछ अशुद्धि रह गई है । यह जो अनधिक लिखा हुआ है इसके बाद धनराशि छपना मिस प्रिन्ट हो गया है तो अनधिक के बाद धनराशि कर दिया जाए, जो यह एक से लेकर 6 तक अशुद्धि रह गई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको ठीक कर दिया गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ठीक है ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 37–(सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,70,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,68,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,58,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,48,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,65,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,49,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, सम्मानित सदन के सम्मुख 1987-88 का लेखानुदान प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे आज पुनः प्राप्त हो रहा है। श्रीमन्, चिकित्सा विभाग वह विभाग है जिसका सम्बन्ध सीधे मनुष्य की कठिनाई, परेशानी दुख से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मानव की परिधि के बाहर इन सबको दूर करना सम्भव नहीं है फिर भी श्रीमन्, प्रयास यह किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों, यहां की बहनों और छोटे बच्चों को अधिक से अधिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जाय और उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है, इसे दूर करने का हर सम्भव प्रयास किया जाय । किसी भी राष्ट्र या किसी प्रदेश के विकास के लिए, उसकी औद्योगिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि कुछ कार्य जनहित की दृष्टि से किया जाय । सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे बच्चों का है जो देश के भविष्य का नागरिक होता है जिसके ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है । जो भविष्य में एक सुबुद्ध नागरिक के रूप में इस सदन में आकर अपने क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को हल करेगा । हमारी जनसंख्या में श्रीमन्, शून्य से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत 40 है । 1980 के पूर्व बाल चिकित्सा, बाल रोग और बाल मृत्यु इसके ऊपर इतनी तवज्जह नहीं थी, प्रयास जरूर होता रहा । मगर भारत का जो औसत है उससे उत्तर प्रदेश का औसत कहीं ऊंचा था। बाल मृत्यु में 1980 में भारत का औसत 165 था और उत्तर प्रदेश का 180 था और 1987 में राष्ट्रीय औसत 95 है और उत्तर प्रदेश का 1985 के आंकड़ों के अनुसार 140 है यानि 140 शिशु मृत्यु हर 1000 शिशु के पैदा होने में ।

श्रीमन्, विश्व का औसत अगर लेकर चलें तो विश्व में जो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील माना जाता है वहां पर यह शिशु मृत्यु दर 1000 में 30 है । अर्थात हमारे पिछड़ेपन का अगर कोई सबसे बड़ा सबूत है तो बाल मृत्यु है। जब कार्यक्रम आरम्भ होता है चिकित्सा का तो आरम्भ से ही शिशु को देखने की बात होती है। लक्ष्य है सन् 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए, यह केन्द्र शासन का, उत्तर प्रदेश का और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक निश्चय है। स्वास्थ्य सबके लिये सन् 2000 तक सम्भव कैसे हो । मुझे श्रीमन्, इस सदन में इस विभाग का लेखानुदान प्रस्तुत करने का 7 बार सौभाग्य मिला और यह आठवीं बार मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे श्रीमन्, अब यह कहते हुए प्रसन्नता भी है और इस बात का गर्व भी है कि केन्द्र सरकार ने इसकी तरफ सही दृष्टिकोण अपनाया । अभी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम क्षण तक और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश में चिकित्सा जगत में चिकित्सा पर होने वाले परिव्यय नगरीय क्षेत्रों में 80 प्रतिशत था । जो धनराशि चिकित्सा पर व्यय की जाती थी उत्तर प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय

योजना के अन्त तक और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में वह 80 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में थी और 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थी जब कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 80 प्रतिशत थी और है और नगरों की जनसंख्या 20 प्रतिशत । यह जो अन्तर था इसको दूर किया गया और इसका सही स्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष के निरन्तर प्रयास के बाद हम प्रस्तुत करने की स्थित में है। विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में अर्थात् 1985-86 और 1986-87 में 848 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनकी स्थापना हो रही है। इस वर्ष 540 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है। विकास खण्डों पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार किया गया और उसको कार्य रूप में परिणित किया गया । पांचवीं पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में 940 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और 1985-86 और 1986-87 और 1987-88 अर्थात् इन तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1300 कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायगी। हर तीस हजार की जनसंख्या पर पहले लक्ष्य क्या था 80,000 के ऊपर, 1 लाख की जनसंख्या पर, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होती थी, अब वह घट कर 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होगी और उत्तर प्रदेश में यहां की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 11 करोड़ है और उसमें 2,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना सातवीं पंच वर्षीय योजना अर्थात् 1990–94 के समाप्त होने के पूर्व कर देने का है। इसी प्रकार श्रीमन्, जो हमारे 940 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, जिनकी वृद्धि 1 लाख के ऊपर जनसंख्या के ऊपर की सेवा करने की थी, इन सब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को केन्द्र सरकार ने सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की नीति को स्वीकार कर लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हर 1 लाख की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्र में होगी । इसमें सात स्पेशलाइज्ड चिकित्सकों की उपलब्धि होगी । 1950-51 में देश के आजाद होने के दो वर्ष, तीन वर्ष बाद प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे जिला मुख्यालयों में सन् 1960-61 तक दो चिकित्सक, तीन चिकित्सक की व्यवस्था होती थी। आज जो परिकल्पना है, जिसे हम करने जा रहे हैं श्रीमन्, आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपकी अनुमति से उसमें 7 स्पेशलाइज्ड चिकित्सक दिये जायेंगे । हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सर्जन रहेगा, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहते हैं, पुराना स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें चिकित्सा को परिधि 1 लाख से ऊपर होगी, जिसमें एक सर्जन, एक गाईनोकोलोजिस्ट, एक रेडियोलाजिस्ट, एक पैथालाजिस्ट, एक बाल रोग विशेषज्ञ होगा और एक आपका दन्त, गला, नाक, कान इसका चिकित्सक होगा । जब मैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं, तो उस परिधि के अन्तर्गत पिथौरागढ़ से ललितपुर और बलिया से आगरा सभी आता है, कोई स्थान छूटा नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह–

हड्डी विशेषज्ञ कोई नहीं है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हड्डी वाला अभी नहीं है। हड्डी वाला जिला मुख्यालय पर होगा । जो 30 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जा रहे हैं वह पर्वतीय क्षेत्रों

में 20 हजार की जनसंख्या पर हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस समय 30 हजार की जनसंख्या पर है और उस 30 हजार की जनसंख्या पर यह 7 चिकित्सक उपलब्ध कराये जायेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की है और इसीलिए आप सब सम्मानित सदस्यों के सुझाव और भावनाओं को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 1500 आवासों के निर्माण का फैसला किया गया है और इस समय 900 आवास निर्माणाधीन है और इसके लिए 23 करोड़ रु0 का प्राविधान है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक हम 1500 आवासों का निर्माण ग्रामीण चिकित्सकों के लिये करवा देंगे। हमारे सामने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों ने एक सुझाव रखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या के आधार को मानक न माना जाए, पर्वतीय क्षेत्र में यह मानक दूरी का हो। मान्यवर, वहां की परिस्थिति भिन्न होती है, इस प्रश्न को चूंकि यह ग्रामीण पर्वतीय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिशत भारत सरकार का योगदान होता है। इसमें मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की भावनाओं को स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन, जो अगस्त या सितम्बर में होगा, उसमें रखूंगा और मुझे विश्वास है कि वे मान जायेंगे क्योंकि हमारे देश के अन्य सहायक भी आयेंगे, उनके यहां पर्वतीय क्षेत्र तो नहीं हैं लेकिन कहीं मरुस्थल है तो कही बीहड़ है और वे भी इसी दृष्टिकोण से सोचेंगे इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारत सरकार को अपने तर्कों से प्रभावित कर सकेंगे तो यह बात स्वीकार हो जायेगी।

श्रीमन्, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है ताकि रेफरर केसेज जिला स्वास्थ्य केन्द्र पर लाये जा सकें। उत्तर प्रदेश में इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है और यह लक्ष्य पूरा करते-करते उत्तर प्रदेश में हम लगभग 150 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर चुके रहेंगे। इस परिधि में लगभग 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की और स्थापना करना है। अभी उत्तर प्रदेश के जो राजकीय मेडिकल कालेजेज हैं उनके निदेशक और प्रधानाचार्य से वार्ता हुई और आने वाले वर्षों में, क्योंकि यह 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ स्थापित करने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यहां पर लगभग हर विषय के 1200 चिकित्सक चाहिए। 1200 रेडियोलाजिस्ट, 1200 सर्जन चाहिए, 1200 पैथालाजिस्ट और 1200 कार्डियोलाजिस्ट तथा 1200 विशेषज्ञ चाहिए होंगे। इनके लिए उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए इस वर्ष से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज इस दिशा में, इन चिकित्सकों की शिक्षा की व्यवस्था को प्रारम्भ करने जा रहे हैं। श्रीमन्, स्वास्थ्य के बारे में मुझे कहना है जैसा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। विगत वर्ष कुम्भ का मेला हरिद्वार में जो हुआ उसमें प्रथम बार हैजे के टीकों की व्यवस्था समाप्त हुई। मेलों और तमाशों में जो हैजे के टीके बरसों से लगाये जाते थे, यह व्यवस्था अब समाप्त हुई और यह प्रयास किया गया कि जहां ये मेले होते हैं और जिन-जिन कारणों से यह बीमारी उत्पन्न होती है, उनको दूर किया जाए। हमने इस सम्बन्ध में हरिद्वार में प्रयास किया और इसमें हमको सफलता मिली और इसी वर्ष प्रदेश

में जो माघ में मेले हुए हैं, अयोध्या का मेला, जन्माष्टमी के समय वृन्दावन का मेला, मथुरा और चित्रकूट का मेला आदि में सभी स्थानों पर ।

एक सदस्य–

पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं कराई, क्योंकि अब शरीर को पानी की जरूरत ही नहीं रही ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नहीं मान्यवर, पानी की व्यवस्था वहां पर भी थी और आज भी हर शरीर को है । डाक्टरों का यहां तक कहना है कि शरीर का 75 प्रतिशत अंश पानी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

पानी तो इनके चेहरे से ही जाहिर हो रहा है। वैसे पानी तो एक चुल्लू ही काफी है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

लेकिन आज चुल्लू हैं, बिना जल के । वैसे अगर आपका पानी खत्म हो गया हो तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे । हम लोग श्रीमन्, अंधे नहीं हैं, हम लोग प्रबुद्ध हैं । आंख से, कान से और दिल-दिमाग से हमारे सभी मा0 सदस्य जागरूक हैं। तो श्रीमन्, मैं स्वास्थ्य पर कह रहा था कि इस वर्ष जो हमारे मेले होंगे उन मेलों में इस प्रक्रिया को हम अपनायेंगे और इसी के साथ जैसा कि आज सूखा पड़ा हुआ है। लगभग एक लाख, 12 हजार गांव, 84 हजार गांव सभाएं तथा 8.50 हजार न्याय पंचायतें उत्तर प्रदेश में प्रभावित हैं । बीच में श्रीमन्, एक बात और बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने अब यहां से जिला मुख्यालयों के लिए कई चीजों की व्यवस्था की है । अभी मिर्जापुर के एक माननीय सदस्य ने ग्राम प्रधानों की बात उठायी तो इस पर इस सदन का वातावरण बहुत गरम हो गया । जल शुद्धीकरण का मामला था तो मैंने हर ग्राम प्रधानों के पास ब्लीचिंग पाउडर भेजा और हरेक के पास कुनैन की गोलियां भेजीं । और श्रीमन्, यही नहीं हम अगले वर्ष यह प्रयास करेंगे और मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है । हमारे प्रधानों ने इस कार्यक्रम को अपनाया है और उत्तर प्रदेश को महामारियों से बचाने में हम प्रधानों के माध्यम से काम कर रहे हैं । हमारे पास ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ता हैं ....

(व्यवधान)

....अभी तो प्रधानों का चुनाव होगा । आप हमारे ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानों का चुनाव कराएं, तो चुनाव जल्दी ही होगा । प्रधानों के माध्यम से हमने गांवों में जल शुद्धीकरण की व्यवस्था कराई....

(व्यवधान)

....विधायकों को कौन सी गोली चाहिये, हमारे विधायकों को तो पानी चाहिए, जिससे कि वे इस पर (सदन के फ्लोर की ओर इशारा करके) न आएं ।

(थपथपाहट)

....अगर श्रीमन्, आज्ञा हो तो इसकी कहानी बता दूं, आप तो विश्वविद्यालय से अभी हाल ही में निकले हैं, मुझे निकले 40 साल हो गये । मैं पालि-

टिक्स का छात्र था । कामन वेल्थ की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी । इसका बेल नाम क्यों पड़ा । जेम्स टुवर्डस (सेकेंड) .... (व्यवधान) ... विधायकों को कौन सी गोली चाहिये मा0 अध्यक्ष जी निर्धारित कर दें, बाबा की गोली जो त्रिशूल पर है, वह आ रही है। तो मान्यवर, कामिल साहब ने, जब वहां पर जेम्स टुवर्डस (सेकेंड) पीठासीन थे, उनको घसीट लाया गया और उनकी हत्या कर दी । तब से यह वर्जित (बेल) माना गया । हमारे यहां सब देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा की नहीं होती । उनकी पूजा वर्जित है, कुछ उन्होंने गलती की है, इसलिए पूजा नहीं होती । इसी प्रकार विधायकों ने कुछ गलत काम किया है, इसलिये यह जगह उनके लिये वर्जित है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, भगवान शंकर का प्रसाद तो खिला दीजिये, पंडित जी से प्रसाद खिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

पंडित जी इनको प्रसाद खिलवा दीजियेगा । (हंसी)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हमारे आबकारी विभाग ने उसको रोक दिया है और दो जगह से यह आया है, एक तो मथुरा से आया है और एक काशी से आया है कि विजया पर जो रोक लगी है, इसको हटा लिया जाय, फिलहाल विजया पर रोक लगी है।

श्री किरन पाल सिंह–

आपको स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, आप विभाग बदल लीजिये। आप इधर उधर की बात ज्यादा कर रहे हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मैं स्वास्थ्य पर कह रहा था । स्वास्थ्य का एक पहलू मैंने श्रीमन्, आपके सामने रखा कि संक्रामक रोगों से उत्तर प्रदेश को कैसे बचाया जाय । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का कुछ भूभाग है, गोरखपुर मण्डल में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, लखनऊ मण्डल में खीरी लखीमपुर, सीतापुर, बरेली मण्डल में बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं, मुरादाबाद मण्डल में मुरादाबाद, वाराणसी मण्डल में थोड़ा-थोड़ा सूत्रपात बलिया में हुआ मस्तिष्क ज्वर का । मस्तिष्क ज्वर–इसका समय है 15 जुलाई के बाद से और 15 अक्टूबर तक ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के लगभग 18 जिले हैं, जिनको हम संवेदनशील मस्तिष्क ज्वर के मामले में मान सकते हैं। हम उनको भी लेते हैं, जहां पिछले वर्ष 10–5 केसेज भी हो गये हैं । क्योंकि अगर शुरुआत हुई, तो इस साल बढ़ सकता है। भारत सरकार ने भी इसको मलेरिया कार्यक्रम की तरह, राष्ट्रीय अभियान के रूप में ले लिया है। जिन जनपदों और जिन क्षेत्रों में यह हुआ है, उनके लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में 2-3 बातें मुख्यतः बता देना चाहता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

किस क्षेत्र में ज्यादा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय सरदार सिंह जी का गांव तो बच गया, अब वहां यह प्रकोप नहीं है। लेकिन, राणा जी आपके यहां जरूर जायेगा । इससे कैसे छुटकारा दिलायेंगे उसको भी सुन लें, उपाय सुन लें।

श्री किरन पाल सिंह–

आप ही भेज देते हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह खुद ले जायेंगे। जमुना मइया के बगल में हैं। हमारे देश का सम्पूर्ण इतिहास– वह जमुना के किनारे ही हुआ है। चाहे महाभारत का युद्ध रहा हो, चाहे पानीपत का युद्ध रहा हो, और चाहे कंस का वध हो। जो हुआ है, वह सब जमुना के किनारे हुआ है।

मान्यवर, मैं मस्तिष्क ज्वर के बारे में बता रहा था । 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों पर आमतौर पर इसका आक्रमण होता है। इसमें बहुत तेज बुखार होता है, चेहरा लाल होता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है। जब यह तीन सिंपटम मिले, तो कभी भी बच्चों को दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिये, सीधे जिला अस्पताल में उस बच्चे को पहुंचा दें। जिन जिले में यह घटना दूर होती है, वहां पर मस्तिष्क ज्वर के लिए गृह विभाग से, पंचायती राज विभाग से यह संबंध है कि वहां अगर हमारे पास वाहन नहीं है, तो तत्काल चाहे पुलिस के वाहन से अथवा कोई व्यवस्था बनाकर शासकीय खर्च पर उस बालक को उसके माता पिता के साथ जिला चिकित्सालय तक पहुंचवा दें। अगर 24 घंटे के अंदर इस रोग से अक्रांत बालक जिला चिकित्सालय पर पहुंच जायेगा, तो मृत्यु की संभावना शून्य हो जाती है। 24 घंटे के बाद वह बेहोश हो जाता है।

श्री विजय सिंह राणा–

भर्ती करने वाला कोई अस्पताल में होना चाहिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वहां पूरी व्यवस्था रहती है, प्रयास रहता है। अब तक हुए प्रयास ही यह बताते हैं कि यह योजना सफल हुई है। 24 घण्टे के बाद बच्चे को बेहोशी आने लगती है। और वह कोमा में आ जाता है तब उसके बाद बचने की सम्भावना कम होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचा दिया जाना चाहिए उसके ले जाने का सारा व्यय शासन का होता है।

क्षय रोग का जहां तक प्रश्न है आज भी लगभग प्रदेश में 99 लाख व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। अब क्षय रोग ला-इलाज रोग नहीं है। यह बीमारी दूर हो जाती है, यदि समय से उसकी चिकित्सा हो जाय। होता यह कि फस्ट डोज के बाद रोगी यह समझता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है और वह दवा खाना बन्द कर देता है, तब क्षय रोग कठिन हो जाता है, इसलिए दोहराने की स्थिति न आये। समय-समय पर जांच होनी चाहिए, थूक की जांच होनी चाहिए और वह रोगी निरोग हो

जाता है। जिला चिकित्सालयों में क्षय रोग के क्लीनिक हैं और किन्हीं-किन्हीं स्थानों में क्षय रोग की शैय्याएं भी हैं। जैसे गठिया में है, बृन्दावन में है, भुवाली में है, रामनगर में है।

दृष्टिहीन रोग में कैट्रेक्ट (मोतिया बिन्दु) एक रोग है। माननीय गुप्ता जी के सीतापुर में आई-हास्पिटल है, वहां पर लैन्स लगाना आरम्भ हो गया है, जिसे इन्ट्राकुलर लैन्स कहते हैं। प्रतिवर्ष औसतन 2 लाख लोगों का मोतिया बिन्दु का आपरेशन होता है। यह कोई बीमारी नहीं है। यह उम्र की बीमारी है। गरम देश में, जैसे भारतवर्ष में यह रोग 50 से 55 वर्ष के बाद होना स्वाभाविक है और ठण्डे देशों में जैसे यूरोप आदि में यह रोग 65 से 70 वर्ष के बाद होता है। इसका इलाज हमारे देश में कई अन्य सेवा संस्थायें भी करती हैं। माननीय श्री द्विवेदी जी ने जयपुर की बात कही, वह भी जो हुआ, आपकी कृपा से हुआ है। उन डाक्टर साहब का अब प्रदेश में आना बन्द हो गया है। खुर्जा, मुरादाबाद और मथुरा में ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। जो बढ़िया ड्राइवर होता है, उससे एक्सीडेन्ट भी होता है। अब तो एक कम्पटीशन है कि कितनी जल्दी सर्जरी की जा सके ताकि अखबारों में नाम आ सके और यह स्वाभाविक भी है और मानव प्रकृति भी है। वैसे वह अच्छे चिकित्सक थे। लेकिन वह घटना दुर्भाग्य थी। कोई भी सर्जन नहीं चाहता है कि उसका आपरेशन खराब हो। श्रीमन्, कुष्ठ बहुत पुरानी बीमारी है। अभी आपने अनुकम्पा करके इस सदन में एक प्रस्ताव पारित किया है और जो पुराना लिप्रोसी ऐक्ट था, उसको समाप्त कर दिया गया है। उन्हें कुष्ठ के नाम पर न तो सार्वजनिक कार्य में स्थान मिल सकता था और न नौकरी मिल सकती थी। उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता था और वह व्यक्ति मानसिक दृष्टि से मर जाता था। इस प्रकार, पुराने कुष्ठ ऐक्ट को रिपील किया। यह कोई बीमारी नहीं है, यह जरूर है कि पारम्परिक रूप से भावनायें हैं कि यह एक छूत की बीमारी है। इसके रोगी के लिए सबसे बड़ी समस्या निरोग होने की नहीं है बल्कि उसके रिहैबीलिटेशन की है। उसके परिवार के लोग भी उसको अंगीकार करने में हिचकते हैं, उनके रिहैबीलिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिए प्रयास हो रहा है कि इनको ऐसे कार्य दिये जायं कि जिस अंग में बीमारी हुई है, उस अंग में चोट न आये और वे कार्य कर सकें जैसे कि खेती का काम है, सिलाई का काम है, बिनाई का काम है, ये काम उनको दिये जायं।

इसके बाद है शिक्षा। उत्तर प्रदेश में 7 मैडिकल कालेजेज हैं, 10 आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज हैं, 2 यूनानी हैं और 9 होम्योपैथिक हैं। सब भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध हैं। होम्योपैथी आगरा विश्वविद्यालय से और 7 मेडिकल कालेज 7 विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। आयुर्वेदिक कालेज भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। इनमें एकरूपता नहीं है। शासन यह विचार कर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय? इस समय लगभग 950 छात्र प्रति वर्ष मेडिकल कालेज एलोपैथी सेक्शन से निकलता है, 500 छात्र छात्रायें आयुर्वेदिक सेक्शन से निकलती हैं और 300 छात्र छात्रायें होम्योपैथिक से निकलते हैं प्रति वर्ष। दो यूनानी विद्यालय हैं, उससे लगभग 50 छात्र निकलते

हैं, 750 छात्र प्रति वर्ष डिप्लोमा या पी0 जी0 कोर्स करके निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय चिकित्सकों की संख्या लगभग 12 हजार है, 2 हजार आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, 9 हजार एलोपैथिक चिकित्सक हैं, और 1 हजार होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। ये वे चिकित्सक हैं, जो शासकीय सेवा में हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ है। हर 10 हजार पर इस समय एक चिकित्सक है। एवरेज में आ गया 10 हजार कि 10 हजार की जनसंख्या पर एक है। सही रूप में देखा जाय तो यह नहीं है। लखनऊ में जो आधुनिक चिकित्सा जगत के लोग हैं, वे 7–8 जगह से ज्यादा कहीं जाना ही नहीं चाहते। सबसे पहले उनको गाजियाबाद चाहिये जिन चिकित्सक का स्थानान्तरण किया जाय तो उनको गाजियाबाद ही चाहिए क्योंकि वहां से दिल्ली नजदीक है।

श्री विजय सिंह राणा–

क्योंकि मुख्य मंत्री हमेशा ही दिल्ली रहते हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उसके बाद लखनऊ, उसके बाद मेरठ, कानपुर फिर इलाहाबाद–

(विपक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो ज्यादा बोलते हैं वे डि-रेल हो जाते हैं और मैं डि-रेल होना नहीं चाहता। हमारे सम्मानित रामनरेश जी जो हैं इनके डि-रेल होने का यही कारण था, वैसे वो चलते।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वास्थ्य मंत्री जी अभी तो उत्तर भाषण भी आपको देना होगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, दो मिनट में 3.40 पर मैं समाप्त कर दूंगा। अब मुझे आदेश हुआ है तो अब मैं विषय पर ही बोलूंगा। श्रीमन्, सब चिकित्सक इन आठ जगहों पर ही जाना चाहते हैं तो औसत जो है दस हजार का, इसमें कभी गड़बड़ी भी आ जाती है लेकिन श्रीमन्, इसमें कसूर हमारा ही नहीं है। हमने सम्मानित सदस्यों से अनुरोध किया कि आपका सहयोग हमें मिलना चाहिये।

इस समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वह चिकित्सक ही है। खुदा और ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो वह चिकित्सक का है।

श्री विजय सिंह राणा–

नहीं दरोगा का है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जब व्यक्ति के मुंह से राम निकलेगा तो उस वक्त जरूरत डाक्टर की होगी, दरोगा की नहीं। इसलिये मैंने शुरू में ही आपको बतलाया कि कुछ हमारी भी कमजोरियां थीं, शासन की कमजोरियां थीं कि हम उनको आवास की सुविधा नहीं दे सके। हम अगर किसी को लखनऊ में नियुक्त करते हैं, बलिया में किसी को नियुक्त करते हैं तो हमारे यहां उनके लिए आवास नहीं थे जबकि हमें चिकित्सक को आवास देना चाहिये।

एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर कहीं जाता है तो उसे आवास उपलब्ध है, उसे आवास की दिक्कत नहीं है। चिकित्सा विभाग तो बढ़ोत्तरी का विभाग है क्योंकि जनसंख्या से इसका सीधा संबंध है। यह कोई नहीं कह सकता कि 9 हजार या 12 हजार डाक्टर हो गये हैं और अब आगे इनकी आवश्यकता नहीं होगी। चाहे चिकित्सक मेडिकल आफिसर है या जिला मुख्यालय का चिकित्सक है, उसको आजकल आवास देने की व्यवस्था की गयी है। अगर सरकारी आवास नहीं है, तो उसको किराया दिया जायेगा उसके आवास का। इससे हम लोगों को अंदाज हो रहा है कि चिकित्सकों का जिनका स्थानान्तरण किया जाता है और आवास की कमी के कारण 50 रुपया मकान का दिया जाता है और अगर वह सीतापुर ट्रान्सफर हो गया, तो उसे 50 रुपया मिलेगा, लखीमपुर चला गया तो भी मिलेगा, कहीं पर भी चला जाये, उसको मकान मिलेगा, तो इससे सुदूर जिलों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उनकी उपलब्धता वहां पर बढ़े।

श्री शारदा प्रताप–

जहां पर आवास हैं, वहां पर भी नहीं रहते हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पहले जहां पर आवास नहीं हैं, वहां पर बना दें, फिर देखें कि क्यों नहीं रहते हैं?

मान्यवर, संजय गांधी इन्स्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है। मैंने इसी सदन में 1980-81 में कहा था कि यह विश्व का पांचवा संस्थान होगा। अभी तक इसी दिशा में इसका कार्य चल रहा है। 27 करोड़ के उपकरण जापान सरकार ने ऋण के रूप में नहीं अनुदान के रूप में नहीं . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

कितना कमीशन मिला है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

क्या हर चीज में कमीशन चलेगा। भगवान भी कमीशन लेता है हमको जिन्दा रखने के लिए। विजय सिंह राणा के नामकरण में भगवान कमीशन लेता है, पंडित ने ही नामकरण किया है, जब हम नहीं रहेंगे, चाहे भोजन बनावें और चाहे नामकरण करें। आपके जो पुरखे हैं, आप और उनके बीच की कड़ी है। मान्यवर, मेरा समय बीत गया है। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि कमीशन मिलेगा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, अच्छी और सुव्यवस्थित सेवा के रूप में और अभी जापानी उपकरण मिल रहे हैं, जिसे गिफ्ट कहते हैं, के रूप में, मगर 20 करोड़ रुपये के और उपकरणों की आवश्यकता होगी, 1988 और 1989 के बाद। मान्यवर, इसके लिये भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, कि वह इतना रुपया कहीं से दिला दे। मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने हमारे मेडिकल कालेजेज के लिए 20 करोड़ रुपये की क्रेडिट की व्यवस्था कर दी है। इसे

हम मेडिकल कालेजों को देंगे, जिससे उनको आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा सके। इन शब्दों के साथ . . .

श्री जय नारायण तिवारी–

आप पूरी जानकारी सदन को दे दें। आप हम लोगों का भी समय ले लें।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जिला चिकित्सालयों का निर्माण 1818 से लेकर 1920 के मध्य हुआ और अधिकांश जिला चिकित्सालय उस समय 20, 25 और 30 शैय्याओं के थे और आज हर जिला मुख्यालय पर चिकित्सालय है। शासन ने आपकी कृपा से यह कार्यक्रम चलाया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हर जिला चिकित्सालय 200 शैय्याओं का बनाया जाय मैदानी क्षेत्रों में हर जिला चिकित्सालय 300 शैय्याओं का बनाया जाय और मंडलीय मुख्यालयों पर जहां मेडिकल कालेज नहीं है वहां पर 500 शैय्याओं का चिकित्सालय बनाया जाय। . . . (व्यवधान) मुरादाबाद में 500 शैय्याओं का बन रहा है। हमारे 7 मेडिकल कालेजों में डाइलिसिस लग गया है और मण्डलीय मुख्यालयों के चिकित्सालयों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों (श्रीनगर) में भी डाइलिसिस हम लगाने जा रहे हैं। बरेली में भी इस साल लगाने जा रहे हैं।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं इस विभाग की मांगों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कभी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं तो समझता था और यह उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी अपने सारे विभागों के बारे में बतायेंगे और विस्तृत रूप से जो कमियां हैं उनको सुझाव के तौर पर हम लोगों को बोलने का मौका देंगे लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी ने अपने बजट मांगें प्रस्तुत करते हुये कहीं पर यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आपका उद्देश्य क्या है । मंत्री जी ने सबसे पहले बच्चों की बात कही थी ।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये ।)

बच्चों की बात मान्यवर, मैं भी दो सालों से मंत्री जी की सुनता आ रहा हूं कि यह करेंगे वह करेंगे । वह इसमें मृत्यु दर और जन्म दर की बातें हमेशा करते हैं । जो रेट बर्थ का है और जो मृत्यु दर का है कम करने का कोई तरीका नहीं निकाला है। कब तक यह फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चलता रहेगा । इसमें पैसे का दुरुपयोग कब तक होता रहेगा । फेमिली प्लानिंग के बारे में मैं बाद में कहूंगा । सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के संबंध में कहूंगा । ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे आधार हैं वहां के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होना आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को सस्ती दवा मुहैया करने की बात है । उसके लिये हमारी केन्द्र सरकार ने तीन प्रोग्राम बनाये थे । पहला था मिनिमम नीड प्रोग्राम, दूसरा था बहुधंधी कार्यकर्ता तीसरा था जन स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना और चौथा था चिकित्सा शिक्षा पुनर्स्थापन कार्यक्रम । इन योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश से कहा था कि गांवों के अन्दर स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी उसके लिये सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मजबूत करने होंगे । यह हमारे स्वास्थ्य के लिये आधार शिला है । जहां से हम गरीब किसानों की सेवा और उनको अच्छी दवा मुहैया कर सकते हैं ।

इसके बाद यह योजना थी कि चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक को अपग्रेड कर हास्पिटल में बदलेंगे । तो यह वायदा किया था छठी पंचवर्षीय योजना में लेकिन बद-किस्मती से यह पूरा नहीं हुआ और आज सातवीं पंचवर्षीय योजना के दो साल बीत गये हैं आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ही साथ उनके भवनों के निर्माण की भी योजना थी लेकिन बदकिस्मती से हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं कर पाये । यह बात भी कही गयी थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बाद उपकेन्द्रों की स्थापना हम करेंगे । वहां पर डाक्टर हमें मुहैया नहीं है इसलिये उनमें ए0एन0एम0 और दाइयों को प्रशिक्षित कर रखेंगे । लेकिन आज तक जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र स्थापित

करने का जो हमारा लक्ष्य था वह कहीं पूरा नहीं हुआ है । बहुत सीमित संख्या में यह बने हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कि हमारे यहां जितने ब्लाक हैं उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करेंगे । छठीं पंचवर्षीय योजना में 1980-81 में 280 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था लेकिन उपलब्धि केवल 10 की हुई इस प्रकार 270 स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बन पाये इसी तरह से 82 में 280 का लक्ष्य रखा गया उसमें भी 280 की कमी रह गयी । इस प्रकार 1983 तक जो हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया । माननीय मंत्री जी ने कुछ अच्छी बातें कही लेकिन उन पर जो उत्तरदायित्व है और जो पैसा हम यहां पर देते हैं उसमें उनको देखना चाहिये कि जो लक्ष्य हमने रखा है वह पूरा हो रहा है या नहीं मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास केन्द्र बने थे । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था 261 और उपलब्धता थी केवल 53 । इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देख लीजिये लक्ष्य था 500 और उपलब्धता थी केवल 66। उपकेन्द्रों में 13151 का लक्ष्य था और अन्त में बन पाये केवल 200। मान्यवर, केवल लक्ष्य बनाना काफी नहीं है । मंत्री जी कहते हैं 85-86 में इतना हो जायेगा, 86-87 में इतना हो जायेगा, केवल कहने से लक्ष्य पूरा नहीं हो जायेगा । हमें देखना यह है कि छठवीं, सातवीं योजना में उप केन्द्र, प्रा0 स्वा0 के0 इन्टीग्रेटेड हास्पिटल्स उतने बन रहे हैं या नहीं जितना लक्ष्य था । मान्यवर, 80 से 85 तक आप देख लें । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 356 बनने थे उपलब्ध हुये 47 अपग्रेडेड हास्पिटल । 737 में प्रा0 स्वा0 के0 75 उपलब्ध हुये । उपकेन्द्र 1454 में 202 स्थापित हुये । इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा लक्ष्य था चाहे सामुदायिक विकास केन्द्रों का हो, प्रा0 स्वा0 केन्द्रों का हो या उप केन्द्रों का हो कभी पूरा नहीं हो पाया । 5 या 10 प्रतिशत भवन ही यह निर्मित करा पाये हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा 16005 भवन बनने थे जिसमें प्रा0 स्वा0 के0 भी थे, उप केन्द्र भी थे, हमारी बदकिस्मती है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 90 प्रतिशत धन भी खर्च हो गया और केवल 1082 भवन बन पाये । इसी प्रकार प्रति वर्ष रुपये का नुकसान होता रहा और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया । किसान, मजदूर, गरीब तरस रहा है कि उसको दवा कब मिलेगी । यहां कागज पर योजनायें मिटती-बनती रहती हैं । एक बात और . . .

(शोर)

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अभी तक आप मंत्री जी को सुन रहे थे . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप जारी रखें ।

श्री गोपाल दास यादव–

अब मान्यवर, बहुधंधी कार्यकर्ता योजना में आप देखें । कहा गया था कि हम जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहे शहर हो या देहात हो, प्रशिक्षित किये जायेंगे । इस योजना के तहत लाखों रुपये की धनराशि दी गयी जिसका दुरुपयोग किया गया । जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुसार हम प्रशिक्षण का कार्य पूरा नहीं कर पाये , पैसे का दुरुपयोग किया गया । गरीब जनता का पैसा मान्यवर, कागजी

कार्यक्रमों में बहा दिया गया। एम0 पी0 डब्लू0 एस0 के नाम पर, पुरुष स्वास्थ्य रक्षक, महिला स्वास्थ्य रक्षक और उसके बाद डाक्टर और ए0 एन0 एम0 को जो ट्रेनिंग देनी थी उसमें हम लक्ष्य पर पहीं पहुंचे । चिकित्सा शिक्षा पुर्नस्थापन करने की जो बात थी और उसके लिए जो लक्ष्य बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मेडिकल कालेज 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर उनको ट्रेन्ड करेंगे, यह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया है। जितने भी मेडिकल कालेजेज के लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, वह कभी भी गांवों में नहीं गये और आज भी चिकित्सा शिक्षा का जो प्रोग्राम है वह बहुत ही लिमिटेड स्वास्थ्य केन्द्रों पर चल पाया है। यदि आप अच्छी दवा देना चाहते हैं और अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उच्चीकृत अस्पतालों में पहले अच्छी और उन्नत व्यवस्था अवश्य कर लें, तब आप आगे चलें और तभी नीचे से ऊपर तक स्थिति में सुधार हो सकेगा । इस बहुधन्धी कार्यक्रम का एक विशेष मकसद था, दवा की कमी को पूरा करने का, लेकिन वह अच्छी दवा पहुंचाने का जो लक्ष्य था, उस तक भी हम नहीं पहुंच पाए और करोड़ों रुपयों की दवाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वह दवा पहुंच नहीं पाई । उसमें भारी घपला हुआ । पता नहीं वह दवा रुपया कहां और किसके पास चला गया । हो सकता है कि वह मेडिकल कालेज के प्रिंसिपलों के व्यक्तिगत खाते में चला गया हो । सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अभी मंत्री जी ने जो कहा कि हमने हरिद्वार मेले में हैजे का टीका नहीं लगने दिया । हमने हैजे की महामारी पर कन्ट्रोल कर लिया है किन्तु अभी इलाहाबाद के माननीय विधायक श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया था कि मंझनपुर में करीब 22 आदमियों ने इस बीमारी में दम तोड़ दिया था। हमारे यहां नीवा ग्राम में भी इससे बहुत आदमी मर गए हैं । मंत्री जी कहते हैं कि मक्खी एक विशेष टेम्प्रेचर पर होती है यानी ज्यादा टेम्प्रेचर पर होती है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हरिद्वार में हैजे की कोई सम्भावना कभी नहीं होगी जाड़े में मक्खी होने का प्रश्न नहीं । मैदानी क्षेत्र में इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी इतने मच्छर नहीं हुए, लेकिन हरिद्वार में जहां इतना अच्छा मौसम रहता है इसलिए हैजे का रोग फैलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सरकार बीमारियों के मामले में भी वही हालत करती है जो यह कानून व्यवस्था के मामले में करती है। जैसे पुलिस वाले अपराध की गम्भीरता को घटाने के लिए डकैती को चोरी में बदल दिया करते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग वाले हैजे को गेस्ट्रो-इंट्राइटिस बता दिया करते हैं, बीमारी की स्थिति को कम करने के लिए। गेस्ट्रो-इंट्राइटिस के लिए जो आवश्यक होता है उनके पास किट्स होते हैं उन्हें चाहिए कि उसको दे दें और उसकी जांच-परीक्षण करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि वह गेस्ट्रो इंट्राइटिस है, हैजा है या कालरा है। डाक्टर लोग भी अपनी कमी को छिपाने के लिए हमेशा मामले को गेस्ट्रो-इंट्रा-इटिस दिखाते हैं। तो आप देखें मान्यवर, कि कितनी लूट है कितना बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, कितनी बढ़ोत्तरी कर दी गई है जब बीमारी नहीं रह गई है जब हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में करोड़ों का बजट क्यों लिया गया है ? अगर यह बजट चिकित्सा में लाते तो लोगों को जो दवा नहीं मिल पाती है वह मिल जाती उनका कल्याण हो जाता । मलेरिया के बारे में

कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है पोखरों का पानी सूख गया है। इस समय मच्छर उत्पन्न होने का सवाल नहीं है, लेकिन कागजों पर डी0 डी0 टी0 छिड़काव स्वास्थ्य विभाग के लोग कागज पर कर रहे हैं मलेरिया को इन्होंने मस्तिष्क ज्वर में बदल दिया है इसी तरह से मलेरिया के जो लक्षण होने चाहिए.....

श्री अधिष्ठाता–

20 मिनट आपको होने जा रहे हैं आपको दुबारा भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप दो मिनट में खत्म कर दें ।

श्री गोपालदास यादव–

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि इन्होंने मलेरिया को मस्तिष्क ज्वर में बदल दिया है....

(व्यवधान)

डाक्टर रजनीकांत दत्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर किसी के सिर में दर्द हो तो क्या सेरीडान की गोली आ सकती है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, कल एक माननीय सदस्य ने जन स्वास्थ्य रक्षक की आलोचना की थी जो तीन महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं लेकिन मान्यवर, ग्राम प्रधान जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है क्लोरोक्वीन फास्फेट की गोलियां दे दी, आप अवलोकन करा लें किसी स्थान पर प्रधान द्वारा गोली नहीं दी जाती थीं । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा बजट है। अभी एक साहब नकली दवाओं के बारे में बात कर रहे थे। क्वालिटी कन्ट्रोल में आपने बहुत कम पैसा मुहैय्या किया है। क्वालिटी कन्ट्रोल न होने से आज उत्तर प्रदेश में निम्न स्तर की दवायें बिक रही हैं । इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यह इतना बड़ा प्रदेश है, 58 जिले हैं लेकिन केवल 30 ड्रग इंसपेक्टर्स हैं । उत्तर प्रदेश में करीब 3 हजार मैन्यूफैक्चरर्स हैं और 1 लाख दवा विक्रेता हैं। क्या यह सम्भव है कि 30 ड्रग इंसपेक्टर्स निर्माताओं और दवा विक्रेताओं और गांवों के अन्दर जाकर जांच कर लेंगे । माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथी के निदेशालय अलग-अलग कर दिये हैं उसी प्रकार से एक औषधि नियंत्रण का निदेशालय अलग बनायें। इससे दवाइयां सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बनेंगीं । महाराष्ट्र में देख लीजिये, महाराष्ट्र एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन वहां पर 110 ड्रग इंसपेक्टर्स हैं । सी0 एम0 एस0 डी0 से स्टोर में दवाई आती है जो निदेशक के अधीन हैं और जिलों में यह सी0 एम0 ओ0 और ए0 डी0 के अन्तर्गत आते हैं और ड्रग इन्सपेक्टर्स इनके अधीन रहते हैं । आप बतायें कि क्या यह सम्भव है कि ड्रग इन्सपेक्टर्स दवाओं की सैंपलिंग करेंगे ? अगर सैंपलिंग करेंगे तो ड्रग इन्सपेक्टर्स का सी0 आर0 इनके हाथ में रहता है, उसका जीवन यह बर्बाद कर देंगे उसी डर से ड्रग इन्सपेक्टर्स दवाओं की जांच नहीं करते हैं । अगर आप चाहते हैं कि दवायें स्टैंडर्ड बनें तो औषधि नियंत्रण

निदेशालय अलग बनाया जाय । यू0 पी0 डी0 एल0 एक फैक्टरी है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है । यह रेट कांट्रेक्ट में नहीं आती है। यहां से 90 प्रतिशत दवाइयां सी0 एम0 एस0 डी0 में खरीदी जाती हैं । उत्तर प्रदेश में अनेक छोटे-छोटे दवा बनाने वाले हैं, वह भी चाहते हैं कि उनको कम्पटीशन में लिया जाय अगर कम्पटीशन होगा तो दवाओं की क्वालिटी अच्छी होगी । जो इसके डायरेक्टर हैं वह शासन के सचिव होते हैं तो किसकी हिम्मत है कि यू0 पी0 डी0 एल0 की शिकायत करेगा । यू0 पी0 डी0 एल0 एक ऐसी संस्था है जिसकी दवाई पेडनसलोन दो बार बिलो स्टैंडर्ड पायी गयी हैं । अगर कोई प्राइवेट कंसर्न होता तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय यादव जी, यू0 पी0 डी0 एल0 नहीं, यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 है।

श्री गोपाल दास यादव–

तो मैं कहना चाहता हूं इसी तरह से इनके ड्रग कंट्रोलर हैं । ड्रग कंट्रोलर को फारमासियूटिकल लाइन का होना चाहिये । अगर वह फारमासियूटिकल लाइन के होंगे तो उनको मालूम होगा कि कैसे दवा बनती है। अगर कोई एम0 बी0 बी0 एस0 इस पद पर होगा तो उसको यह तो ज्ञान होगा कि दवा क्या है, किस मर्ज की है लेकिन यह ज्ञान नहीं होगा कि यह दवा कैसे बनती है। जहां तक औषधि नियंत्रण की बात है मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य ने एक डिब्बा सदन में दिखाया)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, क्या सदन में इस तरह की कोई चीज दिखायी जा सकती है ?

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा नहीं हो सकता, पहले इसकी अनुमति लेनी चाहिये थी ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह दवा मर्क कं0 की न्यूरोबियान है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। समय निश्चित करने का पीठ को अधिकार है। इसलिये मैं आपको कह रहा हूं इसका दुबारा जवाब देने को मिलेगा तो जवाब दे दीजिएगा अब चर्चा आने दीजिए। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लीजिए। मैंने निर्णय दे दिया है आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, जिला अस्पताल की बात आई। मान्यवर, अमेरिका के अन्दर जो आमदनी है वह एक लाख रुपये सालाना है और हमारे यहां 500 रुपये सालाना है तो हमारे यहां के लोग बाजार से दवा नहीं ले सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इस पैकेट में क्या है?

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपसे कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने 80 प्रतिशत लोगों को पेई कर दिया है और जो 20 प्रतिशत गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त कर दिया है कि मुफ्त दवा दी जायेगी। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर यह उचित नहीं है कि यहां के मरीजों से पैसा लिया जाय। एडमीशन के लिए पहले पर्चा 50 पैसे का था, अब एक रुपया कर दिया गया है। जो मरीज भर्ती होता है उसका भी पैसा पड़ता है, पेइंग वार्ड का 5 रुपया लिया जाता है। मान्यवर, डाक्टर अगर यह नहीं समझता है कि ग्लूकोज की आवश्यकता न होने पर भी अस्पताल में 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा देता है, इस तरह से 20 रुपये ग्लूकोज चढ़ाई हो गये। मान्यवर, यही स्थिति पैथालोजी की हो गई है। जो टेक्निशियन होते हैं जो अस्पताल में काम करते हैं वह कहते हैं कि हमारे यहां की पैथालोजी रिपोर्ट सही नहीं है और जब यह बाहर से होता है तो जो रीडिंग आती है उसका मूल्यांकन सही करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जब डाक्टर अस्पताल के अन्दर देखते हैं तो कहते हैं कि दवा नहीं मिलेगी और जब वही डाक्टर बाहर देखते हैं तो वह लोगों को अच्छी दवा देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहा था मान्यवर, जिला अस्पताल में तो बन्द है उसके बावजूद भी वहां के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल कालेजों में डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कोर्ट का आदेश लेकर कर रहे हैं। पहले यह नियम था कि प्राइवेट प्रैक्टिस चैम्बर में डाक्टर किया करते थे लेकिन आज इलाहाबाद में बड़े-बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल खुल गये हैं। मान्यवर, जो शिक्षक हैं जिनका काम अनुसंधान करवाना है, टीचिंग करना है लेकिन वह सारे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने में व्यस्त हैं। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो प्राइवेट नर्सिंग होम खुले हैं उनकी जांच करायी जाय क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में धारणा हो गयी है कि अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। 20 मिनट के अन्दर कटौती का प्रस्ताव रखना था अब 20 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया है।

आपका यह पैकेट मंत्री जी को भेज दिया जायेगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कालेजेज हैं वहां के जो टीचिंग जाब के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग हैं उनका स्थानान्तरण होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बाद में कह लीजिएगा।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में जो बजट मांग प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब अपना भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें बताई। उन्होंने कष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि की रोकथाम पर रोशनी डाली । उसी संदर्भ में दृष्टि हीनता के बारे में क्या उपाय किये जायं, उस पर रोशनी डाली। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दृष्टिहीनता का उपचार तो उनका विभाग कर ही रहा है, थोड़ा सा हमारे साथी जो उधर बैठे हुए हैं, जिनको केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, पता नहीं क्या उनको ग्लोकोमा, ट्रैकोमा या मोतियाबिन्द है ? प्रदेश में शासन कोई भी अच्छा काम करे, विकास कार्य हो, जनता की भलाई के लिए काम करे, लेकिन उनको नजर ही नहीं आता है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर थोड़ा सा इलाज हमारे उधर के बैठने वाले साथियों का कर दें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के ऊपर बड़ा उपकार होगा । यह आपके ऊपर है कि इलाज होम्योपैथिक से करें या एलोपैथिक से करें या बिजली से करें । (व्यवधान) श्रीमन् मेरा समय जाया हो रहा है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी फरमाया कि 10 हजार से ऊपर डाक्टर ज्यादा सेवा में हैं और उसमें एम0 एस0 और एम0 डी0, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उनके कथनानुसार ज्यादातर डाक्टर लोग गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा अथवा बड़े शहरों में ही रहना पसन्द करते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या विभाग के सामने है। यह समस्या आज की नहीं है, यह पुरानी समस्या है। आपने हिल कैडर बनाया, लेकिन वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। आज विडम्बना यह है कि इंजीनियर्स तो वहां पर चले जाते हैं, लेकिन डाक्टर्स नहीं जाना चाहते हैं। यहां तक कि पहाड़ पर रहने वाले डाक्टर्स भी वहां पर जाना या रहना पसन्द नहीं करते। अगले 20 साल बाद भी आप 20 हजार डाक्टर्स और बना दें, लेकिन फिर भी यह समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। देहात में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि उनकी भी कुछ समस्यायें हैं और हमको और आपको समय रहते हुए इसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। श्रीमन्, आपको याद होगा आज से कुछ सालों पहले एल0 एस0 एम0 एफ0 डिग्री दी जाती थी 4 साल का जिसका कोर्स होता था और उससे पहले एल0 एम0 पी0 की डिग्री दी जाती थी, जिसका कोर्स तीन साल का होता था। यदि आप 80 प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है, उनको चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, तो एम0 बी0 बी0 एस0, एम0 एस0, एम0 डी0 डाक्टरों के द्वारा उनको यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी । आपको मेडिकल कालेजेज में एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स के छात्रों की संख्या आधी करके, आधी संख्या एल0 एम0 पी0 की डिग्री तीन साल के बाद प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी और दाखिले के वक्त उनसे आपको एक बाण्ड भी भरवाना होगा कि उनको एल0 एम0 पी0 की डिग्री लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें प्रदान करनी होंगी। श्रीमन्, यह जो समस्या है, उसका वर्तमान व्यवस्था से समाधान होने वाला नहीं है।

आपने मेडिकल कालेज का जिक्र किया, बड़े दुर्भाग्य का विषय है, श्रीमन् । मान्यवर, आज दिन-प्रतिदिन चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शोध का

स्तर गिरता जा रहा है। आज मेडिकल कालेजों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें असंतोष व्याप्त है । पिछले दिनों जूनियर डाक्टर सड़क पर आ गए उन्होंने हड़ताल कर दी। अभी भी उनमें असन्तोष व्याप्त है । आपने उनके लिए एक जस्टिस त्रिपाठी कमीशन बना दिया लेकिन अभी तक शायद उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। पहले समस्या की जड़ को देखना होगा। आज मेडिकल कालेज के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अस्पतालों में उतनी तवज्जह नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए । मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा एक आधार बिन्दु है, उसको किस प्रकार से, शिक्षकों के कार्य करने के तरीके को और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके इन सबके लिए सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाय। यह समस्या एक जगह की नहीं है। इस समस्या के निदान के लिए एक कमेटी का गठन अवश्य करें और उसकी जो भी रिपोर्ट आये उस पर सदन में विचार करें और उनके द्वारा दिये गये सुझावों को और निर्णयों को क्रियान्वित करें।

मान्यवर, आपने संजय गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसका एशिया में प्रथम और विश्व में पांचवां स्थान है। इसकी कार्य प्रणाली को उचित रूप से चलाने के लिए पिछले दिनों आपने 4–5 अधिकारियों को विदेश भेजा था, यह जानने के लिए कि वहां की कार्य प्रणाली क्या है और उसको यहां पर किस तरह से अपनाया जा सकता है । वह 4-5 अधिकारी विदेशों से लौट आये । जनता का लाखों रुपया उनके विदेश भ्रमण पर खर्च हुआ। उनमें से एक अधिकारी रिटायर हो गये और एक दिल्ली चले गये तो उनका लाभ उत्तर प्रदेश को कहां मिला लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई उनके दौरे पर अवश्य खर्च हो गयी। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आप यह निश्चित कर दें कि जो अधिकारी विदेश जायं वे वहां से लौटने के बाद कम से कम 5 और 10 साल इस कार्य के लिए दें अन्यथा इसका लाभ प्रदेश को मिलने वाला नहीं है। श्रीमन्, मेडिकल कालेजेज में जो डायगनोस्टिक डिपार्टमेन्ट्स हैं, पैथोलोजी बायोकैमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और जहां पर परीक्षण एवं निदान कार्य होता है वे सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार हैं । आज उनके पास न पैसा है और न ही साधन हैं । जो क्लीनिकल डिपार्टमेन्ट हैं उनको पैसा दिया जा रहा है और जो विभाग निदान में सहायक होते हैं उनको कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है । जहां पर खून पाखाना, पेशाब आदि की जांच होती है आज वहां पर कोई धन की व्यवस्था नहीं है । खून टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं है, मामूली सी कांच की स्लाइड कवर स्लाइड और केमिकल्स के लिए धन की व्यवस्था नहीं है । श्रीमन्, इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने रेडियोलाजी डिपार्टमेन्ट को दो हिस्सों में बांटा है उसके लिए बधाई के पात्र है उसी प्रकार से अन्य डायग्नोस्टिक डिपार्टमेन्टस में भी समुचित धन की व्यवस्था कर दें । जो फार्मेसिस्ट डिपार्टमेन्ट हैं अगर आप उसको समुचित सहायता प्रदान करेंगे तो रोगों के निदान में काफी सहायता मिल सकती है ।

मान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज में 4 यूनिट थे मेडिसिन विभाग में–कार्डियालोजी, स्किन, साइकेट्री, और टुवर्कलोसिस । श्रीमन्, यह यूनिट्स वहां पर काम कर रही थी । विगत दिवस आपने इन्हें स्वतन्त्र विभाग के रूप में मान्यता प्रदान की है, आप बधाई के पात्र हैं । यह काबिले तारीफ है, इससे वहां के गरीबों को व अन्य आगरे व आस-पास के मरीजों को इससे सहायता मिलेगी । इसको श्रीमन्, आपने हमारे अनुरोध पर बनाया है और साथ ही वहां पर जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, वह लोग भी इन विषयों में एम0 डी0 व उच्च डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे । श्रीमन्, अभी यादव जी ने जो ड्रग-कन्ट्रोल के बारे में जिक्र किया, सी0 एम0 एच0 डी0 के बारे में जिक्र किया यह सही है और इस

ओर तो जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया और श्रीमन्, इस ड्रग कन्ट्रोल डिपार्टमेंट को तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि इनके सामने ऐसी बहुत सी टेक्निकल परेशानियां आती हैं, जिनका उद्धार कोई और कर ही नहीं सकता है और अगर इनके साथ यही उपेक्षापूर्ण स्थिति रही तो यह अगले 20 सालों में भी यह विभाग उन्नति नहीं कर सकेगा क्योंकि उनके अन्तर्गत अधिकारियों तथा ड्रग इन्सपेक्टर्स को बहुत से कामों को करने की हिम्मत ही नहीं है, अगर कोई मामला यह कोर्ट ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते हैं और यदि कोई जिला अस्पताल का मामला आ जाये तो ये सैम्पलिंग नहीं कर सकते। ड्रग स्टोर से सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने केवल 44 पद ड्रग इंस्पेक्टर के स्वीकृत किये हैं, जिसमें आज केवल 32 ही कार्य कर रहे हैं और इनमें से भी 4–5 तो 8–8 सालों से हेड-क्वाटर्स पर बैठे हुए हैं, लखनऊ में और कोई उन्नाव हेड-क्वाटर्स पर बैठा हुआ है और काम हरदोई का देख रहा है वहीं से तो मान्यवर, यह कैसे संभव हो सकेगा कि इनके कार्य सुचारु रूप से चल रहे होंगे। फिर यह 32 इंस्पेक्टरों से पूरे 57–58 जिले हैं इन सबका निदान इनसे कैसे संभव होगा। इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि आगरा में मैं खुद भी विगत कई वर्षों से यह अनुभव कर रहा था कि वहां पर जो एक पोस्टमार्टम गृह है एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की मृत्यु होती है वहां शव विच्छेदन होता है लेकिन आगरा के इस पोस्टमार्टम गृह की आज दशा क्या है, जहां लोग जाते हुए कतराते हैं, पास से गुजरने पर ऐसी बदबू आती है, जिसका मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता और फर्श पर तमाम खून वहां पर जमा हुआ हर समय पड़ा रहता है। जबकि चार पोस्टमार्टम रोज होते हैं। श्रीमन्, न वहां का फर्श सही है, टूटा हुआ पड़ा है, छत भी टूटी हुई पड़ी हुई हैं और एयर कंडीशनर की भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं श्रीमान्, 2 लाख रुपये भी इसकी सारी व्यवस्था को सही कराने में नहीं लगेंगे, बहुत कम व्यय में सारी व्यवस्था हो सकती है। अगर आप इस शव विच्छेदन गृह का कुछ उद्धार करा दें तो बड़ी राहत महसूस करेंगे वहां के लोग और बीमारियों के फैलने का डर भी जाता रहेगा।

श्रीमन् एक निवेदन और करना चाहता था कि जैनरेटर्स तो आपने दे दिए, क्योंकि पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है तो यह जैनरेटर्स चलेंगे कैसे? न मिट्टी का तेल है और न डीजल और न टेक्नीशियन सेक्शन है, वह कहते हैं कि इन चीजों को किस मद से खरीदें? श्रीमन्, यह तो सही बात हुई कि गाड़ी की व्यवस्था तो हो गयी परन्तु ड्राइवर नहीं है और उसके पेट्रोल की व्यवस्था है तो यह गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए जब आपने लाखों रुपये के जनरेटर्स दिए हैं और इनका उपयोग है, तभी इनका लाभ जनता को मिल पायेगा और श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बहुत से चिकित्सालय ऐसे हैं जो नगरपालिकाओं द्वारा संचालित हैं। इनके द्वारा संचालन होने के कारण, उनमें बहुत सी विसंगतियां और कमियां हैं क्योंकि इनके पास समुचित संसाधन नहीं है। न इनके पास दवाएं हैं, न इनके पास भवन हैं और न ही यह उनके रख रखाव कर पाते हैं।

आगरा में आप इस प्रकार के जो नगर महापालिका के अस्पताल हैं, उनको अधिगृहीत कर लें तो उस क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिल सकता है। डाक्टर आप देते हैं,

लेकिन भवन और दवाइयों की व्यवस्था महा पालिका की होती है । दवाइयों के नाम पर वहां कुछ नहीं है । डाक्टरों की तनख्वाह वैसे ही निकाली जा रही है । यह एक नीतिगत प्रश्न है । आप इस पर विचार करें कि जो इस प्रकार के स्थानीय निकायों के अस्पताल हैं, उनको अधिगृहीत करके उसकी व्यवस्था अपने विभाग द्वारा करायें । इसके अलावा आगरा में आपके ही कर कमलों द्वारा एक इमरजेंसी विभाग बनाना प्रारम्भ किया गया था, लेकिन पिछले तीन साल में अभी तक वह जमीन के स्तर तक ही बनकर आ पाया है और यही गति रही तो अगले इसको बनकर तैयार होने में 5-7 साल और लग जायेंगे ।

मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ वैसे ही सौतेला व्यवहार हर क्षेत्र में होता आया है, लेकिन यह जीवन मृत्यु का सवाल है, एक इमरजेंसी विभाग बनाने की बात है, इसमें ज्यादा धनराशि आड़े नहीं आयेगी। आप राजकीय निर्माण निगम को धनराशि दे दें तो यह विभाग एक वर्ष में तैयार हो जायेगा। आज वहां इमरजेंसी विभाग की व्यवस्था, जैसा कि मैंने पोस्टमार्टम गृह के बारे में बताया, उसी से मिलती जुलती है । वहां पर कुत्तों, बिल्ली और चूहों का राज्य है। स्ट्रेचर फटे हुए हैं। यदि आदमी होश में हो तो उन पर लेटना पसन्द नहीं करता, बेहोश हो तो बात दूसरी है। वहां पर बेड-शीट नहीं है, बैन्डेज नहीं है, पट्टी नहीं है, टांका लगाने का सामान नहीं है। इन सबसे शासन की छवि धूमिल होती है। इससे गरीब आदमी को परेशानी होती है। अमीर आदमी तो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी इलाज करा लेगा । लेकिन जब एक छोटे से एक्सीडेंट में भी डेढ़ सौ रुपये की दवाओं की लिस्ट पकड़ा दी जाती है, उससे उनको मानसिक कष्ट होता है, वह इस बात की चार जगह चर्चा करता है कि अस्पताल में सामान उपलब्ध नहीं है । मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत सूक्ष्म में मैंने अपनी बात कह दी है, यदि आप इन पर सहृदयतापूर्वक विचार कर लेंगे तो आगरा की जनता आपको धन्यवाद देगी। इन शब्दों के साथ मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि मुझे श्री गोपाल दास जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आज बजट रखा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वगैरह का, उसमें सबका जिक्र किया है, मेडिकल कालेज का जिक्र है, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी का जिक्र किया है, लेकिन जो असली डाक्टर हैं, उनका कोई जिक्र नहीं किया है । मान्यवर, एल0 एम0 डी0 यूनीवर्सिटी के जो डाक्टर हैं, वह लोकपति मारो-काटो डाक्टर हैं, उनको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है । आज फर्जी डाक्टर और फर्जी दवाएं बहुत बढ़ गयी हैं, उनको रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? आज प्रदेश में एक लाख फर्जी डाक्टर घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । आप आंकड़े निकाल कर देख लें । पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर में जो मस्तिष्क ज्वर फैला, उसके लिए वह फर्जी डाक्टर जिम्मेदार हैं । वह मरीजों का 3-4 दिन इलाज करते रहे, इसके लिये वह जिम्मेदार हैं । आप चाहे जितना बड़ा स्वास्थ्य प्रोग्राम चला लें, जब तक इनको रोका नहीं जाता, कोई व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है । मान्यवर, मेडिकल कालेजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में जूनियर डाक्टर्स में बहुत बड़ा असंतोष चल रहा है । हर वर्ष किसी न किसी मेडिकल छात्र द्वारा जरूर आत्महत्या की जाती है । पिछले सत्र में आपसे कहा गया था कि इसके लिये एक कमीशन बनावें । एक इन्क्वायरी करायें कि आखिर क्या कारण है । बड़ी मुश्किल के बाद वह पी0एम0टी0 में सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद 5 साल में एम0 बी0 बी0 एस0 करते हैं फिर एम0 डी0 करने जाते हैं । अध्यापकों और प्रोफेसरों की प्रताड़ना से वे सोसाईड करते हैं । उन परिवारों के लिये इससे ज्यादा दुखद घटना कोई और हो नहीं सकती । मेडिकल कालेज की बात आयी, यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल प्रोफेसर्स अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, अपने नर्सिंग होम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । छात्रों का जो असंतोष चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है । प्रोफेसर्स चाहते हैं कि जो एम0डी0 कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुयेशन कर रहे हैं, वे उनके नर्सिंग होम में जाकर फ्री सर्विस करें। और, जो ऐसा नहीं करते हैं, उनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है । जिला चिकित्सालयों की अभी बात हो रही थी, कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि की बात डाक्टर कौशल ने कही, टूटे फर्श और बूचड़खाने जैसा व्यवस्था मान्यवर, बरेली अस्पताल की है । उस अस्पताल में तमाम अव्यवस्था है । पूरे शहर के लोग भी वहां नहीं जाते हैं । क्योंकि 5 रु0 रिक्शा में खर्च करके, 1-1.50 रु0 का पर्चा बनाने के बाद मरीज को 2 गोली और पीला मिक्सचर मिल पाता है । जाते भी हैं लोग तो इमरजेंसी में जाते हैं । या इमरजेंसी के अलावा किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है तो वहां जाते हैं । मान्यवर, एक तो ठीक से दवा नहीं मिलती अगर मिलती भी है तो वह भी सब-स्टैंडर्ड दवा होती है । जिला अस्पताल में फर्जी वाउचर्स के माध्यम से, लोकल परचेज के माध्यम से ऊंची दरों की व अच्छी दवायें निकल जाती हैं ।

मस्तिष्क ज्वर के विषय में बात कही है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष उसकी रोकथाम के पूरे उपाय किये जायेंगे । मान्यवर, जनपद पीलीभीत इस रोग से ग्रस्त रहता है, वहां बहुत देखभाल की जरूरत है । एक रोग है रेबीज, कुत्ते के काटने का, उसके लिये आपके पास वैक्सीन नहीं है। एंटी रेबीज वैक्सीन की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, उतनी उपलब्ध नहीं है । आपने उस रोगी को देखा हो, किसी रोगी को मरते हुए देखा हो, तो आप सबसे ज्यादा इसके निदान में ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करायेंगे । कुत्ते के काटने का और कोई इलाज नहीं है, न कोई उसे बचा सकता है । केवल उसे बचा सकती है तो वह है वैक्सीन । एंटी रेबीज वैक्सीन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उसका आवश्यक मात्रा में हर समय उपलब्ध रहना आवश्यक है । सड़क पर घूमते हुए कुत्ते किसी भी समय किसी को काट सकते हैं और उसका जीवन वैक्सीन के अभाव में समाप्त भी हो सकता है । आपने सम्वत् 2000 तक सबको स्वास्थ्य की बात कही है । मैं चाहूंगा कि इसके लिये भी आवश्यक है कि प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध रहे । डीपथेरिया हो, काली खांसी हो, पोलियो हो, इनके लिये आप वैक्सीन उपलब्ध करा भी रहे हैं । लेकिन, जो वैक्सीन दी जा रही है पी0एच0 सी0 में या किसी अस्पताल में, क्या उसकी उतनी पोटेंसी रह पाती है ? किसी पी0 एच0 सी0 में बिजली नहीं है, यदि किसी पी0एच0सी0 में बिजली है तो फ्रिज खराब पड़ा है, पी0 एच0 सी0 और अस्पतालों तक वैक्सीन ठीक हालत में पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई

रख रखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उस वैक्सीन की उतनी पोटेंसी नहीं रह जाती है । आप चाहे तसल्ली के लिये जितने आंकड़े दे दें, जितना लिख लें कि इतना वैक्सीनेशन हो गया लेकिन स्थिति यह है कि आपके अस्पतालों के माध्यम से जो वैक्सीन मरीज को उपलब्ध होती है वह उतनी कारगर नहीं होती है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। मान्यवर, कुष्ठ रोग के विषय में बात हुई अभी कुछ दिन पूर्व मैंने पढ़ा था कि इस संबंध में एक वैक्सीन डेवलप्ड हुई है । मेरा यह अनुरोध है कि उस वैक्सीन की प्रदेश में भी शुरुआत करायें तो बड़ा लाभप्रद हो सकता है । अभी पौड़ी गढ़वाल में बहुत जोरों में खसरा फैला हुआ है । मई के महीने में करीब 20 बच्चे इससे मर गये । अभी 3-4 दिन पहले पता चला कि 11 बच्चे और मर गये । नरेन्द्र नगर पौड़ी गढ़वाल में यह रोग बहुत व्यापक रूप से फैला है । इसको देखने की जरूरत है । बरेली के विषय में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी अवहेलना हुई है । पहले रुहेलखण्ड मण्डल में था फिर 2 भाग हुए । मेडिकल कालेज वहां खोलने के लिये बहुत प्रयास किये गये लेकिन अभी तक उस दिशा में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की । 500 बिस्तर के अस्पताल की बात चल रही है, मैं काफी इस दिशा में प्रयासरत हूं और जब जब आपसे इस संबंध में अनुरोध करता हूं आप कह देते हैं कि अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध नहीं है । इस क्षेत्र में जहां मेडिकल कालेज लखनऊ, आगरा, कानपुर के बाद सबसे पहले बनना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है । जनसंख्या के आधार पर कम से कम 700 बेड का अस्पताल होना चाहिये । डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करीब 350 बेड हैं । मान्यवर, जब तक मैं विधायक रहूंगा तब तक जो 500 बेड के अस्पताल की बात स्वीकार हुई है उसे खुलवाने का निरन्तर प्रयास करता रहूंगा । लेकिन आपसे यह जरूर अनुरोध है कि इस दिशा में शासन पहले करे । ताकि अच्छी चिकित्सा सुविधा बरेली में उपलब्ध हो सके । मान्यवर, वहां जो आयुर्वेदिक कालेज है, उसे मैं आयुर्वेदिक पाठशाला कहता हूं । न तो वहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, न तो छात्र-छात्राओं के लिये रहने की कोई व्यवस्था है । आयुर्वेदिक कालेज की व्यवस्था को सुधारने के लिये भी मंत्री जी कोई कारगर कदम उठायें इसके लिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा । आपने लाल बत्ती जला दी है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखता हूं, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य विभाग का जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और श्री गोपाल दास यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि 1980 से यह विभाग माननीय मंत्री जी के पास रहा है और इसमें कोई दो-राय नहीं है कि लोगों को इससे लाभ न मिला हो, सबको लाभ मिला है और इस विभाग में बहुमुखी सुधार हुआ है। आज से 21 वर्ष पहले इस विभाग में केवल एक निदेशक होता था लेकिन आज इफीशिएन्सी बढ़ाने के लिए डिसेन्ट्रेलाईज किया गया है। इस प्रदेश में 57 जनपद हैं और 12 मण्डल हैं, इसलिए यहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें, आज लगभग 7 निदेशक,

डाइरेक्टर, एलोपैथिक, डाइरेक्टर, मेडिकल एजूकेशन, डाइरेक्टर यूनानी एवं आयुर्वेदिक, डाईरेक्टर होम्योपैथिक के पद सृजित किए गये । एक और नया पद डाईरेक्टर संजय गांधी इन्सटीट्यूट के लिए अलग से सृजित किया गया, इतने निर्देशकों की नियुक्ति होने के बाद कम से कम जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनके द्वारा दी गई सेवाओं का माननीय मंत्री जी व सचिव व डाईरेक्टर स्तर पर हर दूसरे हफ्ते रिव्यू भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाईरेक्टर ने एडीशनल डाईरेक्टर को और एडीशनल डाईरेक्टर ने ज्वाइन्ट डाईरेक्टर को और ज्वाइन्ट डाईरेक्टर ने सी0 एम0 ओ0 को सौंप दिया, ऐसा करने से डिपार्टमेंट की इफीशिएन्सी बढ़ने वाली नहीं है।

संजय गांधी इन्सटीट्यूट, लखनऊ के लिए एक गौरव की बात है । यह एशिया का नम्बर एक का इन्सटीट्यूट है और विश्व में 5वां । लखनऊ व आगरा मेडिकल कालेज में, जब कोई मरीज का इलाज नहीं हो पाता है तो उसे आल इण्डिया इन्सटीट्यूट, दिल्ली या चण्डीगढ़ ले जाना पड़ता है लेकिन इस इन्सटीट्यूट के खुल जाने से हमारी यह एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी । संजय गांधी इन्सटीट्यूट का मेन मकसद ही सुपर स्पेशिलाइजेशन का है। इसमें लगभग 6-7 स्पेशिलाइज्ड यूनिट्स होंगी और इसके तहत 18 यूनिट कार्य करेंगे । संजय गांधी इन्सटीट्यूट पर अभी तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया है सम्भवत: अभी एक जापानी टीम यहां पर आयी थी, उसने 16 करोड़ दे दिये हैं और 11 करोड़ से कुछ और ज्यादा मिलने की आशा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि संजय गांधी इन्सटीट्यूट, जिसका इतना बड़ा नाम चल रहा है, अगर मेरी जानकारी सही है तो अपने टारगेट से 6 महीने पीछे काम हो रहा है, अगर आप इसे शीघ्र करा दें तो प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा उपकार होगा ।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मेडिकल कालेज और वाराणसी मेडिकल कालेज सेण्ट्रली एडमिनिस्टर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं, लखनऊ मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी के अण्डर में है। स्व0 चन्द्रभान गुप्त जब से स्वास्थ्य मंत्री थे तब से मांग चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका अधिग्रहण करे । जुलाई, 86 में आपने एक बहुत बड़ा काम किया जो इसका अधिग्रहण कर लिया । इसमें 1800 बेड्स हैं, यह एक बहुत बड़ा अस्पताल है, इसमें काफी उपकरण हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। दो बातों की मांग करता हूं, इक्विपमेंट्स बहुत पहुंच चुके हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन जो जनरल वार्ड में पेशेण्ट्स आ रहे हैं, उनको दवायें बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं । जो मरीज पहुंच रहे हैं, उनको कम से कम इन्जेक्शन्स और कैप्सूल्स तो वहीं से मिलने चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल कालेज और क्वीन मैरी अस्पताल के बीच में चौड़ी रोड है। कभी-कभी पेशेण्ट्स के स्ट्रेचर्स को इधर से उधर ले जाना पड़ता है और डाक्टर्स और नर्सेज को तो रात दिन भर इधर से उधर जाना पड़ता है, लेकिन वह सड़क इतनी भीड़ भरी है कि उस पर हर समय ट्रैफिक जाम रहता है। इस तरफ अगर एक ओवर हैड पैसेज बना सकें, तो बहुत बड़ा उपकार होगा । 7 मेडिकल कालेज अब इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं, आन्ध्रा में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल चुकी है,, डा0 राव ने चार्ज भी

ले लिया है । एक ऐसी ही युनिवर्सिटी की यहां भी बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

यह बात कही जा रही है कि लेडी डाक्टर की बहुत कमी है। प्रि-मेडिकल टेस्ट में आपको महिला डाक्टर्स मिलें, इसके लिये आपको महिलाओं का परसेण्टेज एडमीशन में बढ़ाना होगा । जो महिला हास्टल्स हैं, उसमें एक-एक कमरे में 4-4 और 6-6 लड़कियां रहती हैं । जब तक वूमैन हास्टल्स नहीं बनायेंगे तब तक ज्यादा महिलायें नहीं मिल पायेंगी ।

जनरेटर्स की जो बात कही डाक्टर कौशल ने, वह ठीक है, उनको बधाई देना चाहता हूं । इनको बड़े-बड़े जिला चिकित्सालयों में पहुंचाइये । उत्तर प्रदेश शासन का जो निर्देश गया है कि हर जनपद के बड़े अस्पतालों में राउण्ड दि क्लाक बिजली मिलेगी, उसको भी सुनिश्चित कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

श्री नरेश चन्द्र–

बस मान्यवर, दो मिनट और लूंगा ।

(व्यवधान)

जब पोस्टमार्टम होता है तो कहेंगे कि सनसैट के बाद नहीं हो सकता, डी0 एम0 की परमीशन लाइए । अब आप कैसे कहेंगे कि पावर कट के बाद भी कार्य होता रहेगा ।

बलरामपुर अस्पताल के बारे में कहना चाहूंगा, यहां 900 बेड़ हैं, मिनी मेडिकल कालेज का रूप है, लेकिन यहां पर पानी की बहुत बड़ी क्राइसिस है। यहां पर एक मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ था 12 करोड़ रु0 का, वह भी बहुत जरूरी है। इन्टेनसिव केयर यूनिट में कक्ष और बढ़ाने की आवश्यकता है । फेमली प्लानिंग का जितना कार्य हुआ है वह प्रशंसनीय है लेकिन जब तक इसमें वालेन्टियरी सहयोग नहीं लिया जायेगा, टेलीवीजन पर शोशल प्राब्लम्स को आप नहीं दिखायेंगे जब तक यह पूरी तरह सफल नहीं हो पायेगा। यह ठीक है कि इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है परन्तु इसमें और भी कुछ करने की आवश्यकता है । समाज कल्याण, सांस्कृतिक विभाग तथा सूचना विभाग से कोआर्डिनेशन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक और भी सराहनीय कार्य हुआ है कि 1947 से आज तक खून की एक बोतल की केवल 25 या 32 रु0 ही कीमत लोगों को दी जा रही थी जिसे अभी पिछले तीन महीने से इसे बढ़ा कर 100 और 200 रु0 किया गया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि आई0 सी0 एम0 आर0 यानी कि मलेरिया की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट्स थे इलाहाबाद, शाहजहांपुर, हल्द्वानी तथा ऋषिकेश में खोले गये हैं मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भारत सरकार से इसकी बढ़ोत्तरी के लिये और प्रार्थना करेंगे । नर्सेज के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि आपरेशन टेबिल से लेकर रोगी की सेवा सुश्रषा में इनका बड़ा सहयोग रहता है। इनकी सेवा नियमावली में भी संशोधन करना चाहिये ।

माननीय मंत्री जी के पास टयूबर क्लोसिस के लिये फण्ड है। यदि किसी को उस फण्ड में से सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका यह है कि स्वास्थ्य विभाग से उसकी संस्तुति चली जाती है और उस पर डी0 एम0 की, तहसीलदार की, एस0 डी0 एम0 की या सी0 एम0 ओ0 से रिपोर्ट मांगी जाती है। रिपोर्ट आने में 6 महीने का समय लग जाता है और पता चलता है कि तब तक मरीज मर जाता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने स्वास्थ्य के बजट पर बोलने के लिये मुझे समय दिया।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे माननीय गोपाल दास यादव के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

केवल 10 मिनट में ही समाप्त कीजियेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सारा समय तो मंत्री जी ने ही ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग 10-10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करिये, इसलिये मैं समय बढ़ा रहा हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मंत्री जी ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य के बजट के बारे में भाषण दिया। मंत्री जी का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से सदस्यों ने अपनी यहां पर भावनायें व्यक्त की है कि आंकड़ों से उपलब्धियों को बतला कर प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी नहीं हो सकती है और इस तरह से प्रदेश की जनता का ख्याल आप नहीं रख सकते हैं ।

मैं कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने स्वास्थ्य के संबंध में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, आपने कहा कि सात बजट प्रस्तुत कर चुके हैं और यह आठवां बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले सात सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में शोध के संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा आपने नहीं की है जो कि बहुत आवश्यक है । अभी जैसा कि डाक्टर जौहरी ने कहा और डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने कहा कि क्लीनिकल साईड में आपका बड़ा परिव्यय है लेकिन शोध के संबंध में सरकार का उतना ध्यान नहीं है। आज की परिस्थिति में जैसा कि आपने सुना कि पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में नई-नई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिये दवाइयां पर्याप्त नहीं है। एक नहीं बल्कि कई-कई दवाओं से सेम्पल बना कर उसकी रोकथाम के प्रयत्न किये जाते हैं। यहां की परिस्थिति को देखते हुए ऐसे शोध कार्य किये जांय कि किस तरह से फैलने वाली बीमारियों को रोका जाय और व्यापक स्तर पर बीमारी को रोका जाये। इस ओर शोध कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने एक "स्वास्थ्य समीक्षा" नामक पुस्तिका बांटी है, जिसके पृष्ठ 86 पर मद 15 पर

दिया हुआ है कि आयुर्वेद स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह पर्वतीय क्षेत्र जो है वह जड़ी बूटियों के बारे में काफी चर्चित रहा है, प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गये थे तो यही कैलाश पर्वत है, यह हमारे क्षेत्र में पड़ता है। मान्यवर, आज भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और विदेशों से छात्र आते हैं और यहां से जड़ी-बूटी ले जाते हैं उन पर शोध कार्य करते हैं, लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य है, खेद है कि 21वीं शताब्दी में जाने की तैयारी करने वाली सरकार ने अभी तक वहां पर ही जड़ी बूटियां पर शोध हो इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं और हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी इस सदन में इस बात को उठाया था कि आयुर्वेदिक संस्थान यहां पर खोला जाये, पिथौरागढ़ में खोला जाये । यहां पर बहुमूल्य जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। बड़ी खास बात है। मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर जो अस्पताल खोले गये हैं, उसमें किस प्रकार से इलाज होता है। मेरे क्षेत्र में प्रा0 स्वा0 केन्द्र है बेरीनाग उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं वहां पर एक्स-रे मशीन पिछले 5 साल से नहीं लगी है, सारा स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़ा हुआ है। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं की जाती है और जो पोलियो ड्रग्स हैं उनको रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, माननीय वर्मा जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो टी0 वी0 सैनिटोरियम, भुवाली है, मैं वहां पर उनसे मिलने गया था, तो देखा कि उसकी हालत बहुत ही बदतर है। वहां पर स्वर्गीय कमला नेहरू रहीं और बड़ी-बड़ी विभूतियां रही हैं और कहा जाता है कि सुभाष चन्द्र बोस जी भी वहां पर भेष बदल कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें सुधार किया जाये ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है। वहां पर कोई जाने के लिये तैयार नहीं होता है मैंने मा0 मंत्री जी को बताया था कि मेरे क्षेत्र मुनस्यारी में पिछले 6 साल से कोई महिला डाक्टर नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वहां के डाक्टरों को स्पेशल इन्सेन्टिव दिया जाये, जिससे लोग वहां पर जायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे भाषण नहीं देना है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप न्याय करेंगे और न्याय कर भी रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने डाक्टर के पति को तो बोलने का मौका दे दिया लेकिन डाक्टर की पत्नी को मौका नहीं दिया। इसलिये आप डाक्टर की पत्नी का भी ख्याल रखेंगे, यही मेरी आपसे गुजारिश है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो बात कही है, मैं ज्यादातर मरीजों को ही मौका दे रहा हूं।

*श्री पूरन सिंह माहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे, हमारे योग्य स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1987-88 के स्वास्थ्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। उन्होंने जितने अच्छे तरीके से प्रदेश के अंचलों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये इस बजट में जो प्राविधान किया है उसके लिये मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात के लिए स्वीस्थ्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि बजट भाषण के दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिये जितने शब्द कहे और हमें आश्वस्त किया कि वे दिल्ली जाकर पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या को मापदण्ड न मानकर बल्कि दूरी और एरिया को मापदण्ड मानकर वहन पर सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे। इस व्यवस्था से पर्वतीय क्षेत्र के दूरगामी स्थानों पर निर्धन लोगों को अवश्य ही लाभ होगा। मैं उनको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि विगत सात वर्षों में जब से इस विभाग की बागडोर आपके सशक्त हाथों में आयी है, आपके मार्ग दर्शन पर, मैं यह निश्चित रूप से कहने के लिये तैयार हूं कि आपके विभाग में सुधार हुआ है। आज वहां पर गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने शुरू हुए हैं। मान्यवर, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आपने बात कही है और उनके बारे में यह कहा है कि हर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ऊपर एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये वहां पर हर दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें ताकि वहां पर जो छिटकी हुई आबादी है उनको इसका लाभ मिल सके । मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे इस सुझाव पर आप अवश्य ध्यान देंगे । आपने पिछले दिनों पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की एक बैठक बुलाकर उदारतापूर्वक वहां की समस्याओं को हल करने के सिलसिले में जो एक नया तरीका निकाला है, उस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। आपके जो अधिकारीगण हैं उन्हें आप निर्देशित करें कि इस सम्बन्ध में वे शीघ्रता करें ताकि वहां के लोग उससे लाभान्वित हो सकें ।

दूसरी बात जैसा कि मैं आपके सामने कल भी कह रहा था पर्वतीय क्षेत्र में मानक को आधार न मानकर एरिया और दूरी का मानक मानेंगे तो मेरे क्षेत्र में मरचूला नामक स्थान पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करके एक अहम् भूमिका निभायेंगे। मैं इसलिये भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में 200 शैय्याओं का एक अस्पताल खोला है और तहसील मुख्यालय रानीखेत में 40 शैय्याओं के अस्पताल को 100 शैय्याओं का किया है। इसलिये वहां की जनता की ओर से मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सभी विभागों के डाक्टर तो हो गये हैं लेकिन एक आंख के रोग का डाक्टर भी वहां पर भेजने की आप कृपा करेंगे ताकि साढ़े चार लाख जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र में वहां पर रहने वाले लोगों को राहत मिल सके । इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे और मुझे इस बारे में आपसे पूरी आशा है।

मान्यवर, आप धर्मपरायण परिवार के योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं तो मैं चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की जो जनता है जहां चिकित्सा की सुविधा उनको सुलभ नहीं है वहां के लोग राम भरोसे रहते है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं चूंकि वहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काफी मात्रा में होती है जैसा माननीय काशी सिंह ऐरी ने कहा वहां एक आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान जो वहां पैदा होने वाली जड़ी-बूटी का दोहन कर इस क्षेत्र में रिसर्च करे जिससे लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एक कुमाऊं मंडल में और एक गढ़वाल मण्डल में मेडिकल कालेज की स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि वहां के लोग साधनहीन हैं, वे सम्पन्न नहीं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली और लखनऊ भेज सकें और इलाज के लिए इतनी दूर आ सकें अगर यह हो जायेगा तो वहीं पर उनको चिकित्सा सुविधा वह शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने काबिल दोस्त भाई गोपाल दास जिनकी इस क्षेत्र में विशेष रुचि है और जिन्होंने इस विभाग में कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उनसे उम्मीद करता था कि वे अवश्य कुछ अच्छे सुझाव देंगे जिससे इस विभाग को विशेष बल मिलेगा लेकिन मेरा यह भ्रम रहा इसलिए मैं उनके द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । । जय हिन्द, जय भारत ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय गोपाल दास जी द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं । मान्यवर, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिन्होंने बड़े हर्ष के साथ इस सदन में कहा कि वह 8वीं बार इस विभाग का बजट रख रहे हैं । आज प्रदेश की जनता की तरफ से वह बधाई के पात्र होते और जो पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश की जनता पर अस्पतालों में भर्ती होने के लिए शुल्क लगाया है उसे समाप्त कर दिया होता । इस शुल्क के कारण आज तमाम गरीब जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । पिछले दिनों में तमाम जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए । आज गांवों की हालत यह है कि गरीब आदमी अस्पताल में जाने से डरता है और घर पर ही मरना पसन्द करता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है । पिछले दिनों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिनके बारे में अखबारों में छपा था कि वह मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं जनता में हर्ष की लहर दौड़ी कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अच्छा काम किया है अब वह मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं लेकिन इस बजट से उनको निराशा हुई है । आज अस्पतालों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में एक साधारण सी दवा कुत्ते से काटने की नहीं मिलती है । माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात को बतायें कि कुत्ता काटने की सुई जो नैनीताल में बनती है वह कुल कितनी बनती है और हमारे अस्पतालों में प्रतिदिन कितनी सुइयों की आवश्यकता होती है । सैकड़ों आदमी आज इस बीमारी के शिकार होते हैं । मेरी निजी जानकारी है कि प्रदेश के तमाम अस्पतालों में 10, 15 दिन तक यह दवा नहीं मिल पाती है क्योंकि मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला है तो मैंने देखा है कि डाक्टर लोग दूसरे जिलों के अस्पतालों से जाकर लाते हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में कुत्तों के काटने से कम से कम एक महीने में 5 सौ आदमी इस बीमारी से मर जाते हैं क्योंकि इसका कोई निदान नहीं है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में पिछली बार एक कमेटी बनी थी और उसमें इस प्रकार की शिकायत आई थी कि दवाओं की खरीद में करोड़ों रुपये का घोटाला होता है । कमेटी में निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार दवाओं की खरीद न की जाए ।\ आई0 पी0 सी0 ए0 का एक फर्म है जिसके मालिक अमिताभ बच्चन हैं, एम0 पी0 हैं, कांग्रेस के हैं। उनकी फर्म से पिछले पांच सालों से ठेका चल रहा है, वहां से दवायें ली जाती है। जिसका नतीजा हुआ कि उसकी हैसियत 42 करोड़ की हो गई । तो इस प्रकार से पार्टी के लोगों को कमाने का मौका दिया जाता है । अपने प्रदेश में भी कई फर्में हैं, अच्छी फर्में हैं, उनसे दवायें ली जाती तो इतना घपला नहीं होता । आज मा0 मंत्री जी ने अनेकों बातें कहीं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मस्तिष्क ज्वर जैसी भंयकर बीमारी के लिए स्केटिनिंग मशीन उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में नहीं है । मेरी जानकारी है कि लखनऊ में एक प्राइवेट डाक्टर के पास यह मशीन है जिस पर एक बार टेस्ट कराने के लिए 1100 रु0 पड़ता है । मैं बधाई दूंगा अगर माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि वह यह मशीन जो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, मंगायेंगे। यदि सभी जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम मेडिकल कालेज में तो प्रोवाइड कर देते तो वह बधाई के पात्र होते । मैं चाहूंगा कि जब मा0 मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हों तो यह जो मशीन है उसके लिए घोषणा करें कि मशीन को हर अस्पताल में या कम से कम मेडिकल कालेज में तो प्रोवाइड करेंगे ।

जनता पार्टी के शासन में जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति हुई थी। आज दुख है कि जन स्वास्थ्य रक्षक जो गांव के गरीबों का इलाज करता है, उसका एक साल से वेतन रुका पड़ा है। जन स्वास्थ्य रक्षक परेशान हैं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े हों तो घोषणा करें कि जन स्वास्थ्य रक्षक के बकाया वेतन का भुगतान वह कर देंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, नसबन्दी की जगह नलबन्दी छपा है। यह पोस्टर देखें। नसबन्दी के बारे में कहा है । प्रदेश में फर्जी नसबन्दी हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या है इसमें?

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, इसे आप देखें। लिखा है–स्त्रियों की नलबन्दी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जिसने यह पर्चे छपवाए हैं, जो खर्च हुआ है, उसका कौन आदमी जिम्मेदार है । उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी । यह नस-बन्दी और नलबन्दी में अन्तर नहीं समझते ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

यह महिलाओं की नलबन्दी है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुझे बड़ा दुख है। सम्मानित विधायक ने अर्थ का अनर्थ लगा दिया। महिलाओं की नसबन्दी नहीं होती। उनके एक नस होती है जिसे फिलीपीन पाइप कहते हैं जिससे शुक्राणु चलते हैं । उसको घुमाकर घोड़े की नाल की तरह कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है । इसको लेक्रोस्कोपिक आपरेशन कर नल की तरह रिंग होती है उसको पहना देते हैं। उसका नाम नलबन्दी है। इसे इसलिए रखा गया है जिनको इसका कोई एतराज भी है, उनके घर, मजहब में एतराज है उनको अब इससे एतराज नहीं होगा । इसमें आपरेशन नहीं होता है, इसमें नस को खाली थोड़ा घुमा दिया जाता है जब सन्तान की इच्छा हो, उसको फिर घुमा दिया जाए, तो संतान हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अवधेश जी, अब आप विराजिए ।

श्री अवधेश प्रसाद—

सिर्फ एक मिनट हमें आप और दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब विराजिए, अब समय नहीं मिलेगा। मैंने आपको 5 की जगह पर 6 मिनट पहले ही दिए हैं । इस तरह आप लोग 6 मिनट के बाद भी और समय लेने लगे तो हम इसको 6 बजे तक खत्म कैसे कर सकेंगे? (व्यवधान) आपका यह सदन है और आप हमको यहां पर बिठालते हैं और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो सदन की गरिमा क्या रहेगी ? यह सदन कैसे ठीक से चल पायेगा ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मंत्री जी ने बताया कि जनहित में परिवार कल्याण का अर्थ वैसा था और विपक्ष के भाई से मुझे पूर्ण हमदर्दी है, उनके यहां न नस से और न नल से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उनके यहां परिवार कल्याण मंत्री जी इसके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, किसी भी चीज का नामकरण किसी शब्दकोष के माध्यम से होता है । एम0 ए0 साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं नल का अर्थ नस

से है, ऐसा कहीं नहीं है । किसी शब्द की स्वैच्छिक व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं है । मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री के पूरे परिवार में नस की जगह नल चलते हों, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कहीं नहीं है . . . व्यवधान)

*श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चिकित्सा का जो बजट रखा है, उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करती हूं और यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसकी मैं बहुत कठोर शब्दों में निन्दा करती हूं । मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, जिनके अथक प्रयासों से हमारे प्रदेश में मृत्यु दर कम हुई है और बच्चों की मृत्यु दर 1990 तक 85 परसेंट करने जा रहे हैं। इस वर्ष जैसा कि यह मनाया जा रहा है, हम टीका लगवाने में विशेष ध्यान दे रहे हैं । पोलियो वैक्सीन जो आप लाते हैं, उसको हमेशा बर्फ में रखना चाहिए। स्टोर में अच्छी और वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पोलियो वैक्सीन इफेक्टिव हों। उसको हमेशा बर्फ में ही रखा जाना चाहिए।

दूसरे मच्छरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे मलेरिया, फाइलेरिया और इन्सेफेलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां होने और फैलने की सम्भावना रहती है । इसके लिए जो स्प्रे होता है वह फाग स्प्रे तेज और ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए । साथ ही उसमें परसेन्टेज बहुत कम होता है, इसलिए अनुरोध करूंगी कि इसमें दवा का परसेन्टेज ज्यादा बढ़ाया जाए । यह जघन्य अपराध है कि अगर इसकी कमी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और बीमारी बढ़ रही है। यह बात अवश्य सही है कि सारे मच्छरों में बीमारी के कैरियर्स नहीं होते । लेकिन जो भी मच्छर हैं उनको डी0 डी0 टी0 के छिड़काव द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण अंचल के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बन सके । माननीय मंत्री जी ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रखे हैं उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए वहां डाक्टरों के रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी जो दवाइयां खरीदने की नीति है वह बड़ी बैंक लांग है अगर हम पहले से प्लान करके दवाइयां खरीद लें तो दवाइयां लोगों को समय से मिलें टिटबैक का टीका समय से मिल सके । डायरेक्ट्रेट और शासन के झगड़े से लोगों को परेशानी न हो इसलिए अगर प्राइवेट ही खरीदना है तो वह नीति तय होनी चाहिए और सरकार से खरीदना है तो वह नीति तय होनी चाहिए। मान्यवर, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूंगी परिवार नियोजन में जो हम फायदा और सुविधायें दे रहे हैं वह पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पाती है जब आप टीम को जांच के लिये भेजते हैं तो उसमें 50 परसेन्ट केसेज बाहर के होते हैं तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । इसको देखने की आवश्यकता है कि सही लोगों को इसका फायदा मिल रहा है अथवा नहीं। मान्यवर फैमली प्लानिंग को जन-आन्दोलन बनाने के लिए पूरा प्रचार और प्रसार होना चाहिए ताकि इसके माध्यम से लोगों की रुचि बढ़े ।

मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहूंगी। मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज में कोई कैंसर इन्सटीट्युट की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि गोरखपुर मेडिकल कालेज को अधिक से अधिक धनराशि दी जाए ताकि वहां अच्छी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था हो सके। मान्यवर, झोला छाप डाक्टर आजकल बहुत प्रचलित हैं। तो इस पर कड़ाई से रोक लगानी चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों के जीवन की रक्षा हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती शशि शर्मा–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया है उसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह बजट करीब 4 अरब का है, जो बिल्कुल जनहित में नहीं है इसके लिए यह कहना अनुचित न होगा कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे। मान्यवर, जितनी कमियां डाक्टर कौशल साहब ने बयान की हैं उसी से समझ लेना चाहिए कि इस बजट में कितनी अच्छाई हैं और क्या होनी चाहिए थीं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि वैसे तो यह स्वास्थ्य विभाग जख्म पर मरहम रखने वाला है, लेकिन इसका कार्य उल्टा है जो इस तरह से नहीं चलने वाला है। आज जो गरीब आदमी सिर्फ दवा लेने अस्पताल जाता है उसको पर्चा बनवाने के लिए एक रुपया देना पड़ता है, अगर उसे भर्ती होना है तो उसे पांच रुपया देना पड़ेगा और बहुत से गरीब मरीज तो ऐसे हैं जो शुल्क देने के बाद भी अस्पताल में तड़पते रहते हैं। फर्जी डिग्री जारी करने वाली संस्थाओं पर शुरू में ही रोक लगायी जाय ताकि बेरोजगार नवयुवक उनके चंगुल में न फंसें । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से तहसील हेड क्वार्टर्स पर बहुत से पी0एच0सीज0 खुल गये हैं लेकिन वहां पर न बेड हैं और अगर बेड हैं भी तो 2-4 बेड हैं और दवाईं आदि नहीं हैं। सरधना में यही हाल है। वहां पर जो आयुर्वेदिक और यूनानी तथा एलोपैथिक डाक्टर हैं उनमें एक किस्म का मतभेद है। एलोपैथिक डाक्टर एम0बी0बी0एस0 होता है और वह दूसरे डाक्टरों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करता है सिवाय मेडिको लीगल केस के दूसरे कार्य नहीं करते हैं, मरीज दिखाना चाहे तो नहीं देखते हैं ज्यादातर काम यूनानी और आयुर्वेदिक डाक्टरों को करने पड़ते हैं। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

बहुत सी जगहों पर आपने एक्सरे मशीन की व्यवस्था की है लेकिन टेक्निकल हैण्ड की व्यवस्था नहीं है जिससे मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो तहसील हेडक्वार्टर्स के अस्पताल हैं उनको इस दर्जे तक पहुंचाना चाहिए और इतनी सुविधा देनी चाहिए कि वहां पर थूक, बलगम, पाखाना, पेशाब और ब्लड आदि की टेस्टिंग हो सके जिससे जिला अस्पताल पर काम का बोझ न बढ़े। जो देहात के गरीब मरीज हैं वह जिला अस्पतालों पर नहीं पहुंच पाते हैं इसलिये यह सुविधा उनको तहसील हेडक्वार्टर पर दी जाय तथा बच्चों को पोलियो आदि के टीके का प्रबन्ध तहसील हेडक्वार्टर के अस्पतालों में की जाय। बहुत सी जगहों पर टाउन एरियाज हैं जैसे क्षेत्र सरधना में लाखड़ और दौराला है वहां पर पी0एच0 सी0 की सुविधा कायम की जाय जिससे गरीबों को सुविधा मिल सके। मच्छरों

का आजकल जो प्रकोप है वह सभी विधायकगण कह रहे हैं। मच्छरों की पोजीशन ऐसी है कि उनकी मरजी है चाहे सोने दें या चाहे सोने न दें। उनको डी0 डी0 टी0 इस तरह की मिलती है जैसे बच्चे चाय का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मच्छर डी0 टी0 टी0, चाय समझकर पीते हैं जिसका उन पर कुछ असर नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मच्छरों के ऊपर ऐसी असली दवाई छिड़कनी चाहिए जिससे वह खत्म हों और बीमारी फैलने का खतरा न बढ़े ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस बजट की घोर निंदा करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और हमारी भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में जो अब-तक उपलब्धियां प्राप्त की हैं चाहे वह एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, इनमें जो प्रगति हुयी है वह सराहनीय है। आज से बहुत पहले समय में अनेक बीमारियां और अनेक तरह के रोग जैसे चेचक, हैजा, प्लेग आदि फैला करते थे लेकिन अब उनका नामोनिशान नहीं रह गया है इसके लिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दे रहा और अपनी सरकार को बधाई दे रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग को बाहर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने थोड़े बजट में जो व्यवस्था की है वह सराहनीय है। मैं देख रहा हूं कि 1980 से हजारों होमोपैथिक अस्पताल, डेढ़-दो हजार आयुर्वेदिक अस्पताल और बहुत से एलोपैथिक अस्पताल उ0प्र0 में स्थापित किये गये हैं। संजय गांधी संस्थान में जापान की मदद से वैज्ञानिक ढंग से मेडिकल पढ़ाई लिखायी और इलाज की व्यवस्था की गयी है जो बहुत ही सराहनीय है। अब रही बात आप लोग के सच्चाई की और नीयतों की। माननीय गोपाल भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा मैं उसका विरोध करता हूं इसलिए मैंने समझा जो नकली दवा है उनमें कटौती का यह काम करेंगे और सुधार करने की बात करेंगे। जैसे इलाहाबाद में सारी दवाई यही देते हैं उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बजट आवश्यक है उसमें कटौती का नाम रख दिया इसलिए इस पर मैं सहमति नहीं व्यक्त करता हूं इसमें सुधार बहुत जरूरी है। मैं अपने सुझाव की आवश्यकता पर बल देता हूं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय सभी तरह के अस्पतालों में दवा का बजट दूना किया जाय, चाहे वह एलोपैथी आयुर्वेदी या होम्योपैथी कोई भी चिकित्सालय हो। मान्यवर, आवश्यकता उन गरीब लोगों की है जो आसानी से दवा नहीं कर सकते हैं तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, अपनी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से अधिक से अधिक बजट ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सालयों पर दवाओं की व्यवस्था की जाय ताकि गरीब जनता को आसानी से दवा मिल सके जो शहरों को नहीं

जा सकते हैं। शहरों में तो बहुत से प्राइवेट दवाखाने हैं जहां के लोग वहां आसानी से दवा खरीद सकते हैं लेकिन गांवों में तो बहुत अधिक परेशानी होती है।

मान्यवर, मैं परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी इस क्षेत्र में काफी सफलता मिली है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हर जाति के हर वर्ग के लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आरक्षण उन परिवार वालों को कर दिया जाय जो नसबन्दी करवाते हैं ताकि हर वर्ग और जाति के लोग यह समझ सकें कि हमें परिवार नियोजन अपनाने से लाभ है। इसलिए इन लोगों को 15-20 प्रतिशत का नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में और उद्योग धन्धे लगाने में आरक्षण दिया जाय। इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि टी0बी0 एक क्षय रोग है मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से और भारत सरकार से भी कि इस क्षय रोग को राष्ट्रीय प्रोग्राम में रख लिया जाय। हमें क्षय रोग को मिटाना तथा भगाना है इसलिए क्षय रोग से पीड़ित लोगों को सस्ती दवा फ्री भोजन टानिक और विटामिन आदि की संतुलित व्यवस्था की जाय। यह छूत का रोग है एक परिवार में होता है और 10 परिवार में फैलकर विनाश करता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो आपका यह क्षय रोग है इस पर आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है लेकिन उतनी प्रगति नहीं होती है, अब मैं इसकी प्रगति देखना चाहता हूं। उसकी प्रगति हमको अच्छी मिलनी चाहिए दूसरी बात आरक्षण कोटे की है। अभी डेढ़ सौ अनुसूचित जाति की महिला डाक्टर और होनी चाहिए प्रदेश में और काफी अनुसूचित जाति के डा0 चाहिए। मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति की महिलाओं और पुरुषों के प्रवेश में छूट दिया जाय ताकि इन जातियों के लोग भी डाक्टर बन सके और आरक्षण का कोटा पूरा हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हर देव–

मान्यवर, अब मैं होम्योपैथिक के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में 16 जिलों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो 41 जिले शेष हैं उनमें भी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की व्यवस्था इसी बजट में किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें, आपके जो सुझाव होंगे उनको लिखकर दे दीजिएगा।

श्री हरदेव–

मान्यवर, हमारे बलिया जिले में रसड़ा तहसील मुख्यालय पर पोस्टमार्टम केन्द्र की व्यवस्था की जाय और एक होम्योपैथिक राजकीय अस्पताल खोला जाय तथा भीमपुरा आयुर्वेदिक अस्पताल 4 शैय्या का बनाया जाय। सराय भारती ब्लाक रसड़ा की पी0 एच0 सी0 को उच्चीकृत 30 शैय्या में किया जाय। पूरा पताई ब्लाक सीवर में एक एलोपैथिक अस्पताल तथा टीका दउरी नगपुरा में एक एडीशनल पी0एच0सी0 खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाय। मुस्तफाबाद, आमघर तथा अठिलापुरा में एक-एक अस्पताल आयुर्वेदिक का खोला जाय और रसड़ा कस्बा में होम्योपैथिक खनपुरा सेमराजपुर व कोदई (नगरा), खरुआंव, इटौरा में होम्योपैथिक राजकीय अस्पताल खोला जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरदेव–

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा अपने साथी गोपाल भाई के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का लगभग 375 करोड़ रुपये का बजट हम लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ है । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में प्रगति होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई । नारा यह जरूर बुलन्द किया गया था कि सबके लिए चिकित्सा उपलब्ध करेंगे । नारा यह बुलन्द किया गया था कि स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हर 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायगी । लेकिन जो पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, उसमें यह बात स्वीकार की गई है कि छठी पंचवर्षीय योजना में नए केन्द्रों और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। गत वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया था, 86-87 के मुकाबिले आज के बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में भी कमी आई है । जहां यह ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 500 स्वास्थ्य केन्द्रों के मुकाबिले 435 स्वास्थ्य केन्द्र इस वर्ष खोलने की बात कही गई है । अस्पतालों की जो हालत है, नर्क से भी बदतर है । यदि नरक साक्षात रूप से देखना हो तो माननीय लोकपति जी के अस्पतालों में चले जाइए । चाहे देवरिया का अस्पताल हो या गोरखपुर का मेडिकल कालेज हो, चाहे इस राजधानी लखनऊ का मेडिकल कालेज हो, मान्यवर, जो गंदगी वहां पर है, जो बदइन्तजामी वहां पर है, उसकी कोई मिसाल नहीं । मरीजों को पूछने वाला कोई नहीं है । पहले एक सिविल सर्जन जिले के अस्पताल को चला लेता था, आज 20-20 डाक्टरों के बावजूद भी मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है। पदों का सृजन जरूर किया गया है। पहले एक जिले में एक सी0 एम0 ओ0, बाद में उनकी सहायता के लिए तीन डिप्टी सी0 एम0 ओ0 और अब प्रत्येक 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 नियुक्त किया गया है ।। लेकिन अस्पताल में जाने के बाद सामान्य दवाइयां टीका, कुत्ता काटने की सुइयां नहीं उपलब्ध हो पाती हैं । माननीय मंत्री जी पुराने अनुभवी मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के एक-एक जर्रे से परिचित हैं । लेकिन मुझे लगता है कि जान-बूझकर ये अपने स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना नहीं चाहते हैं । देवरिया जनपद आपरेशन थियेटर में जनरेटर लगाने के लिए कहा गया था, वह डेढ़ महीने से बन्द है, कहा गया था कि एक हफ्ते में उसे ठीक कर दिया जायगा, लेकिन आज की तारीख तक वह ठीक नहीं हो सका और इस पूरी अवधि में एक भी आपरेशन वहां नहीं हुआ है । गोरखपुर का मेडिकल कालेज माननीय मुख्य मंत्री के जिले का मेडिकल कालेज है, लेकिन जितनी उपेक्षा और दुर्दशा उनकी है, आप कभी वहां पर स्वयं तसरीफ ले चलने की कृपा करें, जितनी गन्दगी, जितना भ्रष्टाचार, जितनी दयनीय हालत उस मेडिकल कालेज की है, कोई डाक्टर गोरखपुर मेडिकल कालेज पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक शायद ही मिलता है । पता लगता है कि जनता होम्यो डिस्पेंसरी पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर

रहे हैं । वहां पर भर्ती मरीजों की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता है । वहां पर नर्सेज के लिए ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है । इसलिए वहां पर नर्सेज की ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जाय और देवरिया जनपद में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात बजट में नहीं कही गई है । इसलिए वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या को बढ़ाया जाय और पथरदेवा विकास खण्ड में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पकहा में स्थापित किया जाए । गोरखपुर मेडिकल कालेज में मरीजों को जूनियर डाक्टर देखते हैं क्लास के बाद जब वे होस्टल चले जाते हैं तो उनकी देख-रेख के लिए नर्सेज की कोई व्यवस्था नहीं है । मरीज भगवान भरोसे रहते हैं इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में नर्सेज ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की व्यवस्था करें । दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो इन्होंने शुल्क बढ़ा दिया है, उस शुल्क को बढ़ाने से गरीब किसानों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है । पर्चे का दाम आपने बढ़ा दिया लेकिन अस्पताल में कोई दवाई मिलती नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस शुल्क को वापस करें । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

डा0 रजनीकान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश नशे से आक्रान्त है। हेरोइन और उससे सम्बन्धित जो ड्रग्स आती हैं जैसे नारकोटिक्स और साइकोट्रापिक तथा मेनड्रेक्स आदि के अन्तर्राष्ट्रीय षड़यन्त्र के तहत हमारे नवजवान आगे बढ़ रहे हैं। इनके जरिए देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है । यह ऐसा नशा है कि इसकी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है और एक बार जब आदत पड़ जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है और जिस व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है तो वह बीमार लगने लगता है, वह दया का पात्र है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हर जिला अस्पताल के ऊपर इस तरह के नशे के इरीटेशन के लिए वह कोई प्रयोजन करें, कोई उपाय करें । इसके लिए कोई सेन्टर बनाया जाय । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1985 में एन्टी नारकोटिक्स साइकोट्रापिक ड्रग्स एक्ट पास किया गया । उसमें यह था कि पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा तथा दुबारा पकड़े जाने पर 20 लाख रु0 जुर्माना और 30 साल की सजा है । मान्यवर, जिनको नशे की आदत पड़ जाती है वे जब नशा छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छोड़ पाते हैं और यदि बिना डाक्टरी इलाज के नशा छोड़ें तो कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। आज आयुर्वेदिक में तमाम तरह की दवाएं प्रचलित हैं जैसे मृत संजीवनी सुरा आदि। आज आयुर्वेद में दवा के नाम पर खाली अल्कोहल की बिक्री हो रही है। इसके पहले भी आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री होती थी लेकिन उसमें अल्कोहल की मात्रा का निश्चित करके बेचा जाता था, आज उससे बहुत ज्यादा अल्कोहल वाली इन दवाओं की बिक्री हो रही है। आज कहा जाता है कि डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रगति का रथ देहात से चलेगा और शहर की तरफ आयेगा तो वह एक सही प्रयत्न होगा, सतत् उपलब्धि होगी । मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य चिकित्सालय शहरों में ही क्यों खोले जाते हैं, गांवों में क्यों

नहीं खोले जाते। यदि गांवों में मुख्य चिकित्सालय और मेडिकल कालेज खोले जायं तो कोई कारण नहीं है कि अच्छे-अच्छे डाक्टर गांवों में न जायं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब अगर कुछ नया खोलने की बात करें तो वह किसी देहात में खोलें। आज कई प्रकार के कामर्शियल के माध्यम से तरह-तरह की दवाइयां बिक रही हैं जैसे क्लोरोमाइसिन आदि। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन नशीली दवाइयों को रोका जाय और एक ही तरह की दवाई के एक ही प्रकार के दाम रखे जायं। देखने में आया है कि एक ही तरह की दवाई के दाम अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग होते हैं जिसको समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विरोध पक्ष के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

*डाक्टर बंगाली सिंह –

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया साथ ही जो मा0 गोपाल दास यादव जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मा0 मंत्री जी ने यह बजट 3 अरब, 88 करोड़ रुपयों से भी ऊपर का रखा है, जिसमें से सारे बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन व मैन्टीनेन्स पर खर्च होगा और साढ़े 10 करोड़ रुपया करीब दवाओं व मशीनों आदि पर व्यय होगा तथा आयुर्वेदिक पर बहुत कम बजट का प्राविधान किया गया है और आज देहातों में जो यूनानी व आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, उनको करीब साल में 5-6 हजार रुपयों या 5-6 सौ रुपयों की दवाइयां ही दी जाती हैं जबकि यह अस्पताल तीन हजार की आबादी पर खोले जाते हैं, तो इतनी कम दवाई में कैसे इतनी आबादी का भला हो सकता है इसलिए इस पैसे में और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए जिससे गरीबों को सही और सस्ते इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही मान्यवर मैं भी कहना चाहता हूं कि आज एलोपैथिक, सल्फाड्रग व एंटी-बाइटिक दवाएं इतनी नकली बन रही हैं, जिनसे मरीजों को बजाए फायदे के नुकसान हो रहा है साथ ही अच्छी दवाईयां इन अस्पतालों की बाजारों में बिक जाती हैं और मरीज उनसे फायदा नहीं उठा पाते हैं। साथ ही श्रीमन् आज पी0 एच0 सी0 डिस्पेन्सरियों में आवास की समुचित सुविधाएं नहीं हैं, जिससे ऐसे स्थानों पर डाक्टर्स और नहीं ठहरते। यही कारण है कि मान्यवर, हमारे ब्लाक में 10 सालों में कोई डाक्टर नहीं गया है, जबकि तीन-तीन डाक्टर्स पोस्टेड हैं। साथ ही नसबंदी पर आज सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और पूरे प्रदेश में नसबंदी व लूप-निवेशन में फर्जी केसेज किये जा रहे हैं, साथ ही जिले के प्रभारी श्रम मंत्री जी हमारे यहां मौजूद थे, उनके सामने कई केस फर्जी बनाये गये तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी जांच कराएं और जांच के उपरान्त जो भी दोषी अधिकारी डाक्टर्स पाये जायं उनको सजा दी जाए।

मान्यवर, आज बहुतेरे अस्पताल जिलों में ऐसे हैं, जहां पर मरीजों के लिए बैठने तक की व्यवस्था सही नही है। पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं है। शौचालय नहीं हैं। यहां तक मरीजों के लिए पलंग तक उपलब्ध नहीं रहते। दवाइयों और डाक्टरों के संबंध में तो पहले भी कह चुका हूं और इस बात को तो करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इन सारी व्यवस्थाओं को सही कराने का अनुरोध करता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे –

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा के अवसर पर भाग लेने का मौका दिया और मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष से रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । आज का मान्यवर जो विषय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मान्यवर इस विभाग का जनता से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है और इसी पर मान्यवर इस देश व प्रदेश के विकास के मार्ग निर्भर है, यह बड़ा ही कल्याणकारी विभाग है, परन्तु आज जो प्रदेश की एक ज्वलंत समस्या है, वह है बढ़ती हुयी आबादी, चाहे हम इस ओर कितना ही विकास करें, कितनी ही शिक्षा की सुलभ व्यवस्थाएं करें, कितने ही भवनों का निर्माण करायें, लेकिन अगर यह बढ़ती हुई आबादी को न रोका गया तो यह सारी चीजें अपर्याप्त है। इसलिए मान्यवर, यह जो आज का विषय है, बहुत गम्भीर विषय है, चर्चा के लिए। आज हम सभी लोगों का दायित्व है कि मिल करके जो देश की यह ज्वलंत समस्या बढ़ रही है, उसके बारे में सोचें, तभी इस देश और प्रदेश का विकास होगा । मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है और जो जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं और आपने जो सबको स्वास्थ्य मुहैया कराने का संकल्प लिया है, हर 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का जो फैसला लिया है और इस साल जो पूरे 540 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात कही है, इतना ही नहीं जो संजय गांधी मेमोरियल इन्स्टीट्यूट, जो इस देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ ही मैं गाजीपुर की कुछ ज्वलंत समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । गाजीपुर जनपद में अफीम की खेती होती है । यहां पर एशिया में सबसे ज्यादा अफीम के कारखाने हैं । हमारी नई पीढ़ी के नवजवान, जो इस अफीम के लती हो गए हैं, उन्हें इससे छुटकारा दिलाना होगा, यह वहां की एक बहुत बड़ी समस्या है । गाजीपुर के अस्पतालों में इन नशाखोर नौजवानों के लिये, उनको जो लत लगी हुई है, उसके इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है । इसके साथ ही साथ गाजीपुर जिला अस्पताल में बहुत दिनों से एक 300 बेड का अस्पताल स्वीकृत है, लेकिन आज उसके काम में कोई प्रगति नहीं है । गाजीपुर में होम्योपैथिक कालेज बनकर तैयार है, लेकिन वहां जो लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए हास्टल की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके साथ ही साथ मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो छोटे-मोटे काम हैं, जो जेनरेटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई फण्ड नहीं है, लाइट चली जाती है या अघोषित विद्युत कटौती होती है तो जेनरेटर नहीं चल पाता है, इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है । इन छोटी मोटी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि प्रदेश सरकार की छवि खराब न हो सके । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कनक सिंह –

मान्यवर, आपने मेरी ओर ध्यान दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । मान्यवर, बहुत देर से जो स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही है, अच्छे वक्ताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, समय कम है, लिहाजा केवल कुछ सुझाव मैं मा0 मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । मा0 मंत्री जी इस पर ध्यान दें । वैसे जबसे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग सम्भाला है, तबसे इस विभाग का भट्ठा बैठा दिया है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र गढ़ मुक्तेश्वर में 145 गांव हैं, जिनमें केवल 2 पी0 एच0 सी0 हैं । तहसील गढ़ मुक्तेश्वर में केवल दो पी0एच0सी0 हैं और एक में भी बेड की सुविधा नहीं है । वहां मरीज आते हैं तो रात के लिए अपने साथ खाट (चारपाई) लाते हैं और जाते समय वापस ले जाते हैं जबकि तहसील हेडक्वार्टर पर कम से कम 30-40-50 बेड का अस्पताल होना चाहिए । मान्यवर, लेडी डाक्टर तो दोनों पी0एच0सी0 में एक भी नहीं है । ऐसी दशा इनके विभाग की है, जहां ये बड़ा दम भरते हैं कि गरीबों के, हरिजनों के रहनुमा हैं और उनके लिए स्वास्थ्य की हर तरह की सुविधाएं देते हैं । मा0 मंत्री जी आप इसको देख लें । अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । मान्यवर, उन पी0एच0सी0 में पोलियों, काली खांसी और टिटनेस इस तरह के इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं हैं । जो भी गांव का आदमी ये इन्जेक्शन लगवाना चाहता है उसे वहां से 40 किलोमीटर पर हापुड़ जाना पड़ता है तो वहां पर हर पी0एच0सी0 में पोलियो, काली खांसी और टिटनेस के इंजेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरे मिड वाइफ या दाई जिनको कि गांव में रहना चाहिये वे गांवों में न रहकर कस्बा में या शहरों में रहती हैं । जबकि मंत्री जी जानते हैं कि डिलिवरी अक्सर रात में होती हैं, लेकिन रात में वहां पर दाई नहीं मिलतीं । तो यह मान्यवर, मेरा सुझाव है कि गांव में दाई या मिडवाइफ रहे ।

मान्यवर, पी0 एच0 सी0 पर जो डाक्टर तैनात हैं, वह प्रायः अपना हेड क्वार्टर पी0 एच0 सी0 पर नहीं रखते हैं, वह मेरठ या हापुड़ रहते हैं। वक्त बे वक्त में कोई सीरियस केस हो तो डाक्टरों के अभाव में पी0 एच0 सी0 में कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। पी0 एच0 सी0 पर डाक्टर हमेशा रहने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, डी0 डी0 टी0 का स्प्रे कभी समय पर नहीं होता है। उसकी दवाई आदि ब्लैक में चली जाती है या घरों में दवाई बांट दी जाती है, स्प्रे नहीं होता है। पागल कुत्तों के काटने का इन्जेक्शन जिला स्तर पर तो मिलता है लेकिन तहसील या पी0 एच0 सी0 पर नहीं मिलता है। वहां भी इंजेक्शन मुहैय्या रहना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री गोपाल दास यादव को बुलाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, दो मिनट का मौका दे दें ।

प्रधान प्रभुदयाल–

मान्यवर, बस दो ही सुझाव देना चाहता हूं मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने गोपाल दास यादव जी को बुला लिया है। जब मंत्री जी जवाब दें, उसके बाद स्पष्टीकरण के रूप में पूछ लें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, किसी और बजट में स्वास्थ्य विभाग के बारे में कह सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सक्षम हैं, घुमा फिरा कर कह ही देते हैं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भारी भरकम धनराशि का बजट पेश किया है। मान्यवर, जिला अस्पतालों के समानान्तर जो प्राइवेट नर्सिंग होम बना दिये गये हैं, उससे आम जनता प्रभावित हो रही है। यह उत्तर प्रदेश गरीबों का प्रदेश है। यहां पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं हैं कि दवा इलाज के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था कर सकें, दवा की व्यवस्था कर सकें, एक्स-रे की व्यवस्था कर सकें । मान्यवर, यह कल्याणकारी बजट है, जन हित के लिये इतनी बड़ी धनराशि का इसमें प्राविधान है, मैं यह अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो शुल्क का, इलाज के लिये प्राविधान है, उसे माफ करायें । सीमित साधनों के रहते हुए, जो सामान्य जन को आवश्यक सुविधाओं की जरूरत हो, उसे उपलब्ध करायें। दवा है या अन्य जो आवश्यक चीजें हैं उसे अस्पतालों में सुलभ करायें तथा जो शुल्क पहले था वैसा ही करने की कृपा करें । उसे और न बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, क्षय रोग के विषय में कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत लम्बी प्रक्रिया होती है। प्राथमिक स्टेज पर इसमें इलाज पर काफी ध्यान देना पड़ता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियोजिड दवायें प्राथमिक स्टेज से लेनी पड़ती हैं । स्ट्रेप्टोमाइसिन एक साल के लिये लगती है। यह काफी महंगी दवायें हैं। आपका आई0 डी0 पी0 एल0 एक अंडरटेकिंग है वहां भी दवाओं का निर्माण होता है। सरकार केन्द्र सरकार से कहे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की कीमत 50 पैसे कर दी जाय ताकि गरीब आदमी आराम से उसे खरीद सके । साथ-साथ रोगियों को टी0 बी0 अस्तताल से यह दवायें, आवश्यक मात्रा में बराबर मिलती रहनी चाहिये ताकि गरीब रोगी अपना इलाज बीच में न रोकें । इथमबुराल, पिरालडिना–यह दवा आसानी से अस्पतालों में मुहैय्या नहीं हो पाती । रेफामिन महंगी दवा होती है। यह आवश्यक दवायें रोगियों को अस्पत्तालों से बराबर मिलती रहनी चाहिए । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं टी0 बी0 अस्पताल, इलाहाबाद में प्रचुर मात्रा में यह आवश्यक दवायें उपलब्ध न होने के कारण, आवश्यक 90 प्रतिशत दवायें रोगियों को बाजार से लेनी पड़ती हैं । यही हालत पूरे प्रदेश में इस तरह के अस्पतालों में है। यह जो आवश्यक टी0 बी0 की दवायें हैं, बीच में थोड़े दिन छोड़ देने से रोगी की हालत और बिगड़ जाती

है। कोई शौकिया इसे नहीं छोड़ता, लेकिन गरीबी के कारण, क्रय न कर सकने के कारण और अस्पतालों में उपलब्ध न होने के कारण, रोगी दवा लेना छोड़ देते हैं। दवायें बराबर मिलती रहें अस्पतालों में यह ध्यान रखा जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश भी होने चाहिए।

मान्यवर, दंत चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 करोड़ जनता उ0 प्र0 में है, लेकिन केवल 20 ही डेंटल सर्जन हैं। मेरा कहना है कि एक लाख की जनसंख्या के पीछे एक सर्जन का मानक होना चाहिये। इस तरह से उत्तर प्रदेश में 1200 डेंटल सर्जन होने चाहिये। दांत एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए एक डेन्टल मोबाईल होनी चाहिए जो स्कूलों में जाकर बच्चों के दांतों का परीक्षण करे। आजकल यह रोग किसी भी एज में पाया जा सकता है। दन्त हाईजेनेस्ट के पद होने चाहिए और इसकी व्यवस्था हेतु एक स्टेट मेडिकल फैकेल्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार लैब टेक्नीशियनों व फारमासिस्ट लोगों का इम्तिहान होता है, उसी प्रकार इनका भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। के0 जी0 मेडिकल कालेज का जो यहां पर दांतों का कक्ष है, उसे मान्यता प्राप्त है लेकिन बी0 एच0 यू0 में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए यदि वहां का लड़का दंत का कोर्स करके आता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती है लेकिन के0 जी0 मेडिकल कालेज के छात्र को मिल जाती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक स्टेट मेडिकल फैकेल्टी होनी चाहिए, जो इसका चुनाव करे। इलाहाबाद में एम0 डी0 आंख का अस्पताल सीतापुर आई हास्पिटल है। सी0 एम0 ओ0 द्वारा प्राइवेट संस्थाओं से आपरेशन कराये जाते हैं, आपरेशन अस्पताल के मोबाईल यूनिट से होनी चाहिए, जो ये आपरेशन करे। प्राइवेट संस्थाओं से आपरेशन कराने में काफी पैसा लगता है और आपरेशन में वह सफाई भी नहीं आ पाती है।

बच्चों को सुइयां लगाने की आपकी जो योजना है, इसके तहत आपने 3 करोड़ रुपए की लागत से रेफ्रिजिरेटर मंगा लिये हैं। मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिकल कालेज की हर गाड़ी में एक रेफ्रिजिरेटर होता है। शहरों में तो बिजली मिल नहीं रही है, देहातों में बिजली कहां से आयेगी ? यह एक प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इनकी जगह पर इमरजेन्सी, जैसे काली खांसी, डिप्थीरिया व डी0 पी0 टी0 के इंजेक्शन मंगवा दीजिए। सांप यदि देहात में किसी को काट लेता है तो अस्पतालों में स्नेक वैकसीन नहीं है। 60 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ता है, तब तक रोगी दम तोड़ देता है, इसलिए मेरी आपसे मांग है कि प्रत्येक प्राइमरी सेवा केन्द्र पर स्नेक वैकसीन उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में भी सीमित साधनों में वह अस्पताल में रोगियों को दवाइयां उपलब्ध करवाते थे। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह एक कल्याणकारी बजट है, इसलिए वह इसे कल्याणकारी दृष्टि से ही देखें।

चिकित्सा शिक्षा को ही देख लीजिए। इलाहाबाद को आपने इतना बड़ा बजट दे दिया है लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। कोई भी प्रिंसिपल यदि रिटायर हो जाता है तो उसे एक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सुनने में आया है कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को आप 2 साल का एक्सटेन्शन

दे रहे हैं । यदि वह प्रोफेसर रहे हैं तो वह पढ़ायें । एक से एक टेलेन्टेड प्रिंसिपल मिल जायेंगे । कोई सर्जरी में और कोई मेडिसिन में । मेरा यह सुझाव है कि मेडिकल कालेज के शिक्षा विभाग, जिनका काम पठन-पाठन करना है, उनको समय नहीं मिलता है । लोग रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दें और हस्तक्षेप न करें प्रशासन में। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल पद के लिये दूसरे को मौका दिया जाय । जो जूनियर हैं उनको भी प्रोन्नति का अधिकार होना चाहिये । आपके इस एक्स-टेन्शन देने से लोगों में बड़ी घुटन है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब शासन का नियम बन गया है कि किसी भी कीमत पर एक्सटेन्शन नहीं करेंगे, तो वह बुद्धिजीवियों का कालेज है, वहां पर बुद्धिजीवी रहते हैं, वहां पर विभिन्न विभाग हैं, अनुरोध करूंगा कि सेवाकाल को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि आज का बजट जन-कल्याणकारी नहीं है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय यादव जी ने यह आंकड़ा उपस्थित किया कि जो कहा जाता है, किया नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को 30 हजार के आधार पर मानते हुए 3702 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है, हमारी जनसंख्या 11 करोड़ लेते हुए । 1986-87 के वर्ष तक 2041 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं । हम तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में बता रहे थे कि 3 वर्षों में 1200 स्थापित किये हैं। जो एस0 ए0 डी0 आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक है, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया है। इस वर्ष 530 स्थापित होने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में चिकित्सालय नहीं हैं वहां चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं। 1990-91 तक 3702 पूरे कर ले जायेंगे ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की चर्चा की यादव जी ने, पूरा लक्ष्य तो करीब 1100 का है, अल्पकालिक लक्ष्य 225 का रखा गया है, 127 स्थापित हो चुके हैं, 32 इस साल स्थापित हो जायेंगे, 225 मैय भवन के हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा कर लेंगे । सन् 2000 तक जो बचते हैं, उनको भी पूरा कर लेंगे ।

(इस समय 6 बजकर 11 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

ड्रग इन्सपेक्टर की बात उठायी । उत्तर प्रदेश में ऐसे संसाधन नहीं हैं कि एक साथ ही नियुक्त कर दें लेकिन 2 वर्ष तक 47 उत्तर प्रदेश में किये गये और 31 वर्ष 87-88 में करने का प्राविधान है। वर्ष 90-91 तक सातवीं योजना के अन्त तक इसका पूरा स्ट्रक्चर कम्पलीट कर ले जायेंगे । श्रीमन् अभी सम्मानित दिनेश जौहरी जी ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की बात की थी और कहा था कि इसमें महिला चिकित्सिकाओं की कमी है और यह कमी इसलिये है कि इनके लिये छात्रावास नहीं हैं विद्यालयों में । यह बात सही है, विगत वर्ष हमने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में दो-दो छात्रावास स्थापित कराये हैं, इस साल भी हम उनके लिये छात्रावास बनाने जा रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि पांच वर्षों में जहां-जहां छात्रावास नहीं हैं, वहां छात्रावास उपलब्ध करा दिये जायं ।

इस साल लगभग 83 होम्योपैथिक चिकित्सालय और 100 आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुलेंगे । नगरीय क्षेत्र में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था के प्रचार के लिए 47 नगरीय चिकित्सालय स्थापित हो गये हैं और 15 की और स्थापना की जायेगी । जहां हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं कर पाते हैं वहां हम नगरीय चिकित्सालय में 15 से 25 शैय्या तक ही व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि वहां पर महिला चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

स्कैनिंग मशीन की बात आयी । लखनऊ मेडिकल कालेज में फुल बाडी स्कैनिंग की मशीन लगायी जा चुकी है। लखनऊ मेडिकल कालेज में कैट्सकैन की भी मशीन लगायी जा चुकी है । आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजों में फुल बाडी स्कैनिंग की मशीन लगायी जा रही है चार मेडिकल कालेजों में खून परीक्षण की मशीन लगायी जा चुकी है । इस वर्ष कार्मोग्राफिक स्कैनिंग मशीन सातों मेडिकल कालेजों में लगा देंगे । फुल बाडी स्कैनिंग मशीन 80–90 लाख की आती है जबकि यह केवल 15 लाख की आती है। अगले चरण में हम चार एडीशनल हेड क्वार्टर पर और पर्वतीय क्षेत्र में इसे लगायेंगे जहां कि मेडिकल कालेज नहीं हैं ।

कुत्ता काटने की बात आयी, पटुआडांगर में वैक्सिंग इन्स्टीट्यूट है जो कि वैक्सिंग के निर्माण को बढ़ाने के लिए किया गया है। अभी दो वर्ष पूर्व हमारी स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक नैनीताल में हुई थी तो हमारी कमेटी के सम्मानित सदस्यगण पटुआडांगर गये थे, उसने अब अपना उत्पादन शुरू कर दिया है।

विगत वर्ष 22 लाख सी0सी0 कुत्ता काटने की दवा हमें मिली और 30 लाख सी0सी0 दवा आयतित करनी पड़ी । इस वर्ष 27 लाख सी0सी0 दवा पटुआडांगर इंस्टीट्यूट में बन रही है और यदि आवश्यकता हुई तो शेष बाहर से मंगा ली जायेगी। इसका रेबिंग सेन्टर होता है, किसी जमाने में यह जिला मुख्यालय में होती थी । अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सब पर यह उपलब्ध करायी जायेगी और अगर उस क्षेत्र में नहीं है, मगर उस क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, अगर रेफरीजरेटर है, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वेस्ट किया जा रहा है, अगर 48 घन्टे बिजली नहीं आती है, तो वह उसके टेम्प्रेचर को मेन्टेन करेगा । कुत्ता काटने की सुई के अलावा वहां पर डी0 पी0 टी0, पोलियो, जिनकी आज माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, यह वहां पर रखी जायेगी और उन जगहों पर अगर आवश्यकता महसूस हुई तो जनरेटर भी रखे जायेंगे जिनको 2-3 घन्टे चलाकर मशीन का टेम्प्रेचर मेन्टेन किया जायेगा ।

मान्यवर, महिला विद्यार्थियों के आरक्षण की बात आयी, हमारे मित्र ने कहा, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत आरक्षण अभी है ही । महिला छात्राओं की जो भरती होती है, 440 लड़कियों की मेडिकल कालेज में एलोपैथिक सेक्शन में भरती होती है और इस समय 903 उनकी संख्या है। इस समय 50 और उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरठ में 50 लड़कों की संख्या बढ़ाई जा रही है, 25 लड़कियों का एडमिशन झांसी में और 50 लड़कों का एडमिशन

गोरखपुर में बढ़ाया गया है। माननीय, अभी डा0 कौशल जी ने जनरेटर के बारे में कहा, और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वह चलते नहीं हैं, तो इसका कारण यह है कि उनकी मरम्मत के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। जिला अस्पतालों में जो एक रुपया जमा कराया जाता है, जो 65 लाख रुपया आउट डोर का आता है, उससे 57 जिलों के जनरेटरों का आपरेशन होता है। माननीय, एक इलेक्ट्रिशियन का जनरेटर आपरेटर के पद का सृजन किया जा रहा है, जिसका वेतन इसी से दिया जायेगा ।

श्रीमन्, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में स्पीच एन्ड एडोटरी सेन्टर, बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्डियोथोरेसिस सर्जरी यूनिट की स्थापना 1987-88 में की जायेगी । सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में 1986-87 में किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन की स्थापना हो गयी है, जो 1987-88 में कार्य करने लगेगी । मेडिकल कालेजेज में इन्टेन्सिव केयर यूनिट, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट्स तथा कारोनरी केयर यूनिट्स का विस्तार तथा राजकीय मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों को आवश्यक स्टाफ एवं उपकरण देकर उन्हें सुदृढ़ एवं समुन्नत करने का प्रस्ताव है। मेडिकल कालेजों में रेडियोलोजी विभाग के रेडियोथिरेपी एवं रेडियो डाइगनोसिस में विभक्त करने का प्रस्ताव है। जे0 के0 कैंसर इन्सटीट्यूट, कानपुर में रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम हेतु उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, गोरखपुर तथा जिला अस्पताल वाराणसी, फैजाबाद, देहरादून तथा बरेली में विकलांग कार्यशालाओं की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में उपचारिक प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जा रही है और 15 जिला चिकित्सालयों में नर्स छात्राओं की डे-स्कालर के रूप से उपचारिकाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में इस वर्ष थरासिक तथा कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी यूनिट का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । श्रीमन्, यह स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां हैं जो आपकी सेवायें कर रहा है। वैसे भगवान न करे लेकिन यदि किसी को कार्डियक सर्जरी की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद तथा कानपुर में यह सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी । अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय यादव जी अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें, और इन मांगों को पारित करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अभी आपने बहुत सी बातें कहीं । कार्डियोलोजी सेन्टर्स, हार्ट प्लांटेशन, इन्टेन्सिव केयर यूनिट आदि जो भी सुविधायें हैं वह बड़े आदमियों के लिये होती हैं । आपके पड़ोस में डाक्टर कौशल बैठे हैं, वे जानते होंगे, क्या आप ऐसी स्थिति में हैं कि जितने भी आपके जिला अस्पताल हैं या यू0 पी0 एच0 सीज0 हैं या सामुदायिक हेल्थ सेन्टर्स हैं वहां पर यदि कोई मरीज आता है तो बैंडेज, पट्टी या छोटी-मोटी दवाई किसी गरीब से नहीं मंगाई जायेगी, इसकी आप घोषणा कर दें । मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसा कर देंगे तो सब लोग आपके बजट का स्वागत करेंगे । तो आप स्पष्ट घोषणा करने में सक्षम हैं ?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और आपकी ही बात रिपीट करना चाहता हूं कि आपके जो मेडिकल कालेजेज हैं उनका गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं है । मैं इसकी टेक्निकलिटी पर नहीं जाना चाहता हूं किन्तु आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई मरीज स्वास्थ्य लाभ न कर पाये और उसकी अकाल मौत हो जाय तो आपके जो शव विच्छेदन केन्द्र हैं उनके सम्बन्ध में आप पूरे 57 जिलों के जिलाधिकारियों और सी0 एम0 ओ0 से रिपोर्ट मंगाकर देख लें कि वहां शव विच्छेदन केन्द्रों में क्या स्थिति है, उनकी कितनी दयनीय हालत है । वहां पर बैठना मुश्किल हो जाता है । आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायेगी यदि आप इन मौरचुअरीज का पुनर्निर्माण करा दें । इन दो विषयों के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट घोषणा कर दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जहां तक गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात है उसकी घोषणा 1986-87 के बजट में ही कर दी थी । हर व्यक्ति को जिसकी आमदनी 12 हजार रुपये वार्षिक से कम हो उसको उत्तर प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी । किडनी बदलने, हार्ट बाई-पास सर्जरी की सुविधा आगरा मेडिकल कालेज में प्रारम्भ हो रही है। पेस-मेकर लगाने की सुविधा वहां पर प्रारम्भ हो रही है । पेस मेकर हम नि:शुल्क देते हैं । वह हम सबको देते थे । गरीबों को नि:शुल्क देते हैं । उस पर 12 हजार रुपये की लागत आती है, वह शासन दे रहा है। अब किडनी तथा हार्ट सर्जरी जिसकी 12 हजार से कम आमदनी हो उनसे उसकी लागत का 50 प्रतिशत लेते हैं । . . . (व्यवधान) । अब यह सुविधा उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में उपलब्ध हो जायेगी और इसके लिये मात्र 5 रुपये आपरेशन फीस चार्ज किया जायेगा । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो पांच रुपये नहीं दे पायेगा । नहीं दे पायेगा तो हर चिकित्सालय में यह व्यवस्था की गई है कि उसको सम्पूर्ण चिकित्सा नि:शुल्क दी जायेगी ।

नगरीय क्षेत्रों में हर शैय्या पर 5 हजार रु0 प्रतिवर्ष व्यय किया जायेगा उसमें एक्सरे फिल्म पर 250 रु0 प्रति शैय्या सर्जिकल ड्रेसिंग पर 500 रु0, बिस्तर एवं वस्त्र पर 350 रु0 जिसमें मरीजों को जो वस्त्र आदि पहनाया जाता है प्रकीर्ण व्यय 500 रु0 । ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों में यह मानक 4,200 रु0 प्रति शैय्या की व्यवस्था की गयी है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो रोगों का विश्लेषण होगा उसके लिये कोई चार्ज नहीं रखा गया है । जहां पर एक्स-रे है उसके लिये भी यही धनराशि रहेगी जो नगरीय क्षेत्र में रखी गयी है । अत: जो आपकी आशंका है कि इस बजट से गरीबों का हित नहीं होगा वह उचित नहीं है और मैं अवगत कराना चाहता हूं कि संपूर्ण बजट इसी दृष्टिकोण से रखा गया है कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जो 80 प्रतिशत से अधिक है उसको चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले । हां पोस्ट मार्टम सेंटर्स का पुनर्निर्माण और जहां आवश्यकता होगी उनकी मरम्मत का काम इस साल आरम्भ हो जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 80 प्रतिशत जो गरीब हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये यह है । तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी बीमार है वह आपको दरखास्त देता है आर्थिक सहायता के लिये । तो इस

दो साल 3 महीने के बीच केवल 3 दरखास्त मेरी संस्तुति से आपके पास आये हैं । एक तोलन प्रसाद हरिजन है उसके नाम यहां से फार्म गया है कि सी0 एम0 ओ0 से लिख कर डी0 एम0 की संस्तुति से भेजो तो वह उनके चक्कर लगाता-लगाता थक गया है। दूसरा विश्वनाथ त्रिपाठी है जो गठिया रोग से पीड़ित है वह सी0 एम0 ओ0 और जिलाधिकारी के पास जा नहीं सकता है। तीसरा चुन्नी लाल है जिसने सी0 एम0 ओ0 और जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ भेज दिया है लेकिन एक साल हो गया वह पड़ा हुआ है और कोई आर्थिक सहायता उसे नहीं मिली है।

तो मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया आपने निर्धारित की है उसमें एक तो थक गया दूसरा जा नहीं सकता है और तीसरे ने मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी की संस्तुति कराकर भेज दिया है लेकिन साल भर से उसे कोई सहायता नहीं मिली है। यह तीनों गरीब मजदूर हैं उनकी यह हालत नहीं है कि वह इतने चक्कर लगा सकें । अभी उनको कोई सहायता नहीं मिली है । यह तीन मामलों पर आप विचार करने की कृपा करेंगे कि उनको सहायता मिल जाय । क्या आप इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे और ऐसा कर सकते हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी से मिलने के स्थान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा जाय कि उनको बुला कर वे इस प्रक्रिया को पूरा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

अगर आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करायें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जहां तक मेरी जानकारी है और जो मेरे संज्ञान में आया है यह आर्थिक अनुदान का मसला है। हमारे सामने आपके पास भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं जो जानते हैं कि एक पैसा भी चाहे क्यों न हो या सौ करोड़ क्यों न हो उसमें प्रक्रिया सब में एक ही है वह पूरी करनी होती है। आपकी भावना को मैं जरूर मंत्रि-परिषद् तक पहुंचाऊंगा कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। जहां तक अस्पताल में भर्ती वाले मरीज का प्रश्न है। जहां वह दाखिल है चाहे जिला अस्पताल हो या दूसरे में वहां वह रिफरेन्स पर चला जायेगा । उसमें न सी0 एम0 ओ0 की जरूरत है और न जिलाधिकारी की । उन्हीं को जरूरत है जो गरीब हैं, निरक्षर हैं। उनके लिये 20 शैय्याओं का हर जगह है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैंने शैय्यायें नहीं पूछीं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री को चश्मे के लिये देने के लिये 48 रुपये हैं। टी0 बी0 हो तो भोजन के लिये 250 रुपये हैं । अगर कैंसर का मरीज आ जाये तो बहुत खींचतान कर ली जाये तो 1000 रु0 दे दिया जायेगा । यह इतना कम है। आप सत्य कह रहे हैं, धन इतना कम है और प्रक्रिया लम्बी है। मुझे भी

सूचनायें मिली हैं । उनको पैसा दिया गया, वह मर गये । स्वीकृति भेजी गयी जिलाधिकारी के पास तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी । इस प्रक्रिया में अवश्य परिवर्तन होना चाहिये, मैं इस मसले को देखूंगा ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं जिलों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों प्रकार की व्यवस्थायें चल रही हैं। हर जिले में यह व्यवस्थायें हैं। मंत्री जी, जरा इधर सुनिये । होम्योपैथिक अस्पतालों का नियन्त्रण सी0 एम0 ओ0 करता है। अगर डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर वहां नहीं बैठता है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो सी0 एम0 ओ0 अधिकृत नहीं है। डायरेक्ट्रेट है, निदेशक होता है उनका, यह अधिकार उसे दिया गया है। ट्रान्सफर करना हो, कोई अन्य कार्यवाही करना हो तो वह करेगा । नियन्त्रण सी0 एम0 ओ0 का कार्यवाही डायरेक्ट्रेट करेगा । सारे डाक्टर डायरेक्ट्रेट में घूमते रहते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सी0 एम0 ओ0 को अधिकार देंगे तबादले का, कार्यवाही करने का ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिलों में जिला होम्योपैथिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। पिछले साल भी हुई है और इस वर्ष भी 16 हुई है। जहां नहीं हैं वहां सी0 एम0 ओ0 से अनुरोध किया गया है कि एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 को जिला होम्योपैथिक अधिकारी बना दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, ट्रान्सफर के बारे में पूछा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ट्रान्सफर सी0 एम0 ओ0 का अधिकार है।

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मई माह में इन्टेन्सिव केयर यूनिट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के पश्चात बदायूं में वह आज तक बन्द पड़ा है। मेरा निवेदन है कि जो भी आवश्यक इक्यूपमेंट हैं, जल्दी से जल्दी भिजवाने की कृपा करें जिससे उद्घाटन सार्थक हो सके । इक्यूपमेन्ट न होने के कारण यूनिट चल नहीं पा रही है । दूसरा जो उद्घाटन किया उच्चीकृत चिकित्सालय का। वहां भी इक्यूपमेंट नहीं पहुंच पाये । मान्यवर, बदायूं के इस उच्चीकृत चिकित्सालय को सही तरीके से चालू करा दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अवश्य ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा । मेरे यहां जिला अस्पताल में सभी सुविधायें दे दी गयी हैं । जिला अस्पताल का भवन एक तिहाई बना है, उसको पूरा करा दें । दूसरी बात यह है कि कुत्ता काटने की दवा की हर अस्पताल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों की जो हालत हम लोगों ने सदन में देखी, जो माननीय सदस्य इस समय यहां पर नहीं हैं और श्रीमन्, आपने भी उनकी हालत अपने सामने देखी है, उसको देखते हुए आप स्वयं समझते होंगे कि कुत्ता काटने की दवा होनी चाहिए ।

*श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, अस्पतालों में सरकारी डाक्टर लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं और तमाम फर्जी मेडिकल के काम कर रहे हैं। कुछ डाक्टर्स पार्टी से पैसा लेकर चोट आदि को गम्भीर दिखा दिया करते हैं और जिनसे रिश्वत नहीं पाते हैं उनके गम्भीर घावों और चोटों को भी हल्का करके दिखा देते हैं। तो जो यह डाक्टर फर्जी और गलत चोट बनाने के आदी हैं, जिनके कारण बड़ी समस्यायें और परेशानियां पैदा होती हैं । उनके इस फर्जी प्रमाणों से पुलिस बहुत परेशानी में पड़ती रहती है और उससे हमारे जुडिशियरी पर भी बहुत अधिक भार पड़ता है । तो उन पर नियन्त्रण कायम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

कुमारी अलमेलु अम्माल–

जनता को सांप काटे की दवा भी हर अस्पताल में मिलनी चाहिए । शहर में तो मिलती है, लेकिन गांवों में इसकी दवा नहीं मिलती है। जिसको सांप काटता है उसको शहर तक नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में और तहसील अस्पताल में यह दवा मिलनी चाहिए।

(श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी और श्री औसान सिंह दोनों खड़े होकर साथ-साथ प्रश्न पूछने का प्रयास करते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिये अब किसी को इजाजत नहीं है। केवल आखिरी सवाल अब यदुनाथ जी और हरदेव जी करेंगे ।

श्री औसान सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप भाषण कर रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा । कोई पार्टीकुलर अस्पताल हो तो उसके बारे में आप जानकारी कर लें ।

श्री औसान सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

बजट भाषण के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है, उसमें मंत्री जी के भाषण के बाद दो-एक स्पष्टीकरण पूछने की ही इजाजत है और वह भी नेता विरोधी दल की ओर से हो। किन्तु यहां इतने-इतने सवाल माननीय सदस्य किये जा रहे हैं, इस तरह तो यह समय जाया हो रहा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अस्पतालों में डाक्टरों के न होने के सम्बन्ध में यह बात सही है कि प्रदेश में बहुत से अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। इस समय हमारे पास 1800 पुरुष डाक्टरों और करीब 500 महिला डाक्टरों की कमी है। मैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, डाक्टरों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी कमी के बावजूद उन्होंने प्रदेश को बीमारी और महामारी से बचाया ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ब्रेन हैमरेज करीब दो हजार से ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में कहीं कैट स्कैन का प्राविधान है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिर्फ लखनऊ में।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, सरोजनी नायडू चिकित्सालय में दो साल से एक वार्ड खुला है लेकिन वहां नर्स, डाक्टर की कोई सुविधा नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, महिला चिकित्सालय में कोई व्यवस्था सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाएं ।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय मंत्री जी को हमारे कटौती के प्रस्ताव को मानना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग सब बैठें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,70,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,68,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकिता विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,58,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि के अतिरिक्त 52,48,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,65,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,49,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के मामलों पर अध्यक्ष के निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के निम्नांकित 6 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है:–

1–श्री यदुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 19-8-85

2–श्री काजी कलीमुर्रहमान व श्री हर्षवर्धन तथा श्री रमाशंकर कौशिक, श्री सखावत हुसैन, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल और श्री गौरीशंकर भइया द्वारा प्रस्तुत सूचनायें दिनांक 1-1-86 तथा 14-2-86

3–श्री मयंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 29-3-86

4–श्री हरिशंकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 2-4-86

5–श्री शारदा प्रताप द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 5-9-86

6–श्री हर्ष वर्धन द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 15-12-86

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायगा ।

(निम्नलिखित निर्णय पढ़े हुए माने गये)

[श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 19 अगस्त, 1985 को श्री ओम प्रकाश शाही, थानाध्यक्ष, रामनगर जनपद वाराणसी तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दी है। माननीय सदस्य का अभिकथन है कि दिनांक 11 अगस्त, 1985 को जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रामनगर होते हुए स्टीमर बोट से मिर्जापुर अपने क्षेत्र जा रहे थे, तो रामनगर, वाराणसी के थानाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शाही ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियां दीं, जान से मार डालने की धमकी दी एवं उन्हें स्टीमर द्वारा गंगा नदी की तेज धारा में बहा दिया, जिसमें वे दिनांक 11, 12, 13, व 14 अगस्त, 1985 तक लगातार बहते रहे और दिनांक 15 अगस्त, 1985 की सुबह पटना राजेन्द्र घाट सदाकत आश्रम पर स्टीमर रुक गया। माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मार डालने के उद्देश्य से ठेकेदार गुण्डों के सहयोग पर उपरोक्त थानाध्यक्ष ने यह कार्य किया था।

प्रश्नगत मामले में माननीय गृह राज्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी। माननीय गृह राज्य मंत्री ने मुझे यह सूचित किया है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त तिथि को रात्रि 25-30 व्यक्तियों के साथ रामनगर से ठेकेदार के चार आदमियों सहित एक स्टीमर व दो नावें छीनकर राजघाट की ओर ले जायी गयीं और पुल के पास ठेकेदार के आदमियों को मारा पीटा गया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया गया। अपहृत नावों में एक नाव सैदपुर पुलिस द्वारा बरामद की गयी, एक अन्य नाव को "पावर चार्ज" को पटना (बिहार) से बरामद किया गया और नाव की रखवाली कर रहे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। माननीय राज्य मंत्री ने अपनी सूचना में यह भी बताया है कि दिनांक 11 अगस्त, 1985 की घटना के सम्बन्ध में थाना रामनगर में श्री राम नरेश, निवासी ताहिरपुर, थाना रामनगर, वाराणसी, जिनके पास रामनगर घाट वाराणसी की नावों का ठेका जून, 1990 तक है, द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1985 को रात्रि में माननीय यदुनाथ सिंह एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 395/397/307/364 के अन्तर्गत एक अभियोग संख्या 97/85 पंजीकृत कराया गया था। सूचना में यह भी कहा गया है कि उक्त अभियोग से सम्बन्धित 20 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं और अभियोग में नामित अभियुक्त विधायक, श्री यदुनाथ सिंह क्षेत्र चुनार, मिर्जापुर के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। शासन ने यह भी सूचित किया है कि श्री ओम प्रकाश शाही द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1985 को माननीय विधान सभा सदस्य, श्री यदुनाथ सिंह को जान से मारने की धमकी देने, गालियां देने, आदि के आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

माननीय सदस्य की सूचना एवं उसके सम्बन्ध में माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर समुचित रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूरी घटना का कोई सम्बन्ध सदन अथवा सदन की समिति के कार्य से नहीं है। जो घटना घटित हुई है, वह एक पृथक मामला है, जो विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आता। इतना ही नहीं, इस मामले को माननीय सदस्य ने दिनांक 17 अगस्त, 1985 को औचित्य प्रश्न के रूप में भी उठाया था। सदन में कही गई घटना तथा विशेषाधिकार-हनन की सूचना में भी मूलभूत अन्तर है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार हनन के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) विधान सभा के वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के छठे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के माध्यम से मा0 शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में दी गयी सूचना के असत्य होने के आधार पर श्री काजी कलीमुर्रहमान व श्री हर्ष वर्धन, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 को मा0 शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी और इसी संबंध में सर्वश्री रमाशंकर कौशिक, सखावत हुसैन, शिवानन्द नौटियाल तथा गौरी शंकर भइया, सदस्यगण ने दिनांक 14 फरवरी, 1986 को विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्यों की शिकायत है कि मा0 मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि "प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी करने की कोई सूचना नहीं है" और मा0 मंत्री ने इससे पूरे सदन को गुमराह किया क्योंकि उक्त उत्तर वास्तविकता से परे और असत्य है।

इस सम्बन्ध में मा0 शिक्षा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया। मा0 मंत्री ने कहा है कि, जैसा कि सदन में दिये गये उत्तर में स्पष्ट उल्लेख है, प्रश्न का उत्तर जिलाविद्यालय निरीक्षक गोरखपुर से प्राप्त सूचना पर आधारित था और चूंकि जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना में प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी किये जाने का कोई उल्लेख अथवा सूचना नहीं थी, अतः उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न के उत्तर में सदन में यह सूचित किया गया कि प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। मा0 मंत्री ने यह भी कहा है कि चूंकि पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 में किसी पूर्व सन्दर्भ अथवा मा0 केदारनाथ सिंह के पत्र दिनांक 2 मई, 1983 (जिसका उल्लेख अब विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में किया गया है), का कोई उल्लेख नहीं था, अतः प्रश्न का उत्तर तैयार करते समय उसको सम्बद्ध नहीं किया जा सका। उत्तर के अन्तिम भाग का तात्पर्य यही था कि जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना में प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी करने की कोई सूचना नहीं थीं और इस समय प्रश्नगत लिपिक के पद पर नियुक्ति का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

मेरे विचार से प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसे मामलों में समय-समय पर विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों में कहा गया है कि जान बूझकर गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने पर ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। मा0 सदस्यों ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की जो शिकायत की है उसके पक्ष में उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि माननीय मंत्री द्वारा सदन में जानबूझकर गलत बयानी की गयी है।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं सर्वश्री काजी कलीमुर्रहमान, हर्षवर्धन, कौशिक रमाशंकर सखावत हुसैन, शिवानन्द नौटियाल तथा गौरी शंकर भइया सदस्यगण द्वारा अभिसूचित सूचना को अस्वीकार करता हूं तथा यह निदेश देता हूं कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त इस मामले में विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जाय।

(3) श्री मयंकर सिंह, सदस्य विधान सभा, की विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 29 मार्च, 1986 को जिलाधिकारी, बहराइच के माध्यम से प्राप्त हुई थी। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 28 मार्च, 1986 को रात लगभग 10 बजे उन्हें अन्य व्यक्तियो सहित जिलाधिकारी, बहराइच के आवास के पास गिरफ्तार कर लिया गया तथा 10 घंटे से अधिक अवधि तक बिना कारण बताये अवैधानिक तरीके से निरुद्ध

रखा गया। माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन की उपरोक्त सूचना दिनांक 29 मार्च, 1986 को प्रातः 8,30 बजे थाना कोतवाली से ही भेजा था । उक्त सूचना के साथ जिलाधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट की आख्या भी इस सचिवालय में प्राप्त हुई है।

वस्तुस्थिति की जानकारी मांगे जाने पर गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने अपने पत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1986 द्वारा सूचित किया है कि रिसिया काण्ड में गिरफ्तार अभियुक्तों की रिहाई हेतु नारे लगाकर शांतिभंग की आशंका उत्पन्न होने तथा धारा 144 के उल्लंघन करने पर माननीय सदस्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 28 मार्च, 1986 को रात में गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 29 मार्च, 1986 को प्रातः साढ़े नौ बजे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 111 जाब्ता फौजदारी की नोटिस सुनाकर जेल भेज दिया गया।

श्री मयंकर सिंह की गिरफ्तारी की प्रथम सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 1986 को प्राप्त हुई थी और इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या 9, दिनांक 31 मार्च, 1986 द्वारा उसे परिचालित भी कर दिया गया था । फौजदारी के मामलों में गिरफ्तारी के बावत माननीय सदस्यों को कोई विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। इतना ही नही, माननीय सदस्य की सूचना से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि विशेषाधिकार की सूचना किस व्यक्ति के विरुद्ध दी गयी है।

वर्णित परिस्थितियों में इस मामले को सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

पूरी पत्रावली पढ़ने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों से उन्हें अवगत नहीं कराया गया। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे समस्त जिलाधिकारियों को निदेश जारी कर दें कि माननीय सदस्यों को गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा दिया करें।

(4) दिनांक 2 अप्रैल, 1986 को श्री हरिशंकर तिवारी ने माननीय मुख्यमंत्री तथा श्री सर्वदेव कुंवर, क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। इस मामले से संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

दिनांक 17 फरवरी, 1986 को सदन में श्री हरि शंकर तिवारी की कथित गिरफ्तारी का प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत उठाया गया था । उक्त प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करते हुये श्री तिवारी तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने कहा था कि दिनांक 15 फरवरी, 1986 को नेशनल इंटर कालेज, बड़हलगंज के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर जब श्री तिवारी, मुख्य अतिथि को दोहरी घाट तक छोड़ने गये थे, तो क्षेत्राधिकारी श्री सर्वदेव कुंवर द्वारा उन्हें शाम 5.30 बजे अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया तथा 1.30 बजे रात में छोड़ा गया । नियम 56 की उपरोक्त सूचना को माननीय उपाध्यक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया किन्तु शासन से व्यक्तव्य देने का निदेश दिया ।

उक्त निदेशानुसार दिनांक 1 मार्च, 1986 को माननीय मुख्यमंत्री की ओर से गृह राज्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया था और इस वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था

कि दिनांक 15 फरवरी, 1986 को माननीय तिवारी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि क्षेत्राधिकारी द्वारा उनसे कुछ मामलों में पूछ-ताछ करने हेतु निवेदन किया गया था ।

विशेषाधिकार की प्रश्नगत सूचना में श्री हरिशंकर तिवारी का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री की ओर से सदन में दिनांक 1 मार्च, 1986 को दिया गया वक्तव्य असत्य है और सदन को गुमराह करने वाला है । उक्त सूचना में यह भी कहा गया है कि क्षेत्राधिकारी श्री सर्वदेव कुंवर ने बड़हलगंज में श्री तिवारी को धक्का दिया, अवैध रूप से गिरफ्तार किया तथा धमकी दी और इस कारण वे भी विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं।

बिशेषाधिकार हनन की सूचना की प्रति भेजकर शासन का अभिमत प्राप्त किया गया। अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1986 में माननीय गृह मंत्री ने पुनः कहा है कि दिनांक 15 फरवरी, 1986 को श्री हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा क्षेत्राधिकारी श्री सर्वदेव कुंवर द्वारा श्री तिवारी को धमकी देने का आरोप सही नहीं पाया गया ।

दोनों पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अध्ययन करने के पश्चात् मेरी राय में निम्नांकित बिन्दुओं पर विवाद रह जाता है:-

(क) क्या दिनांक 15 फरवरी, 1986 को दोहरी घाट के पास श्री हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया था ?

(ख) यदि श्री तिवारी की गिरफ्तारी सिद्ध होती है तो वह वैध थी अथवा अवैध ?

(ग) यदि श्री तिवारी को गिरफ्तार किया गया था और वह अवैध थी, तो क्या इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ ?

(घ) क्या शासन के वक्तव्य दिनांक 1 मार्च, 1986 को असत्य तथा सदन को गुमराह करने वाले बयान की संज्ञा दी जा सकती है ?

(ङ) क्या मुख्य मंत्री तथा श्री सर्वदेव कुंवर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होता है ?

जहां तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है कानून में "गिरफ्तारी" शब्द की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता अथवा उसकी स्वच्छन्दता को किस सीमा तक प्रतिबन्धित किये जाने पर उसे गिरफ्तारी की संज्ञा दी जायगी, इस पर विधि विशेषज्ञों में मतभेद हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है और उसकी जानकारी के बगैर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से कमरे का ताला बन्द कर दे, तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ताला बन्द करने वाले व्यक्ति ने कमरे में सोये व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है । इसके विपरीत, यदि कोई पुलिस अधिकारी बिना वारन्ट दिखाये किसी दोषारोपित व्यक्ति से मात्र इतना कहता है कि "तुम गिरफ्तार किये गये," तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावत विवाद हो, वहां कोई निश्चित फारमूले का प्रयोग नहीं किया जा सकता । घटना से संबंधित समस्त तथ्यों को सुनने, समझने और उनकी समीक्षा करने के उपरान्त ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कथित गिरफ्तारी प्रभावी मानी जायगी अथवा नहीं।

प्रश्नगत मामले में जो तथ्य मेरी जानकारी में लाये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और उनके आधार पर यह निर्णय लेना मेरे लिये संभव नहीं है कि वास्तव में दिनांक 15 फरवरी, 1986 को श्री तिवारी गिरफ्तार किये गये । यदि श्री तिवारी यह समझते हैं कि वे उक्त तिथि को गिरफ्तार किये गये और उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, तो उसके लिये वह न्यायालय में धाराजोई करने के लिये स्वतंत्र हैं ।

चूंकि श्री तिवारी की गिरफ्तारी तथा उसकी अवैधानिकता के संबंध में निर्णय नहीं दे रहा हूं अतः अवैध गिरफ्तारी के आधार पर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न स्वयमेव समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त संसदीय मान्यताओं के अनुसार फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी के कारण विशेषाधिकार हनन का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि श्री तिवारी की कथित गिरफ्तारी के कारण सदन के सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों पर कोई आंच नहीं आई। अतः विशेषाधिकार भंग की बात असंगत प्रतीत होती है।

जहां तक मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य की असत्यता का सवाल है, इस पीठ से अनेक निर्णय दिये जा चुके हैं कि जब तक कोई मंत्री जानबूझकर सदन को गुमराह करने की नियत से कोई गलत बयानी नहीं करता तब तक उसके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया नहीं जा सकता। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि वक्तव्य दिनांक 1 मार्च, 1986 में कही गई बातें गलत हैं और ऐसी गलत बयानी जानबूझकर की गई है।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन के इस मामले को सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(5) श्री शारदा प्रताप ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध सदन लक्ष्य की अवमानना की सूचना दिनांक 5 सितम्बर, 1986 को दी है । संक्षेप में मामला निम्नवत् है ।

दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को श्री शुक्ल द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या 5 में यह जानकारी प्राप्त की गई थी कि क्या दिनांक 24 जनवरी, 1986 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव जिला सीतापुर गए थे और तब वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उनके साथ उपेक्षा एवं दुर्व्यवहारपूर्ण बरताव किया गया था । उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि श्री पाण्डेय स्वास्थ्य केन्द्र पर आये थे किन्तु न तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और न प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा इनका परीक्षण ही किया गया । अनुपूरक प्रश्नोत्तर के दौरान माननीय मंत्री ने सूचित किया कि श्री पाण्डेय ने लिखित पत्र भेजकर यह अवगत कराया है कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है ।

सदन की अवमानना की सूचना में श्री शुक्ल ने बताया है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव के सम्बन्ध में श्री पाण्डेय ने कोई पत्र नहीं भेजा है और चूंकि माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्नोत्तर के दौरान एक झूठे पत्र को आधार बनाया है अतः वे सदन की अवमानना के दोषी हैं । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ श्री पाण्डेय के शिकायती पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 1986 की प्रतिलिपि भी संलग्न की है जो हरगांव स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक डा0 बी0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध है ।

इस मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से लिखित जानकारी प्राप्त की गई। अपने उत्तर दिनांक 6 फरवरी, 1987 के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय के पत्र दिनांक 6 अगस्त, 1986 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि श्री पाण्डेय को चिकित्साधिकारी डा0 एस0 के0 सिंह के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

जब स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि श्री पाण्डेय की शिकायत डा0 एस0 के0 सिंह के विरुद्ध न होकर डा0 बी0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध थी, तो उन्होंने अपने पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1987 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट की। इस पत्र के अनुसार दिनांक 24 जनवरी, 1986 को हरगांव के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 अग्रवाल अपने क्षेत्र के भ्रमण पर गए थे। अतः उनका परीक्षण चिकित्साधिकारी (तृतीय) डा0 एस0 के0 सिंह द्वारा किया गया था।

मैंने पूरे मामले को गौर से देखा था। श्री शारदा प्रताप द्वारा पूच्छित प्रश्न में प्रभारी चिकित्साधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं था और इस कारण प्रारम्भ में थोड़ा भ्रम हो गया था। किन्तु अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि घटना दिनांक 24 जनवरी, 1986 की तिथि को डा0 अग्रवाल क्षेत्रीय भ्रमण पर गए थे। वर्णित परिस्थितियों में सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्विवाद है कि सदन की अवमानना का प्रश्न तभी उठता है जब माननीय सदस्य यह साबित करें कि माननीय मंत्री ने सदन में जानबूझकर गलत बयानी की है। प्रश्नगत मामले में इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

(6) श्री हर्ष वर्धन, सदस्य, विधान सभा ने 15 दिसम्बर, 1986 को राज्य मंत्री, नगर विकास, श्रीमती पद्मा सेठ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 5 सितम्बर, 1986 को उन्होंने भोपाल हाउस, लखनऊ के एक फ्लैट के आवंटन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न सदन में उठाया था। औचित्य प्रश्न को अस्वीकार करते हुए माननीय उपाध्यक्ष ने उस दिन यह विचार व्यक्त किया था कि माननीय सदस्य द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु नगर विकास मंत्री से अनुरोध किया जा सकता है। चूंकि उपरोक्त निदेश के बावजूद माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाने की अनुज्ञा मांगी है।

अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 1987 द्वारा नगर विकास मंत्री जी ने प्रश्नगत भवन के आवंटन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मेरे पास प्रेषित कर दी है इसके साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया है कि माननीय सदस्य के पत्र का उत्तर उन्हें प्रेषित किया जा चुका है।

वर्णित परिस्थितियों में इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह परिपाटी सदन में कभी नहीं थी । मैं सदन में उपस्थित हूं, जो आपने निर्णय दिया है उसकी प्रति मुझे उपलब्ध कराएं और मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए अपना जो स्पष्टीकरण दिया है उसकी प्रति भी हमें उपलब्ध करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अध्यक्ष जी के कक्ष में चले जायं और पूछ लें ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री शारदा प्रताप की सूचना को वक्तव्य के लिए और श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

जनपद मुरादाबाद की सम्भल तहसील के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय पर वकीलों का धरना व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार.....

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें ।)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या इसको पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-6-87 को तहसील बार एसोसिएशन, सम्भल की बैठक श्री सतीश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें श्री नीरज शर्मा एडवोकेट के साथ श्री सेवा लाल, उपनिबंधक, सम्भल के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की भर्त्सना की गई और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इनका अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाय । इस घटना के विरोध में बार एसोसियेशन, सम्भल द्वारा अनिश्चित-कालीन हड़ताल तथा दिनांक 8-6-87 से उपनिबंधक कार्यालय के समक्ष धरना देने का प्रस्ताव पारित किया गया ।

दिनांक 8-6-87 को मुरादाबाद बार एसोसिएशन की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समस्त अधिवक्तागण एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे तथा उन्होंने एक ज्ञापन देकर श्री सेवा लाल, उपनिबंधक सम्भल, के भ्रष्टाचार के जांच की मांग की जिस पर तत्काल परगनाधिकारी सम्भल को जांच सौंप दी गई । दिनांक 8-6-87 को जनपद के सभी अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल की गई तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया ।

बार एसोसिएशन, सम्भल तथा बार एसोसिएशन, मुरादाबाद के ज्ञापनों पर भी श्री सेवा लाल, उपनिबंधक, सम्भल से आख्या मांगी गई तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उभयपक्ष के बीच वार्ता की गई । श्री सेवा लाल, उपनिबंधक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उनके द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया ।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिवक्तागण श्री सेवा लाल, उपनिबंधक के स्थानान्तरण की मांग पर अटल रहे और बल दिया कि जब तक उनका स्थानान्तरण नहीं होगा तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे । दिनांक 9-6-87 तथा 10-6-87 को भी वकीलों की हड़ताल जारी रही ।

श्री सेवा लाल, उपनिबंधक, सम्भल द्वारा दिनांक 10-6-87 को एक रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली में लिखाई गई जिसमें कहा गया कि उनके सरकारी कार्य के सम्पादन हेतु सशस्त्र बल तैनात कर दिया जाय । दिनांक 11-6-87 को श्री सेवा लाल, उपनिबन्धक, सम्भल द्वारा एक रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली में सर्वश्री नीरज शर्मा, विजय त्यागी, सत्य प्रकाश गुप्ता, पवन कुमार, कमल कौशल, अनीस इजरायली, विजय कुमार आदि अधिवक्ताओं के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं अपमानजनक जाति-सूचक शब्दों के प्रयोग तथा सरकारी अभिलेखों को क्षति पहुंचाने के प्रयास के सम्बन्ध में लिखाई गई ।

दिनांक 13-6-87 तथा 14-6-87 को अवकाश होने के कारण धरना का कार्यक्रम नहीं हुआ । मुरादाबाद तथा सम्भल में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल दिनांक 15-6-87 से पुनः जारी की गई । दिनांक 16-6-87 को बार एसोसियेशन द्वारा आयुक्त मुरादाबाद मण्डल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया । इस ज्ञापन के आधार पर उपनिबन्धक के विरुद्ध दिनांक 13-6-87 तथा 14-6-87 को अवकाश होने के कारण धरना का कार्यक्रम नहीं हुआ । मुरादाबाद तथा सम्भल में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल दिनाक 15-6-87 से पुनः जारी की गई । दिनांक 16-6-87 को बार एसोसिएशन द्वारा आयुक्त, मुरादाबाद मंडल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया । इस ज्ञापन के आधार पर उप निबन्धक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच परगना मजिस्ट्रेट सम्भल को सौंपी गयी । परगना मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रारम्भ करने के बाद भी दिनांक 17-6-87 को अधिवक्ताओं द्वारा उप निबन्धक कार्यालय के सामने धरना दिया गया, जबकि जिले में धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू थी । अनुरोध करने के बावजूद न मानने के कारण चौदह अधिवक्ताओं को धारा 144 दं0प्र0सं0 उल्लंघन करने तथा शान्ति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिन्हें दूसरे दिन छोड़ दिया गया ।

श्री सेवालाल सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध तथाकथित आरोपों के कारण उनके स्थानान्तरण की मांग को लेकर जिला मुरादाबाद के वकीलों की चल रही हड़ताल दिनांक 29-6-87 को मांग पूरी होने पर समाप्त हो गयी ।]

श्री हरिशंकर तिवारी –

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मा0 अध्यक्ष जी के कक्ष में चले जायं, पता लगा लें ।

श्री हरिशंकर तिवारी –

मान्यवर, उसका निर्णय बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है । आप अध्यक्ष जी के कक्ष में चले जायं जो पूछना हो पूंछ लें ।

श्री हरिशंकर तिवारी –

मान्यवर, यह परिपाटी रही है कि जब यहां कोई व्यवस्था दी गयी है तो उसके बारे में सदन को अवगत कराया गया है यह कोई गुपचुप की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष –

यह पूरा कार्यवाही में छपेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, विशेषाधिकार की यह परम्परा रही है कि जब आप निर्णय देते हैं तो जिन माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार की सूचना दी है उनको आप अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहते (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

यह अध्यक्ष जी के कक्ष में पता लगा लें, मुझे नहीं मालूम ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप कह दें तो बता दूं नहीं तो बठ जाऊं ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने से व्यवधान)

मान्यवर, जो निर्णय आपने दिया है वह सर माथे है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस आदरणीय सदन में हमको कुछ अधिकार प्राप्त हैं । मुझे पीड़ा होती है और जब पीड़ा बरदास्त नहीं हो पायी तब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें मान्यवर, न इधर का सवाल है और न उधर का सवाल है । सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरा का पूरा सदन का अधिकार सीमित होता जा रहा है। आज जहां तक मेरी जानकारी है, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर और अनेक वर्षों से इस आदरणीय सदन का सदस्य होने के नाते मुझे ज्ञात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अध्यक्ष पीठ से विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना झाड़ू लगाकर खत्म कर दी जाय । तो परिपाटी कहां रही है और अधिकार हमारे कहां रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

जो निर्णय लिया गया है वह कार्यवाही में छपेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

जब आपने पढ़ा नहीं तो छप कैसे जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष –

इसमें यह लिखा है कि यह कार्यवाही का अंग बन जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

सदन के अधिकार पूरे के पूरे सीमित होते जा रहे हैं इस पर मैंने चिन्ता व्यक्त की है आप माने या न माने ।

श्री किरन पाल सिंह –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय गुप्ता जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क –

मान्यवर, सम्भल और मुरादाबाद के वकीलों ने 22 दिन तक सब रजिस्ट्रार सम्भल के खिलाफ हड़ताल जारी रखी उनकी ज्यादती और भ्रष्टाचार के खिलाफ । इस मामले में उच्चाधिकारियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया जिसकी वजह से यह हड़ताल चलती रही । तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि हड़ताल खत्म हो गयी है, इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गयी और सब रजिस्ट्रार सेवा लाल के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सब रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर वैसे कर दिया गया और जो दूसरी शिकायतें भ्रष्टाचार की थीं उसकी जांच डी0 एम0 से करवा रहे हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, जैसा कि आपने इस वक्तव्य में लिखा है कि सम्भल के परगनाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं । गम्भीर चार्जेज हैं उनके खिलाफ । मेरठ के अन्दर उन्होंने एक बहुत शानदार कोठी बनाई है हर आठवें दिन 50,000 रुपये वे मेरठ ले जाते थे । इस तरह से बहुत लम्बे चार्जेज हैं भ्रष्टाचार के। तो मैं चाहूंगा कि क्या आप परगनाधिकारी, सम्भल को छोड़कर सी0आई0डी0 से इस पूरे मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, एक जांच हो रही है उसको आने दीजिए अगर संतुष्ट नहीं होंगे, तो जरूर जांच करा देंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं तो इस वक्त भी संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें सी0आई0डी0 से जांच कराये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय बर्क साहब ने 26 तारीख को इस आदरणीय सदन में यह प्रश्न उठाया, घटना 5 तारीख की है, 29 तारीख को इसका निर्णय होता है, करीब-करीब एक महीने तक यह क्रम चलता रहा । आपने कहा कि इसकी जांच परगना अधिकारी, सम्भल को दे दी गयी है, जांच चल रही है और दूसरे जो वकील लोग आयुक्त मुरादाबाद मण्डल को एक ज्ञापन दिये, जिसके आधार पर परगना मजिस्ट्रेट सम्भल को जांच सौंपी गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वकीलों ने हड़ताल किया, धरना दिया, उसकी रिपोर्ट आपके पास आई कि नहीं आई । 5 तारीख का मामला 29 तारीख तक चलता रहा । इस प्रकार से जो प्रशासनिक निकम्मेपन का परिचय दिया गया, क्या इसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

मान्यवर, इस बीच बराबर वकीलों से वहां के अधिकारी सम्पर्क करके वार्तालाप करते रहे । वहां के सब-रजिस्ट्रार की जो शिकायतें थीं, छुआ-छूत संबंधी, वह गलत थीं । उसकी शिकायत थी कि हमें गाली दी गई, हमें मारा-पीटा गया । इस प्रकार की शिकायतों पर शान्तिपूर्वक कोई हल निकालने की आवश्यकता थी । जो उनकी मांग थी, उसके ट्रांसफर होने की, वह ट्रांसफर उसका कर दिया गया है और दूसरी जो शिकायत थी भ्रष्टाचार की, उसकी जांच हो रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

जो भी गतिरोध था, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सब-रजिस्ट्रार का ट्रांसफर कर दिया गया है और साथ ही साथ यह भी बता रहे हैं कि मजिस्टैरियल जांच चल रही है, 5 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बराबर गतिरोध बना रहा, तो क्या माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी मजिस्टैरियल जांच के बजाय सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसमें अनावश्यक विलम्ब हो जायेगा । लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो सी0आई0डी0 से जांच करवा देंगे ।

श्री किरनपाल सिंह –

मान्यवर, वकीलों के खिलाफ झूंठी एफ0 आई0 आर0 लाज हुई थी, क्या उसे वापस लेंगे? दूसरे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्हें कहीं ऐसे स्थान पर तो नहीं ट्रांसफर कर दिया है, जहां पर उनको कमाने का और साधन उपलब्ध हो ? अगर ट्रांसफर किया है तो उन्हें ऐसे स्थान पर ट्रांसफर करें, जहां पर उनको कमाने का साधन न हो ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से परामर्श कर लूंगा, वह जहां कहीं ऐसी जगह बतावेंगे, वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी –

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच परगनाधिकारी से कराई जा रही है, तो जब जांच कर्ता के प्रति किसी का संदेह होता है, तो जांच का नियम होता है कि जांच दूसरी एजेंसी से कराई जाय । जांच कर्ता के प्रति संदेह है, तो कौन सी ऐसी आपत्ति है कि दूसरी एजेंसी से जांच नहीं कराई जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष –

वह तो उन्होंने कह दिया कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करा दी जाएगी ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
2 जुलाई, 1987

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन बढ़ाने की विशेष योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में

चयनित 102 विकास खण्डों की सूची :

क्रम-सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम-सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	1	2	3
1	गोरखपुर	1--पनियारा	6	मिर्जापुर	33--राजगढ़
		2--परतावल			34--राबर्ट्सगंज
		3--भटहट			35--बीराबल
		4--खजनी			36--हलिया
		5--लक्ष्मीपुर	7	जौनपुर	37--मछलीशहर
		6--फरेंदा			38--मुगरा बादशाहपुर
		7--बृजभानगंज			39--साईथाकल
2	देवरिया	8--पडरौना			40--सोधी
		9--तमुकही	8	गाजीपुर	41--सादात
		10--कसिया			42--जमुनिया
		11--मिलौनी			43--भदौरा
		12--देवरिया	9	बलिया	44--नगरा
		13--रामपुर कारखाना			45--चिलकहर
		14--गौरी बाजार			46--सियर
					47--रतनपुरा
3	बस्ती	15--बनकटी	10	फैजाबाद	48--अकबरपुर
		16--सल्टवागोपालपुर			49--कटेहरी
		17--साउघाट			50--माया बाजार
		18--बस्ती सदर			51--हार्टिनगंज
		19--डुमरियागंज	11	गोण्डा	52--मुजेहना
		20--भैरवापुर			53--रुपईडीह
		21--रुदौली			54--इटियाथोक
					55--मनकापुर
4	आजमगढ़	22--घोसी			56--बलरामपुर
		23--लालगंज			57--गेसडीह
		24--मेहनगर	12	बहराइच	58--गिलौला
		25--मोहम्मदाबाद			59--पयागपुर
		26--रानीपुर			60--विसेश्वरगंज
		27--जहानगंज			61--फकरपुर
15	वाराणसी	28--चकिया			62--रिसिया
		29--साहेबगंज	13	सुल्तानपुर	63--गौरीगंज
		30--चन्दौली			64--दोस्तपुर
		31--सकलडीह			65--जामो
		32--पिण्डरा			66--कूड़ेभार

1	2	3
14	प्रतापगढ़	67—मगंरोरा
		68—रामपुर
		69—बाबूगंज
17	बाराबंकी	70—हैदरगढ़
		71—रुदौली
		72—फतेहपुर
16	लखनऊ	73—बक्शी का तालाव
		74—सरोजनीनगर
17	उन्नाव	75—विछिया
		76—औरास
		77—पुरवा
18	रायबरेली	78—राही
		79—तिलोई
		80—बछरांवा
		81—सलोन
19	सीतापुर	82—हरगांव
		83—लहरपुर
		84—परसेड़ी
		85—बिसवां

1	2	3
20	हरदोई	86—शाहाबाद
		87—टोडरपुर
		88—पिहानी
		89—बावन
21	लखीमपुर खीरी	90—लखीमपुर
		91—बिजवां
		92—फूलबेहड़
22	इलाहाबाद	93—जसराकौधियारा
		94—फूलपुर
		95—प्रतापपुर
		96—मेंजा
		97—कोरांव
23	फतेहपुर	98—हसुवा
		99—तिलियानी
24	बांदा	100—नरैनी
		101—महुवा
		102—बिसिंडा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)
तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अतांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर का संलग्नक

1--नगर महापालिका, वाराणसी	दिनांक 1 जनवरी, 1983 के पश्चात कोई राहत किश्त नहीं दी गयी है। अतः बकाया किश्तों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।
2--नगर महापालिका, कानपुर	दिनांक 1 जनवरी, 1983 के बाद 20 किश्ते स्वीकार की जा चुकी हैं जिनमें से अन्तिम दो किश्त (दिनांक 1 जून, 1986 व 1 जुलाई, 1986 से स्वीकृत) को छोड़कर शेष 18 किश्तों का भुगतान पेंशनर्स को किया जा चुका है। अन्तिम दो किश्तों के भुगतान की औपचारिकताओं की पूर्ति की जा रही है।
3--नगर महापालिका, इलाहाबाद	दिनांक 1 जनवरी, 1983 के पश्चात एक किश्त दिनांक 1 मई, 1986 से प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान किया जा रहा है।
4--नगर महापालिका, लखनऊ	सन् 1985 तक महापालिक,लखनऊ द्वारा जो पेंशन मय राहत अपने पेंशनरों को दी जा रही थी वह शासन पद्धति की पेंशन मय राहत से काफी अधिक थी। शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 1985 से शासन के बराबर ही पेंशन का भुगतान किया जाने लगा और 85 के बाद से आज तक जो भी राहत के शासनादेश आए हैं उनका अनुपालन कर उनका लाभ महापालिका लखनऊ के समस्त पेंशनर्स को दिया जा रहा है।
5--नगर महापालिका, आगरा	दिनांक 1 जनवरी, 1983 के पश्चात एक किश्त प्रदान की गयी है जिसका भुगतान किया जा रहा है।
6--नगर महापालिका, मेरठ, बरेली तथा गोरखपुर।	यह नवसृजित नगर महापालिकायें हैं। जिनकी पेंशन नियमावली बनायी जा रही है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

सूची–1

क्रम-सं0	अनुदानों की प्रवृत्ति	वर्ष 1986–87 में अनुदान की धनराशि	उपयोग की स्थिति दिनांक 31-3-87 तक
1	मार्ग अनुदान ..	44,60,000	44,60,000.00
		1,00,00,000	1,00,00,000.00
2	मार्ग प्रकाश अनुदान ..	10,00,000	10,00,000.00
		15,00,000	4,25,719.16
3	शुलभ शौचालय अनुदान ..	3,75,000	3,75,000.00
4	सफाई उपकरण ..	10,00,000	10,00,000.00
5	सफाई उपकरण ..	17,65,000	17,57,160.04
6	महापालिका भवनों की मरम्मत हेतु सहायक अनुदान ।	5,00,000	5,00,000.00
7	महानुभावों की मूर्ति स्थापित करने हेतु विशेष सहायक अनुदान ।	11,00,000	..
8	जल भराव की समस्या के निदान हेतु अनुदान ।	20,00,000	1838,020.19
	योग ..	2,37,00,000	2,13,55,899.39

नत्थी 'घ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 189 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

सूची–II

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	सुधार सड़क घण्टाघर से बख्शीपुर	3,76,255.40
2	सुधार सड़क विजय क्रासिंग से टाउन हाल	6,63,135.09
3	मुहल्ला बशारतपुर में निर्माण खड़ंजा	1,33,981.19
4	निर्माण सड़क एस0एस0पी0 बंगले से पार्क रोड (गणेश होटल रोड)	7,82,411.78
	योग . .	19,55,783.46

विधान भवन

पी0एस0यू0पी0—एल0 157 वि0सभा (280)--1987--813।